Seventeenth Series, Vol. XXVIII No. 7

Tuesday, December 12, 2023
Agrahayana 21, 1945 (Saka)

# LOK SABHA DEBATES

**(Original Version)**

**Fourteenth Session**

**(Seventeenth Lok Sabha)**

सत्यमेव जयते

*(Vol. XXVIII contains Nos.1 to 14)*

**LOK SABHA SECRETARIAT**

**NEW DELHI**

***EDITORIAL BOARD***

Utpal Kumar Singh

**Secretary-General**

**Lok Sabha**

Mamta Kemwal

**Joint Secretary**

Bishan Kumar

**Director**

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

**Joint Director**

Meenakshi Rawat

Maneesha Bhushan

**Editor**

**© 2023 Lok Sabha Secretariat**

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

# C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XXVIII, Fourteenth Session, 2023/1945 (Saka)**
**No. 7, Tuesday, December 12, 2023/ Agrahayana 21, 1945 (Saka)**


| S U B J E C T | P A G E S |
|---|---|
| **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| *Starred Question Nos. 121 to 126 | 12-37 |
| **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| Starred Question Nos. 127 to 140 | 38-159 |
| Unstarred Question Nos. 1381 to 1384, 1386-1441, 1443 to 1489 and 1491 to 1610 | 160-990 |


* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

**RESIGNATION BY MEMBER** 991

**PAPERS LAID ON THE TABLE** 992-1006

**BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**
46th and 47th Reports 1007

**COMMITTEE ON ESTIMATES**
31st Report 1008

**COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS**
21st Report 1009

**STANDING COMMITTEE ON ENERGY**
Statements 1010

**STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS**
26th Report 1011

**STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**
34th Report 1012

**GOVERNMENT BILLS- Introduced**

(i) Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Bill, 2023 1013-1014
(ii) Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2023 1015
(iii) Bhartiya Nyaya (Second) Sanhita, 2023 1033
(iv) Bhartiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023 1034
(v) Bharatiya Sakshya (Second) Bill, 2023 1035

**MATTERS UNDER RULE 377** 1047-1075

(i) Regarding construction of by-pass road in Kawardha city in Chhattisgarh

**Shri Santosh Pandey** 1047-1048

(ii) Need to sanction a Vande Bharat Train connecting Bengaluru to Gulbarga via Raichur and Yadigiri in Karnataka

**Shri Raja Amareshwara Naik** 1048

(iii) Need to establish a Navodaya Vidyalaya at Tharad in Banaskantha Parliamentary Constituency

**Shri Parbatbhai Savabhai Patel** 1049

(iv) Need to provide reservation to Maratha and Dhangar communities in Maharashtra

**Shri Prataprao Patil Chikhlikar** 1050

(v) Need to enact a stringent law to ban increasing addiction to drugs and online betting.

**Shri Dharambir Singh** 1051

(vi) Need to implement a scheme for providing subsidy to sheep and goat farmers

**Shrimati Jaskaur Meena** 1052

(vii) Regarding categorization of Gram Panchayats in Jamshedpur Parliamentary Constituency

**Shri Bidyut Baran Mahato** 1053

(viii) Need to utilize vacant land on both sides of Bairgania Railway Station in Sheohar Parliamentary Constituency

**Shrimati Rama Devi** 1054

| | | |
|---|---|---|
| (ix) | Regarding alleged harassment of farmers of Goghat in Hooghly district, West Bengal<br>**Shrimati Locket Chatterjee** | 1055 |
| (x) | Need to increase frequency of train No. 20503/04 (New Delhi-Dibrugarh) and run the train via Gorakhpur<br>**Shri Ravi Kishan** | 1056 |
| (xi) | Need to provide reservation in medical institutions for pursuing super specialty courses<br>**Dr. Sanghamitra Maurya** | 1057 |
| (xii) | Need for alternative irrigation arrangements in Bharuch Parliamentary Constituency<br>**Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava** | 1058 |
| (xiii) | Regarding operation of railway services in Wardha Parliamentary Constituency<br>**Shri Ramdas Tadas** | 1059 |
| (xiv) | Regarding establishment of ordnance Factory in Maharajganj Parliamentary Constituency<br>**Shri Janardan Singh Sigriwal** | 1060 |
| (xv) | Need to make redressal mechanisms for labourers in Himalayan region<br>**Shri Jamyang Tsering Namgyal** | 1061 |
| (xvi) | Regarding CBI inquiry into alleged irregularities in utilization of funds under PM Poshan Scheme in West Bengal<br>**Shri Khagen Murmu** | 1062 |

(xvii) Regarding guidelines for disbursal of educational loans

**Adv. Dean Kuriakose** 1063

(xviii) Need to give aid to Kerala to construct new fishing harbours

**Dr. Shashi Tharoor** 1064

(xix) Regarding development of Beypore Port and its inclusion under Sagarmala Scheme

**Shri M.K. Raghavan** 1065

(xx) Regarding setting up of Defence Research Centre in Dharmapuri Parliamentary Constituency

**Dr. DNV Senthilkumar S.** 1066

(xxi) Regarding exemption of Tamil Nadu from NExT Exam for final year MBBS students

**Dr. Pon Gautham Sigamani** 1067

(xxii) Regarding grant of relief package for cyclone affected people in Andhra Pradesh and reassessment of the National Cyclone Risk Mitigation Project

**Shri Lavu Srikrishna Devarayalu** 1068

(xxiii) Need to take urgent steps for installation of 4G Towers across the country

**Shri Vinayak Bhaurao Raut** 1069

(xxiv) Regarding hardships faced by passengers and decline in cargo exports at Calicut International Airport

**Dr. M. P. Abdussamad Samadani** 1070

(xxv) Regarding renewal of Visas of dependants of H1B Visa holders

**Shri Jayadev Galla** 1071

(xxvi) Need to issue a white paper on Natural Disasters in the states of Uttarakhand and Himachal Pradesh

**Shri K. Subbarayan** 1072

(xxvii) Regarding establishment of Kendriya Vidyalayas in Nagaur Parliamentary Constituency

**Shri Hanuman Beniwal** 1073

(xxviii) Need to recognize 'Sarna' as the 7th religious sect in the country

**Shri Naba Kumar Sarania** 1074

(xxix) Regarding recent killing of a Khalistani leader

**Prof. Sougata Ray** 1075

**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – FIRST BATCH, 2023-2024 AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2020-2021** 1076-1121, 1125-1126

Shri Syed Imtiaz Jaleel 1076-1079

Shri P. Ravindhranath 1079-1082

Shri Sushil Kumar Rinku 1083-1084

Shri Rajmohan Unnithan 1084-1087

Shri M. Badruddin Ajmal 1087-1088

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 1089-1096

Shrimati Nirmala Sitharaman 1097-1117

| | |
|---|---|
| **APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2023** | 1122-1124 |
| Motion to Introduce | 1122 |
| Motion to Consider | 1122 |
| Shrimati Nirmala Sitharaman | 1122 |
| Clauses 2, 3 and 1 | 1123 |
| Motion to Pass | 1123-1124 |
| **APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 2023** | 1127-1129 |
| Motion to Introduce | 1127 |
| Motion to Consider | 1127 |
| Shrimati Nirmala Sitharaman | 1127 |
| Clauses 2, 3 and 1 | 1128 |
| Motion to Pass | 1129 |
| **GOVERNMENT BILLS –Withdrawn** | |
| (i) Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 | 1130 |
| (ii) Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 | 1131 |
| (iii) Bharatiya Sakshya Bill, 2023 | 1132 |
| **JAMMU AND KASHMIR REORGANISATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2023 AND GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (AMENDMENT) BILL, 2023** | 1138-1231 |
| Motion to Consider | 1138 |
| Shri Nityanand Rai | 1138, 1125-1230 |
| Shri Jugal Kishore Sharma | 1138-1143 |

| | |
|---|---|
| Shri Adhir Ranjan Chowdhury | 1145-1150 |
| Prof. Sougata Ray | 1151-1159 |
| Shri A. Raja | 1160-1168 |
| Shrimati Chinta Anuradha | 1168-1173 |
| Shri Krupal Balaji Tumane | 1174-1176 |
| Shri Kaushlendra Kumar | 1177-1178 |
| Shri Bhartruhari Mahtab | 1178-1181 |
| Shri Malook Nagar | 1182-1184 |
| Shrimati Supriya Sadanand Sule | 1185-1189 |
| Shri Arvind Sawant | 1190-1192 |
| Shri Gurjeet Singh Aujla | 1192-1195 |
| Shri Hasnain Masoodi | 1196-1203 |
| Shrimati Jaskaur Meena | 1204-1205 |
| Shri K. Navaskani | 1206-1207 |
| Shri N.K. Premachandran | 1208-1211 |
| Dr. Alok Kumar Suman | 1213-1213 |
| Dr. Nishikant Dubey | 1214-1216 |
| Adv. A. M. Ariff | 1217-1218 |
| Shri Jamyang Tsering Namgyal | 1219-1222 |
| Shri Ve. Vaithilingam | 1223 |

**Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Bill, 2023**

Clauses 2 and 1 1230

Motion to Pass 1230

**Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2023**

Clauses 2 and 1 1246

Motion to Pass 1246

*__ANNEXURE – I__

Member-wise Index to Starred Questions 1147

Member-wise Index to Unstarred Questions 1148-1154

__*ANNEXURE – II__

Ministry-wise Index to Starred Questions 1155

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 1156

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

# OFFICERS OF LOK SABHA

## THE SPEAKER

Shri Om Birla

## PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Shrirang Appa Barne

## SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

# LOK SABHA DEBATES

---

---

LOK SABHA

----------

Tuesday, December 12, 2023/ Agrahayana 21, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न संख्या 121 - चौधरी महबूब अली कैसर ।

… (व्यवधान)

**(Q. 121)**

**माननीय अध्यक्ष :** तख्ती न दिखाएं, तख्ती को नीचे करें।

… (व्यवधान)

**चौधरी महबूब अली कैसर :** अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया।… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी का जवाब काफी विस्तारित और कॉम्प्रिहेन्सिव है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने खगड़िया संसदीय क्षेत्र की दो विधान सभा हसनपुर और अलौली की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां गन्ने की खेती बहुत ही विस्तृत रूप में होती है, व्यापक रूप से होती है।… (व्यवधान) हसनपुर में एक चीनी मिल भी है।… (व्यवधान) इसके अलावा, परबत्ता में केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है और मक्का तो हमारे सिमरी, बख्तियारपुर, बेलदौर, खगड़िया, अलौली, परबत्ता, हसनपुर इत्यादि सभी जगहों पर होता है।… (व्यवधान)

महोदय, मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानकारी लेनी है कि इन तीनों फसलों के विस्तार के लिए, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, इनकी कपैसिटी डेवलपमेंट के लिए, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने आत्मा और केवीके का जिक्र किया है, लेकिन इसके अलावा क्या सरकार की कोई और स्कीम है, ताकि किसानों को इसका भरपूर फायदा मिल सके?

**कुमारी शोभा कारान्दलाजे :** माननीय अध्यक्ष जी, देश में किसानों द्वारा किए जा रहे उत्पादन और उनकी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की कौशल वृद्धि के लिए हमने अलग-अलग कार्यक्रम जारी किया है। इसी में, केवीके के तहत, राज्यों की कृषि यूनिवर्सिटी के तहत, आत्मा योजना के तहत और कौशल विकास विभाग के तहत हम किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न

पूछा है कि तीन सालों में क्या हुआ है, तो तीन सालों में हम 4 करोड़ 48 लाख किसानों को अलग-अलग विभागों में ट्रेनिंग दे चुके हैं। हमारा एन.आई.ए.एम., हैदराबाद में ट्रेनिंग सेन्टर है। हमारे यहां आईसीएआर है। ऐसे सारे विभागों में हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी कौशल विकास विभाग से हम किसानों को 200 घंटे की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कौशल विकास विभाग से सात दिनों की एक ट्रेनिंग भी चल रही है। इसमें फील्ड विजिट है, इसमें मशरूम कैसे उगाना, इसमें मधुमक्खी पालन, फिशिंग और बागवानी क्षेत्र की ट्रेनिंग दी जा रही है।

सर, अभी देश में भारत विकास संकल्प यात्रा चल रही है। इसमें ड्रोन का प्रदर्शन हो रहा है। हर ग्राम पंचायत में उस ड्रोन का प्रदर्शन बहुत आकर्षक केन्द्र बनता जा रहा है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से बोला था कि हम महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे।

सर, अभी हमने 'नमो ड्रोन दीदी' नाम से यह ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है, जिसमें 15,000 महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे और उसके साथ एक असिस्टेंट भी रहेगी। इस तरह से हम 30,000 महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे। इनको महिलाएं इस्तेमाल करने वाली हैं। ऐसी सभी जगहों पर सभी किसानों की आय कैसे बढ़ाएं, उनके उत्पादकों को मार्केट तक हम कैसे ले कर जाएं, ये सब ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने अपने खगड़िया संसदीय क्षेत्र के बारे में पूछा है। खगड़िया क्षेत्र में मेज़ और शुगरकेन की खेती हो रही है। उनके क्षेत्र में भी हम कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से कृषि संपदा योजना के तहत ट्रेनिंग दे चुके हैं। इसी में पूरे बिहार में 6,49,228 किसानों की ट्रेनिंग हो चुकी है। जिसमें 5,10,723 किसानों को हमने सर्टिफाइड किया है। खगड़िया क्षेत्र में 14,439 किसानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और 11,921 किसानों को सर्टिफिकेशन दिया है। केवीके तहत भी खगड़िया क्षेत्र में 4,927 किसानों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। 'आत्मा योजना' के तहत 2,811 लोगों के लिए हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। इसके कारण हर साल मेज़ और गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है। मैं समझती हूँ कि माननीय सदस्य के क्षेत्र में, मेज़ का प्रोडक्शन, वर्ष 2020-21 में 26.69 लाख टन प्रोडक्शन था, अभी वह बढ़ कर, वर्ष 2022-23 में 43.80 लाख टन हो गया है। मेज़ की यील्ड भी बढ़ गई है। पहले वह 2975 केजी पर हैक्टेयर था। अभी वह बढ़ कर 5054 केजी पर हैक्टेयर हो गया

है। शुगरकेन का एरिया भी बढ़ा है और इसकी यील्ड भी बढ़ी है। पहले वह 54,766 केजी पर हैक्टेयर था, जो कि बढ़ कर 60,627 केजी पर हैक्टेयर हो गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि खगड़िया क्षेत्र में भी उत्पादकता और उत्पादन लगातार बढ़ रहर है।

**चौधरी महबूब अली कैसर :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो फिगर्स उन्होंने बताई हैं, वे बिल्कुल सही हैं। लेकिन मेज़ के बारे में, मक्का जो है, उसके उत्पादन में खगड़िया एशिया का हब है। आस-पास के जिले जैसे – नौगछिया, सहरसा, बेगुसराय आदि इन तमाम एरियाज़ में मक्के का हब है। सबसे अच्छी क्वालिटी वाइज़ और क्वांटिटी वाइज़ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पर हैक्टेयर खगड़िया से आता है। खास कर उसके बारे में, केले के प्रोडक्शन के बारे में और गन्ने के बारे में तो मंत्री जी ने बताया है। सर, हम लोगों का मेन थ्रस्ट मक्का के बारे में है। उससे आधारित वहां पर फूड प्रोसेसिंग के लिए एक मेगा फूड पार्क भी लगा था, लेकिन किसी कारण से वह अभी चालू नहीं हुआ है**,** उसमें सिर्फ 2-3 फैक्ट्रीज़ हैं। उस दिशा में, क्योंकि रोज़ आधुनिक, नई-नई टैक्नोलॉजीस आती हैं, तो खास कर मक्का, केला और गन्ने के डेवलपमेंट के सिलसिले में मंत्रालय की क्या कोई स्कीम है ताकि इन तीनों चीज़ों को बढ़ावा दे सकें और वहां के किसानों को भरपूर फायदा मिल सके?

**कुमारी शोभा कारान्दलाजे :** माननीय अध्यक्ष जी, मेज़ से इथेनॉल बनाने के प्रोसेस को भी हमने बढ़ावा दिया है। ऐसे ही कौशल विकास विभाग से फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग कैसे करें, उसको विश्व के मार्केट तक कैसे ले कर जाएं, हम ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं।

हम लगातार कृषि मेले, किसान मेले और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मेले लगा रहे हैं। हमने बिहार में भी मेले लगाए हैं। पार्टिकुलर्ली हम खगड़िया क्षेत्र को भी आगे देखेंगे।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री प्रतापराव जाधव – उपस्थित नहीं

श्री मनीश तिवारी – उपस्थित नहीं

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि

**SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI:** Sir, in the reply, they have mentioned about training farmers to use drones, but in most of the rural areas, drones are not available. What has the Government done for drone production and making sure that drones are available for the farmers to be used by them?

**KUMARI SHOBHA KARANDLAJE:** Sir, this is an ongoing process. अभी हमने ड्रोन को केवीके में रखा है। हम अलग-अलग प्राइवेट कंपनियों को ड्रोन उत्पादन के लिए मदद भी दे रहे हैं। अभी केवीके में ट्रेनिंग हो रही है। किसानों को ड्रोन की ट्रेनिंग देना और उनका प्रदर्शन करना चालू रखा गया है। मैंने पहले क्वेश्चन के उतर में भी बताया है कि प्रधानमंत्री जी की इच्छानुसार हम 15 हजार ड्रोन दीदी को ट्रेनिंग देंगे। हम ड्रोन का उत्पादन करने के लिए भी प्राइवेट कंपनी को बोल चुके हैं। इस पर अभी काम हो रहा है।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न संख्या 122 - श्री कृपाल बालाजी तुमाने ।

**(Q. 122)**

**श्री कृपाल बालाजी तुमाने :** महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में इस देश में चालू की गई। वर्ष 2016 में चालू होने के बाद गांव-गांव के लोगों को, जो झुग्गियों में रहते थे, उनको इसका बड़ा सहारा हुआ। आज उन्होंने पक्के मकान बनवाये हैं।

महोदय, इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात होती है, उसमें हमारे यहां थोड़ा सा भेदभाव दिखाई देता है। शहरी क्षेत्र वालों के लिए हमारी सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये दिये जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए 1.4 लाख रुपये दिये जाते हैं। जैसा हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं नहीं होती हैं। उनको दूसरे, तीसरे गांव से या शहर में जाकर सामान खरीदना पड़ता है। शहर में सारी उपलब्धता उसी जगह होने के बावजूद भी वहां पर ज्यादा पैसा दिया जाता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो निधि देते हैं, उस फंड को शहरी क्षेत्र के बराबर करने के लिए क्या हमारा कोई विचार है या हम उस बारे में जल्दी कुछ करने जा रहे हैं?

**साध्वी निरंजन ज्योति:** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सीधे आवास प्लस से जुड़ा हुआ है कि हम आवास आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना में अंतर है, फिर भी वर्ष 2016 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उन बेघरों को जिनके पासआवास नहीं थे, उनको आवास देने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विषय आवास प्लस से संबंधित है, इसलिए उसको मैं जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगी। इस 91 लाख के अंतराल को पूरा करने के लिए सरकार ने राज्यों को आदेशित व निर्देशित किया कि इसको पूरा किया जाए। समापन सीमा को चार बार बढ़ाया गया। इसको नवंबर 2018 तक बढ़ाया गया। इसमें आवास प्लस की सूची आई, जिसमें हमें करीब 3 करोड़ 90 लाख पंजीकृत परिवारों को भरना था। इसमें जो शेष बचे थे, उसमें 91 लाख लोगों को मकान आवंटित करना था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा राज्यों से अनुरोध है, जिन राज्यों ने आवास को नहीं बनाया है, ऐसे दो राज्य हैं, इसमें तेलंगाना और तत्कालीन छतीसगढ़ की सरकार ने आवास नहीं बनाए

महोदय, जब तक ये आवास पूरे नहीं हो जाते, तब तक हमने आवास प्लस की सूची का सर्वे करके, उसे ऐड किया है।

**श्री कृपाल बालाजी तुमाने :** सर, मैंने यह पूछा था कि शहरी आवास के लिए ढाई लाख रुपये दिए जाते हैं और ग्रामीण आवास के लिए 1 लाख 40 हजार रुपये दिए जाते हैं। ग्रामीण आवास की राशि में जो डिफरेंस है, क्या उसे बढ़ाया जायेगा? क्या ग्रामीण आवास के लिए शहरी आवास के बराबर पैसे दिए जायेंगे?

**ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री गिरिराज सिंह):** महोदय, दीदी ने सही कहा कि आवास प्लस से इन्होंने सवाल पूछा और इन्होंने कीमत बढ़ाने का, यूनिट कॉस्ट बढ़ाने का सवाल किया है। आप देखें कि यह पहले इंदिरा आवास के रूप में चल रहा था। वर्ष 2014 में मोदी की सत्ता आई। पहले इसकी यूनिट कॉस्ट 70 हजार रुपये थी, जिसे हमने डेढ़ लाख रुपये किया है। इसका 2 करोड़ 95 लाख का लक्ष्य है, जिसे हमें पूरा करना है। शहरी आवास में जो शहरी विकास मंत्रालय ने रखा है, वह शहर की दृष्टि से रखा है। उसमें जमीन और तरह-तरह की चीजें हैं। मैं उससे कम्पेयर नहीं कर सकता हूं। मैं इंदिरा आवास की राशि 70 हजार रुपये से सीधे दो गुना यानी डेढ़ लाख रुपये पर ले आया हूं, इसके लिए भी लोग सराहना करने का काम करें। आगे जब होगा, तब देखा जाएगा।… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री रामशिरोमणि वर्मा ।

**श्री कृपाल बालाजी तुमाने :** सर, मंत्री जी ने पहले प्रश्न का ही जवाब दिया है।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री रामशिरोमणि वर्मा, आप क्वैश्चन पूछिए।

… (व्यवधान)

**श्री रामशिरोमणि वर्मा :** अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र में अभी ऐसे पात्र व्यक्ति हैं, जिनको प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास नहीं मिला है। उदाहरण

के तौर पर, मेरे संसदीय क्षेत्र के ग्राम सभा बिधूनी में आज भी पात्र व्यक्ति को आवास नहीं मिला है। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे पात्र व्यक्तियों को आवास कब तक उपलब्ध कराया जाएगा?

**साध्वी निरंजन ज्योति :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिलेवार राज्य सरकार करती है। यद्यपि, मैं आपके सामने एक फिगर जरूर रखना चाहूंगी। हमारी सरकार, प्रधान मंत्री जी की इच्छाशक्ति ने उन गरीबों को घर दिया, जिनके पास घर नहीं होता। उनकी तकलीफें क्या होती हैं, मैं इसका यहां जवाब दे रही हूं और मैं ऐसे परिवार की बेटी हूं, जिनके यहां पक्की छत नहीं थी। ऐसे परिवार की बेटी को घर देने का माननीय प्रधान मंत्री जी ने अवसर दिया है।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के लिए बधाई देना चाहती हूं। सर्वाधिक आवास यदि कहीं बने हैं, तो उत्तर प्रदेश में बने हैं। 10 साल बनाम यूपीए गवर्नमेंट की यदि मैं तुलना करूं, तो वर्ष 2005 से 2013-14 तक लगभग 24 लाख से अधिक मकान इंदिरा आवास योजना के तहत बनाये गये थे, वह भी 20 बाई 20 की जमीन में, जिसे हमारी सरकार ने 20 बाई 25 कर दिया है। प्रधान मंत्री जी की यह इच्छाशक्ति है, माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब के लिए समर्पित है। वर्ष 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में लगभग 43 लाख आवास बनाये गये, जिसमें लगभग 9 लाख 19 हजार इंदिरा आवास भी हमने पूरे किये। उत्तर प्रदेश में बहुत तेज गति से आवास बन रहे हैं। जिले के लिए माननीय सदस्य ने गांव के लेवल पर पूछा है, मैं उनको जरूर जवाब दूंगी।

**SHRI MAHESH SAHOO:** Hon. Speaker, Sir, through you, I just want to know from the hon. Minister what was the original target as per the survey reports regarding collection from different States. What was the target? As it was later recommended by our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, what was the target thereafter? When there is 60:40 ratio, what is the problem in providing and allotting houses under PMAY in favour of the State as recommended by the State of Odisha?

**साध्वी निरंजन ज्योति :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसका उत्तर पहले दे चुकी हूं। आवास प्लस का जो सर्वे हुआ है, ओडिशा के लिए खास तौर पर दो बार हमारी साइट खोली गई, जहां समुद्री तूफान के कारण लोग प्रभावित हुए थे।

मैं सदन के माध्यम से राज्यों से अनुरोध करना चाहूंगी कि कई राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना की बजाए कहीं बंग्लो आवास, कहीं किसी के नाम से जारी किया गया। प्रधानमंत्री आवास से फंड रेज नहीं होना चाहिए।

**श्री जुगल किशोर शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री जी ने देश के हरेक नागरिक को रहने के लिए अपना घर हो, अपनी छत हो, इसके लिए तेजी से काम किया है और इसमें कामयाबी भी प्राप्त हुई है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पीएमएवाई प्लस के माध्यम से एक-दो बार राज्यों को छूट दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यों की कमजोरी की वजह से आज भी देश में कुछ ऐसे नागरिक हैं जिन्हें पीएमएवाई प्लस के माध्यम से भी घर नहीं मिल पाया है। वे छूट गए हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस की साइट को खोलकर अगले चरण के अंतर्गत कार्य शुरू करने की कोई क्या योजना है? जिससे जो नागरिक रह गए हैं, जिनको आज भी घर नहीं मिला है, उनको भी घर मिल सके।

**साध्वी निरंजन ज्योति :** अध्यक्ष महोदय, जुगल किशोर जी जम्मू-कश्मीर के सांसद हैं। मुझे लग रहा है कि धारा 370 हटने के बाद सर्वाधिक घर उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं, पहले वे भी नहीं बन रहे थे। अभी 295 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। अभी वह पूरा नहीं हुआ है, जिस दिन लक्ष्य पूरा होगा, आगे सोचा जाएगा।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न संख्या 123 - श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर ।

**(Q. 123)**

**श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न का जो उत्तर दिया है, वह संतोषजनक है। फिर भी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फाइव ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में पीएसीएस की भूमिका क्या है, पीएसीएस के व्यवसाय और आय का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है?

**श्री बी. एल. वर्मा:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 जुलाई, 2021 को किया, तब से लगातार देश के पहले सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया गया है। इसमें 54 से ज्यादा पहलें की गई हैं। फाइव ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहकारिता के माध्यम से हम भूमिका अदा कर सकते हैं, इसके विषय में माननीय सदस्य ने पूछा है। देश के अंदर पैक्स लगभग 98 हजार हैं। इसमें करीब 13 करोड़ के आसपास किसान जुड़े हैं। इन 13 करोड़ किसानों के लिए पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ रुपये की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, पैक्स और नाबार्ड को कॉमन साफ्टवेयर से जोड़ने का काम किया गया है ताकि इससे पारदर्शिता आए और समय की बचत हो। इससे कहीं न कहीं लागत में भी कमी होने वाली है।

इसके साथ ही साथ मॉडल बाइलाज लागू करने की बात है, वह इन पैक्स में किया है। करीब 63 हजार पैक्स का कम्प्यूटरीकरण हुआ है। इसमें मॉडल बाइलाज लागू करने का काम किया गया है। उस मॉडल बाइलाज लागू करने में 31 स्टेट्स और यूटीज इस प्रकार के हैं, जिन्होंने इसे अपना लिया है। मॉडल बाइलाज लागू होने से पैक्स, डेयरी, मत्यस्यकी, गोदामों की स्थापना, खाद्यान, उर्वरक, बीज, एलपीजी, सीएनजी, पेट्राल, डीजल और सीएससी में 25 से अधिक सुविधाएं देकर हम मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके साथ-साथ पैक्स और प्रधानमंत्री जन औषधी के साथ-साथ नल से

जल योजना में भी हम उसकी भूमिका अदा करेंगे। इसके साथ-साथ रिटेल पेट्रोल-डीजल सीसीटू श्रेणी में लाकर वरीयता देने का काम किया है।

हमने पैक्स का सुदृढ़ीकरण किया है, 25 प्रकार के व्यवसायों को काम करने की सुविधा देने का काम किया है। इस तरह की गतिविधियों के संचालन से न केवल पैक्स सुदृढ़ हो पाएंगे बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगे और सक्षम भी होंगे। हमने 54 क्षेत्रों में पहल की है। अगर मैं गिनाउंगा तो मुझे लगता है कि बहुत देर लगेगी, मैं कह सकता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता के हर क्षेत्र में और खास तौर से 5 ट्रिलियन डॉलर की माननीय प्रधान मंत्री जी ने अर्थव्यवस्था की बात की है, उसमें सहकारिता प्रमुख भूमिका अदा करने वाली है। इसके साथ ही साथ स्वरोजगार के अवसर पैदा करने से लेकर सहकारिता के क्षेत्र में बड़े ब्रांड जैसे इफको, कृभको, अमूल हैं, वहीं छोटे से पापड़ के काम को एक महिला ने कुछ महिलाओं को लेकर काम शुरू किया और अब यह 'लिज्जत पापड़' के नाम से प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि छोटे से लेकर बड़ा काम कोई भी कर सकता है। आज लगभग 2000 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। इफको में लगभग 36,000 मैम्बर्स हैं। इसी प्रकार से अमूल में भी 36 लाख महिलाएं हैं जो दूध का उत्पादन करती हैं और 72,000 करोड़ रुपये का टर्न ओवर है। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की विशेष भूमिका होगी और इसे हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे।

**श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप पीएसीएस को मजबूत करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए विचार कर रहे हैं? यदि हां तो इस प्रक्रिया में स्टार्टअप की क्या भूमिका क्या है? इसका विवरण दें।

**श्री बी. एल. वर्मा:** माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से अभी माननीय सांसद को बताया है कि हमने नई प्रौद्यागिकियों के लिए कम्प्यूटरीकरण करने का काम किया है। इसे कॉमन साफ्टवेयर से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है । भारत सरकार की मौजूदा योजनाएं एनपीडीडी, डीआईडीएफ,

पीएमएमएसवाई, एफआईडीएफ पैक्स स्तर पर केंद्रीकृत करके विभिन्न अवसंरचनाओं के आधुनिकिकरण करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए कूलिंग चैम्बर, हेचरी इत्यादि स्थापित की जा सकेंगी। हम इन सब पहल से पैक्स को व्यवसाय के नव अवसर प्रदान करेंगे और स्वयं स्टार्टअप के रूप में काम करने में सक्षम होंगे।

**श्रीमती क्वीन ओझा :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने किसानों के उत्पादन बढ़ाने और उत्पादित सामग्रियों को बाजार देने की व्यवस्था की है, इसके कारण किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हुए और उनको आत्मसम्मान मिला। मैं माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे विस्तृत जवाब दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि पीएससीएस द्वारा असम के इन्टीरियर गांवों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**श्री बी. एल. वर्मा:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संसद सदस्या को असम क्षेत्र का पूरा विवरण बता देता हूं। हमने पूरे देश में कम्प्यूटरीकण करने से लेकर मॉडल बनाने की बात कही है। हमने पैक्स के लिए दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के साथ असम राज्य में 583 क्रियाशील पैक्स का कम्प्यूटरीकरण किया है। इसमें 374 पैक्स में ईआरपी ट्रायल रन भी हो चुका है। जहां तक असम की बात है, 787 पैक्स द्वारा मॉडल बाएलाज़ अपना लिए गए हैं। हमने 583 पैक्स का कम्प्यूटरीकरण किया है जिसमें 314 का ट्रायल रन जारी हो चुका है। इसमें हमने नए पैक्स डेयरी और मत्स्यकी सहकारी समितियां बनाने का काम भी किया है। इसमें अनाच्छादित 620 पंचायतें हैं और अभी तक 93 पैक्स/ मत्स्यकी डेयरी समितियां गठित की गई हैं। पैक्स द्वारा रिटेल पेट्रोल-डीजल में 57 पैक्स आवेदन असम से आए हैं। सहकारिता क्षेत्र में असम राज्य में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में पायलट प्रोजेक्ट हेतु कुल 155 पैक्स चिह्नित किए गए हैं। इसमें कामरूप जिले के पब-बंगशर एसएस लिमिटेड पैक्स में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उस पर काम प्रगति पर चल रहा है। एलपीजी वितरक के लिए असम में विज्ञापन जारी किया जाना है। जन औषधि केंद्र की यदि मैं बात करूं, तो 193 आवेदन पैक्स में मिले हैं, जिनमें से 111

आवेदनों को अनुमोदन मिल गया है और ड्रग लाइसेंस भी 4 आवेदनो में मिल चुके हैं। पीएम किसान समृद्धि केंद्र में अभी कोई प्रगति नहीं हुई है। इस हेतु हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ पैक्स द्वारा कॉमन सेवा केंद्रों में 517 सीएससी में काम चालू हो गया है तथा सीएससी केंद्र से 22 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। इसी प्रकार से असम में हमारी अन्य गतिविधियां भी जारी हैं और निश्चित रूप से आप जो मांगेंगे, हम और विस्तार से उसे आपको दे सकेंगे।

**माननीय अध्यक्ष** : माननीय मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दीजिए।

श्री बैन्नी बेहनन जी।

**SHRI BENNY BEHANAN:** Thank you, Speaker, Sir. A primary cooperative society, often referred to as a backyard bank, has historically served as the economic backbone of the poor people in the society. But recent years have been challenging for the society especially in Kerala where instances of financial fraud involving prominent political figures have extremely jeopardised the depositors leading to desperate actions like suicide attempts. Earlier, if a primary cooperative society faced such crisis, the District Cooperative Bank had the provision to provide an overdraft. However, the District Cooperative Banks have ceased to operate in Kerala due to their amalgamation with the Kerala State Cooperative Bank. This has become impossible as the Kerala State Cooperative Bank does not have the provision to give such an overdraft. In the light of this circumstance, I would like to know whether the Central Government has given any direction to the Reserve Bank to implement any measures to strengthen such primary cooperative societies and protect the depositors affected by this case.

**श्री बी. एल. वर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी केरल में एक महीने में मेरे दो बार दौरे हो चुके हैं। खासतौर पर मैंने को-ऑपरेटिव क्षेत्र में वहां कई कार्यक्रम किए हैं। केरल में जिस तरह से सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद प्रगति हुई है और केरल से कम्प्यूटराइजेशन के लिए चर्चा चल रही है। विस्तृत डेटा हम आपको दे देंगे। इसके साथ ही साथ बैंकिंग के क्षेत्र में जिस तरह से सहकारिता में कठिनाइयां आती थीं, उन कठिनाइयों को माननीय सहकारिता मंत्री जी ने पूरी तरह से दूर करने का काम किया है। बहुत-से अवरोधों को हटाने का काम किया है। इसके साथ ही टैक्स के कुछ इश्यूज थे, जिनको भी हमने या तो कम किया है, या दूर किया है। निकासी की सीमा को भी हमने बढाने का काम किया है। अत: मैं कह सकता हूं कि केरल का विस्तृत डेटा आप यदि लिखकर देंगे, तो मैं आपको दे दूंगा।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न संख्या 124 - डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे ।

**(Q. 124)**

**डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि किसान सम्मान योजना के माध्यम से 6 हजार रुपये देने का प्रावधान उन्होंने किया। उसी के साथ महाराष्ट्र ने भी उसमें अपना योगदान देने का काम किया है। 'नमो शेतकरी महासम्मान योजना' के माध्यम से अतिरिक्त 6 हजार रुपये किसानों को देने का काम महाराष्ट्र सरकार कर रही है, जिससे 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष किसानों को मिलेंगे। इससे महाराष्ट्र में एक करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा। मैं इस सदन का ध्यान क्लाइमेट चेंज की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। क्लाइमेट चेंज आज हमारे किसानों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में आए दिन बाढ़ या सूखे के कारण किसानों को परेशानी व नुकसान होता है। हर साल हमें कई हजार करोड़ रुपये किसानों को मुआवजे के रूप में देने पड़ते हैं। पिछले एक साल में महाराष्ट्र में 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा मुआवजा किसानों को देना पड़ा है। हर साल फसलों को हो रहे नुकसान के कारण आज हमें क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसमें एक उपयोगी तरीका पॉली हाउस फार्मिंग का है, जिससे शेड के माध्यम से अतिवृष्टि व ओलों से फसलों को बचाया जा सकता है। इसकी लागत बहुत ज्यादा है, जिसे छोटे किसान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के हॉर्टीकल्चर बोर्ड द्वारा शेड नेट और पॉली हाउस के लिए सब्सिडी दी जाती है, जो 50 प्रतिशत है।

लेकिन, जो पॉली हाउस और शेड नेट की एवरेज कीमत है, वह 45 से 50 लाख रुपये प्रति एकड़ होती है, जिसको छोटे और सीमांत किसान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।

मेरा माननीय मंत्री से प्रश्न है कि छोटे और सीमांत किसानों को क्लाइमेंट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जैसे क्रॉप डायवर्सिफिकेशन और पॉली हाउस फॉर्मिंग करने के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट के माध्यम से प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार कोई योजना बना रही है? वर्तमान में शेड कंस्ट्रक्शन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में क्या सरकार कोई विचार कर रही है?

**श्री कैलाश चौधरी:** अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कृषि के अंदर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अगर देखा जाए तो विश्व में भारत अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर था, जो आज पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें कृषि का भी बहुत बड़ा योगदान है, भारत की कृषि का योगदान रहा है। इसमें किसानों का भी योगदान रहा है। इसमें हमारी सरकार ने भी लगातार प्रयास किया है कि किसान को नई तकनीक मिले और किसान प्रिसिशन एग्रीकल्चर से खेती करें। जो होने वाला नुकसान है, कई बार आपदा के समय नुकसान होता है तो उसके सुरक्षा कवच के तौर पर हम उनको केसीसी के माध्यम से सपोर्ट करने का काम करते हैं। आईसीएआर के द्वारा यह भी प्रयास किया जाता है कि जो क्लाइमेंट चेंज की बात बढ़ रही है, उसके लिए क्लामेंट रेजिलिएंट वेराइटीज, विशेषकर आईसीएआर के द्वारा और हमारे सांइटिस्टों द्वारा नई तैयार करके किसानों को वितरित की जा रही है और उन्हें प्रशिक्षण भी दी जा रही है।

जैसा माननीय सदस्य ने पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा सब्सिडी देने की बात की है तो मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगातार इसमें हमारे किसानों की रुचि बढ़ रही है और किसान आकर्षित हो रहे हैं। जहां तक सब्सिडी का सवाल है तो इसमें 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके साथ ही उनको कैसे सुविधा से ऋण उपलब्ध हो सके, उसके लिए हमारी चार-पांच स्कीमें भी हैं, जिनमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है। उसमें चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान, वह एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से दो करोड़ रुपये तक का लोन ले सकता है और उसमें तीन परसेंट ब्याज की भी छूट का प्रावधान है।

ऐसे ही हमारे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से एमआईडीएच के तहत किया जा रहा है, ताकि उसमें उनको सपोर्ट मिले। इसके साथ ही आरकेवीवाई के साथ भी इसको जोड़ा गया है। अगर राज्य सरकार इसमें अलग से सपोर्ट करें तो मुझे लगता है कि किसानों को आरकेवीवाई योजना के माध्यम से वे कर सकते हैं। लेकिन, मेरा इतना जरूर कहना है कि इस ओर जिस तरह से किसानों की रुचि बढ़ी है और इसमें किसानों की संख्या बढ़ रही है, उससे कृषि का उत्पादन भी बढ़ रहा है

और किसानों के सामने जो समस्या आ रही है, उसका समाधान भी निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इसीलिए, आपने देखा होगा कि उन्होंने जो चार जातियां बताई हैं, उनमें एक जाति किसान जाति है, जिसके ऊपर प्रधान मंत्री जी का विशेष ध्यान है।

**डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :** अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला प्रश्न एलाइड सेक्टर से संबंधित है। डेयरी फॉर्मिंग हो, फॉरेस्ट्री हो या फिशिंग हो मुझे लगता है कि इनका भी कृषि में एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। एलाइड सेक्टर्स कैपिटल इंटेसिव होते हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा लागत लगती है। आरबीआई के वर्ष 2019 के रिपोर्ट के अनुसार एलाइड एक्टिविटीज को सिर्फ 10 प्रतिशत एग्रीकल्चर क्रेडिट मिलता है, क्योंकि हर किसान के पास खुद का लैंड होना बहुत जरूरी है। हमारे महाराष्ट्र या बाकी राज्यों में भी छोटे किसानों के पास लैंड बहुत कम होती है। यदि उसको डेयरी उद्योग चालू करना है, एफपीओ चालू करना है तो उसके कारण उसको वहां पर लोन नहीं मिलता है। एफपीओ बनाने के बाद भी वहां पर एग्रीकल्चर क्रेडिट से किसान वंचित रह जाते हैं। एफपीओ का ज्यादा से ज्यादा सैचुरेशन नीचे के स्तर पर होने के लिए सरकार को प्रयास करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इसके अंदर सिंगल विंडो क्लियरेंस और ज्यादा एग्रीकल्चर क्रेडिट, जिस किसान के पास खुद की लैंड नहीं है, उसके लिए भी सरकार को प्रावधान करना चाहिए। उसको प्रॉयोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टेटस देने पर … (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** सर, माइक बंद है। आवाज नहीं आ रही है।

**डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :** सर, मेरा माइक चालू है। माननीय मंत्री जी को सुनाई नहीं दे रहा है।

माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि एलाइड सेक्टर्स, जैसे डेयरी फॉर्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये भी कृषि में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

अगर किसानों को एलाइड सेक्टर्स में फार्मिंग करना है, तो उसमें बहुत ज्यादा लागत आती है। आरबीआई की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार एलाइड एक्टिविटीज़ को सिर्फ 10 प्रतिशत एग्रीकल्चर क्रेडिट मिला है। हर किसान की खुद की जमीन होना बहुत जरूरी है और जिसके पास कम जमीन है, उसको लोन नहीं मिलता है।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य**,** प्लीज शॉर्ट में सवाल पूछिए।

**डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :** महोदय, मैंने दोबारा सवाल पूछा है।

**माननीय अध्यक्ष :** आप रिपीट मत करिए। माननीय मंत्री जी ने सवाल सुन लिया है।

**डॉ**. **श्रीकांत एकनाथ शिंदे :** महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो छोटे किसान हैं, क्या सरकार उनको प्रॉयोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्टेटस देने का कुछ प्रावधान कर रही है, ताकि उनको सिंगल विंडो क्लीयरेंस के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सके?

**श्री कैलाश चौधरी :** माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि एलाइड सेक्टर के अंदर किसानों को सहायता मिले। मैं बताना चाहूंगा कि किसानों को ऋण देने के लिए 19 सितंबर, 2023 को हमने एक पोर्टल जारी किया है, जिसे किसान ऋण पोर्टल कहते हैं। अगर कोई भी किसान उस ऋण पोर्टल पर जाकर लोन अप्लाई करता है, अगर उसको कोई समस्या आती है, तो उसका समाधान किया जाता है। उसको एटीएम पर ही उपलब्ध है। वैसे ही पैसे की कोई सीमा नहीं है, वह चाहे कितनी बार भी निकाल सकता है।

महोदय**,** मैं यह भी बताना चाहूंगा कि केसीसी के माध्यम से एलाइड सेक्टर में किसानों को ऋण देने की बात है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले जो किसान खेती करते थे, सिर्फ उन्हीं को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से केसीसी मिलता था। मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी हमारी सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे फिशरमेन हैं, जो फिशरीज़ का काम करते हैं, उनको भी केसीसी दी जा रही है। उसके साथ ही साथ जो पशुपालक हैं, उनको भी केसीसी के माध्यम से ऋण देने का प्रावधान किया गया है।

पहले वह 1,00,000 रुपये तक था। अब उसको बढ़ाकर 1,60,000 रुपये किया है और वह बिना किसी मॉर्गेज या कोलैटरल पर देने का प्रावधान किया गया है। जो फिशरीज़ और डेयरी के किसान हैं**,** उन किसानों के लिए 2,00,000 रुपये तक का प्रावधान किया गया है**,** जिसका लाभ लगातार किसान ले रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एलाइड सेक्टर के अंदर किसानों को ऋण देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।

**माननीय अध्यक्ष :** डॉ. सुजय विखे पाटील – उपस्थित नहीं।

श्री गौरव गोगोई जी।

**श्री गौरव गोगोई :** अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है कि यहां पर केसीसी लोन के खिलाफ बहुत आउटस्टैंडिंग भी है। जैसा कि मेरे साथी ने कहा है कि आज जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, विभिन्न प्रदेशों में सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, तो ऐसे मत्स्यपालक और किसान हैं, जिन्होंने केसीसी लोन तो लिया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन या बाढ़ या सूखा पड़ने से उनकी जो खेती है या उनका जो मत्स्य का व्यापार है, वह पूरा नष्ट हो जाता है। उसके कारण वे केसीसी लोन की भरपाई नहीं कर पाते हैं।

ऐसे किसानों और मत्स्यपालकों के लिए, जिन्होंने सूखा या बाढ़ की वजह से अपनी साल भर की खेती या व्यापार को नष्ट होते हुए देखा है, क्या सरकार उनके केसीसी आउटस्टैंडिंग को माफ करने के लिए कोई नीति लाएगी या नहीं लाएगी?

**श्री कैलाश चौधरी :** अध्यक्ष महोदय जी, मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि जब किसी किसान को कोई लोन लेना होता था, तो वह किसी सेठ या साहूकार की ओर देखता था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले इस योजना को प्रारंभ किया था, तब केसीसी के माध्यम से किसानों को ऋण मिलना प्रारंभ हुआ था। इसलिए आज उसको किसी के सामने अपने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है।

जब वर्ष 2014 में हमारी सरकार आई, उस समय जो इसका फंड था, वह लगभग 7.30 लाख करोड़ रुपये था। अब उसे बढ़ाकर लगभग 20 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो लगभग तीन गुने से अधिक है। मुझे इसमें यह कहना है कि सरकार किसानों के सपोर्ट करने के लिए हर समय तैयार रही है। जब ऐसी आपदा आती है, तब उसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ उनको फसल बीमा योजना के तहत भी लाभ मिलता है। मुझे लगता है कि किसानों को किसी भी प्रकार से नुकसान न हो, उसके लिए किसानों को भारत

सरकार की ओर से एनडीआरएफ और एसडीआरफ से निश्चित रूप से सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न संख्या 125 - श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा ।

**(Q. 125)**

**श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा विस्तार से उत्तर देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दृष्टिबाधित एससी-एसटी समेत समस्त दिव्यांगजनों के सार्वजनिक जीवन को सुगम्य बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? दृष्टिबाधित समेत समस्त दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मविश्वास को सरकार कैसे बढ़ावा दे रही है? क्या भारत सरकार राज्य सरकारों से मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि हर नेत्रहीन बालिका एवं महिलाओं को प्रत्यक्ष मुलाकात महिला पुलिस द्वारा की जाए, जिससे उनकी जातीय सुरक्षा एवं दुर्व्यवहार का अवलोकन हो सके?

**डॉ. वीरेन्द्र कुमार :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसद सदस्य जी द्वारा दो-तीन प्रश्न एक साथ पूछे गए हैं। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए यह सरकार देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ओर जहां उनकी सुगम्यता के लिए, वहीं उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता की सात श्रेणियां थीं, इनको बढ़ाकर 21 किया गया, शासकीय नौकरियों में तीन परसेंट आरक्षण था, उसको बढ़ाकर चार परसेंट किया गया और उसमें भी एक परसेंट ब्लाइंड दिव्यांगजनों के लिए है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दिव्यांगजनों के लिए तीन परसेंट आरक्षण था, उसको बढ़ाकर पांच परसेंट किया गया। हमारी दृष्टिहीन बालिकाओं और महिलाओं समेत जितने भी दृष्टिबाधित दिव्यांगजन हैं, इन दिव्यांगजनों को 'सुगम्य भारत अभियान' के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उनमें 1,671 भवनों की सुगमता लेखा परीक्षा पूरी की गई और केन्द्र सरकार के 1,100 भवनों सहित 1,771 सरकारी भवनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाने की पहल की गई। अगर हम परिवहन प्रणाली की बात करें तो 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सुगम्य बनाया गया, 55 घरेलू हवाई अड्डों को सुगम्यता की विशेषताएं प्रदान की गईं, 12 हवाई अड्डों पर लिफ्ट उपलब्ध कराई गई और 709 रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया है।

हम देखते हैं कि जब हमारा दिव्यांगजन स्टेशन जाता है तो वह स्मार्ट केन लेकर जाता है। रेलवे स्टेशनों पर उनके लिए अलग से बीच में टाइल्स लगाए जाते हैं, ताकि वे उन टाइल्स पर चलकर आसानी के साथ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके और बगैर किसी सहारे के अपनी यात्रा को करने में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

महोदय, ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिए अलग से बोगियां लगाई गई हैं। ट्रेन में आधी बोगी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रहती है। 42,348 बसों को आंशिक रूप से सुगम्य बनाया गया और 8,695 बसों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया है। अगर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो लगभग 750 केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेशों की वेबसाइट्स को सुगम्य बनाया गया है। भारत सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काफी सक्षमता के साथ कदम आगे बढ़ा रही है। हमारे सांसद महोदय ने एक प्रश्न और पूछा है तो मैं उसके बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए इनको स्किल ट्रेनिंग के साथ जोड़ा जा रहा है।

मैं इंदौर गया था। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी हैं। इंदौर में 'महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ' है। उस छात्रावास में 200 दृष्टिहीन बालिकाएं रहती हैं। जब वे वहां से स्कूल जाती हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाती हैं। जब मैं उस छात्रावास में गया तो देखा कि उनको शिक्षा के साथ-साथ संगीत के साथ जोड़ा जा रहा है। जब वहां कार्यक्रम हुआ तो मेरा मन भाव विभोर हो गया, क्योंकि उन्होंने इतना भाव विभोर होकर स्वागत गीत गाया। उस 'महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ' से आज बेटियां शिक्षित होकर चार स्थानों पर टेलीफोन ऑपरेटर का काम करने लगीं और वहां से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं अपने माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के साथ-साथ अनेक राज्य सरकारों ने भी इस तरह के प्रयास किए हैं कि हमारी दृष्टिहीन बालिकाओं को शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग के साथ-साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

हमारे माननीय सदस्य ने महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में कहा है। हमारे दिव्यांग साथियों, मातृशक्ति और हमारे दृष्टिहीन बालक-बालिकाओं का और महिलाओं का संरक्षण करने के लिए सरकार के द्वारा जो मिशन शक्ति प्रारम्भ किया गया है, उस मिशन शक्ति में बहुत सारी योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं, जिसमें वन-स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, नारी अदालतें, शक्ति सदन, कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास और इसके साथ ही साथ उनके बच्चों के लिए पालना शिशु गृह इत्यादि हैं। इसी तरह से हमारे डिसएबल्ड और दृष्टिहीन बेटियां हैं, उनके कल्याण के लिए और महिलाओं के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ कदम आगे बढ़ा रही है।

**श्रीमती परनीत कौर:** अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहती हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र पटियाला में एक सोसायटी है – सोसायटी फोर हेण्डीकैप्ड। उन्होंने बहुत समय से तीन स्कूल शुरू किए हुए हैं। एक में 150 नेत्रहीन स्टूडेंट्स हैं। इस सोसायटी को 20 से 25 परसेंट ग्रांट सेंटर से भी मिलती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि स्किल डेवलपमेंट के लिए वहां कम्प्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है जिसको जॉज़ बोलते हैं, उसके लिए कोई प्रबंध किया जाए, क्योंकि वह बहुत महंगा है और कम्प्यूटर में वह अपलोड नहीं होता है। उसके माध्यम से जो हमारी नेत्रहीन महिलाएं और बच्चियां हैं, वे कम्प्यूटर सीखती हैं और इस सॉफ्टवेयर से वे ज्यादा आसानी से सीख सकती हैं। हमारे सूबे पंजाब में केवल एक ही ऐसा गवर्नमेंट स्कूल है जो लुधियाना के जोहारपुर में है। उसकी बहुत बुरी हालत है। उसमें कोई बच्ची और महिला नहीं जा सकती है, क्योंकि वहां की हालत इतनी खराब है कि वे वहां रह नहीं सकती हैं। इसलिए वहां केवल पुरुष ही जाते हैं। आपके माध्यम से इनको स्किल ट्रेनिंग देने के लिए मैं आपसे रिक्वैस्ट करती हूं कि आप यह सुविधा उपलब्ध करवाएं।

**डॉ. वीरेन्द्र कुमार :** महोदय, माननीय सदस्या के द्वारा पंजाब में स्किल ट्रेनिंग देने के लिए जो बात उठायी गयी है, मैं माननीय सदस्या जी को अवगत कराना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में राज्यवार जो अनुदान दिया जा रहा है उसमें पंजाब के लुधियाना में वोकेशनल रिहेब्लिटेशन ट्रेनिंग सेंटर भी है, उसके लिए वर्ष 2020-21 में 28.82 लाख रुपये वर्ष 2021-22 में 29.10 लाख रुपये और वर्ष 2022-23 में 30.27 लाख रुपये की राशि जारी की गयी है। इसके साथ ही साथ जहां तक पंजाब का प्रश्न है, पंजाब में ट्रेनिंग सेंटर के लिए आरसीआई के माध्यम से सहायता दी जाती है- Training Centre for Teachers of the Visually Handicapped, Brail Bhawan, Jamalpur, Ludhiana, Punjab. पिछले तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग राज्यों को जो अनुदान दिया गया है, उसमें पंजाब में तीनों वर्षों का बताया गया है। जिन एनजीओ के द्वारा डीडीआरएस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से अनुदान मांगा जाता है, यह उन संगठनों पर निर्भर करता है कि उनको केन्द्र सरकार की अनुदान योजना का लाभ लेना है या राज्य सरकार की योजना का लाभ लेना है। कुछ संगठनों को राज्य सरकार से अनुदान लेना हितकारी लगता है तो वे राज्य सरकार से अनुदान लेते हैं, जिनको केन्द्र सरकार से ज्यादा लाभदायक लगता है वे केन्द्र सरकार के समक्ष रिक्वैस्ट करते हैं तो हमारे पास जिन राज्यों से रिक्वैस्ट आती है, हम उनका परीक्षण करने के बाद अनुदान देते हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न संख्या 126 - श्री सुनील कुमार मंडल ।

**(Q.126)**

**SHRI SUNIL KUMAR MONDAL:** Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity.

Due to lack of a satisfactory answer to my question, through you I would like to ask a question to the hon. Minister. It is seen in various cases that due to lack of judgment procedures and timely submission of chargesheet and inspection report, the number of prisoners is increasing day by day. Compared to the present number of prisoners, the number of prisons is also less. Also, the number of Judges is less, followed by their working days. These factors are also increasing the number of prisoners. So, is the Government planning to take any step in this regard? If not, what are the reasons thereof?

**श्री अजय मिश्र टेनी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जेल का प्रबंधन, जेल और जेल में बंद व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी में आते हैं।

चूँकि यह आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ विषय है। जेलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस कारण से एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रधान मंत्री जी ने गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इस तरह की अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनके माध्यम से जेलों में जो विचाराधीन कैदी हैं, उनकी संख्या को कम किया जा सके। इसके लिए हम लोगों ने सीआरपीसी में धारा 436क को जोड़ा है, जिसमें ऐसे विचाराधीन कैदी, जो जिस आरोप में बंद है, उसकी अधिकतम सजा की आधी सजा काट चुके हैं, उन्हें जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है।

दूसरा, 'प्ली बार्गेनिंग' का ट्रायल शुरू होने से पहले सीआरपीसी की धारा 265क से 265ठ तक में एक नया अध्याय 21क जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि ट्रायल

शुरू होने से पहले वादी और प्रतिवादी पक्ष चाहे तो 'प्ली बार्गेनिंग' के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं।

तीसरा, हमने राज्यों को ई-सॉफ्टवेयर के लिए 100 करोड़ रुपये दिए हैं, जिसके माध्यम से जेलों में ई-सॉफ्टवेयर की स्थापना की गई है और हमने उसे आईसीजेएस से भी जोड़ा है। यह एक ऐसा अंतर प्रचालनीय सिस्टम है, जो इंवेस्टिगेशन, एफ.आई.आर. दर्ज होने, प्रॉसिक्यूशन, एविडेंस कलेक्शन, कोर्ट तथा जेल के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। ई-प्रॉसिक्युशन को जेल में उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता की है, लेकिन वह काम प्रदेशों को ही करना है, जिसके माध्यम से हम ऐसे कैदियों की संख्या, जिनको कई जुल्मों में सजा हुई है, उनकी सजा कब पूरी होने वाली है तथा कई कैदियों की सजा पूरी हो जाती है, लेकिन उसकी गणना सही ढंग से नहीं हो पाती है तो इससे ऐसी सारी चीजें उपलब्ध होंगी। जिले की जो कमेटी होगी, उस कमेटी में डीएम, एसपी, वहां के डिस्ट्रिक्ट जज और जेल का सुपरिटेंडेंट शामिल होगा। वे उसे तय करते हैं।

हमने चौथी एक व्यवस्था 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' शुरू की है। इसके अंतर्गत जेल के अंदर ऐसे विचाराधीन कैदियों को कानूनी सलाह भी दी जाती है। हम जेलों में विधिक क्लिनिक भी चला रहे हैं। इसका उत्तर बहुत विस्तार में है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में कर रहा हूँ। हम नि:शुल्क कानूनी मदद भी देते हैं।

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी, समय हो गया है।

**श्री अजय मिश्र टेनी:** माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है। इसके बाद अभी और भी नए कानून आए हैं, उनसे भी मदद मिलेगी, जिससे जेल के कैदियों की संख्या कम होगी।

**श्री सुनील कुमार मंडल :** आपने मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट के लिए 950 करोड़ रुपये दिए हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट में आपने पश्चिम बंगाल के लिए कितना फंड अप्रूव किया है?

**श्री अजय मिश्र टेनी:** माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने बताया कि जेलों का प्रबंधन तथा जेलों का निर्माण प्रदेश सरकार का काम है, लेकिन हम उनका आधुनिकीकरण करने में, टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने में और दूसरी एडवाइजरी जारी करने में उनकी मदद करते हैं। हम लोगों ने जेल

मॉडर्नाइज़ेशन के तहत सभी प्रदेश सरकारों को फंड दिया है। पश्चिम बंगाल को वर्ष 2023-24 के बजट में 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

## *WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

**(Starred Question Nos. 127 to 140**
**Unstarred Question Nos. 1381 to 1384,**
**1386 to 1441, 1443 to 1489 and 1491 to 1610)**
**(Page No. 38 to 990)**

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

**12.00 hrs**

## RESIGNATION BY MEMBER

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि तेलंगाना के भोंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी ने लोक सभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

मैंने 11 दिसम्बर, 2023 से उनके त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया है।

…(व्यवधान)

---

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

…(व्यवधान)

**HON. SPEAKER:** No, it is a State subject, please.

… (*Interruptions*)

**12.01 hrs**

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**माननीय अध्यक्ष :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

Shri L. Murugan.

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINIG (DR. L. MURUGAN):** Sir, on behalf of Shri Anurag Singh Thakur, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995:-

(1) The Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.121 in weekly Gazette of India dated 23rd September, 2023.

(2) The Cable Television Networks (Second Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.719(E) in Gazette of India dated 5th October, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10277/17/23]

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल):** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2022-2023 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10278/17/23]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10279/17/23]

(ख) (एक) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10280/17/23]

(ग) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बेंगलुरु और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एचएमटी लिमिटेड, बेंगलुरु और उसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10281/17/23]

(घ) (एक) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10282/17/23]

(ड.) (एक) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पलक्कड़ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10283/17/23]

(च) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10284/17/23]

(छ) (एक) नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10285/17/23]

(ज) (एक) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10286/17/23]

(झ) (एक) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10287/17/23]

(ञ) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपा नगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपा नगर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10288/17/23]

(ट) (एक) एण्ड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एण्ड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10289/17/23]

(ठ) (एक) ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10290/17/23]

(ड) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10291/17/23]

(ढ) (एक) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10292/17/23]

(ण) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10293/17/23]

(त) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10294/17/23]

(थ) (एक) रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10295/17/23]

(द) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10296/17/23]

**मत्स्यपालन**, **पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान):** अध्यक्ष महोदय, मैं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 जो दिनांक 16 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.193(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुपालन प्रथाएं और प्रक्रियाएं) नियम, 2023 जो दिनांक 21 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 208(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10297/17/23]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय):** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) *राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली* के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) *राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली* के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट विभिन्न सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) *राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली* के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10298/17/23]

(2) (एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10299/17/23]

(3) (एक) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10300/17/23]

(4) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3477(अ) जो दिनांक 3 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें दिनांक 3 अगस्त, 2023 की अधिसूचना सं. 2696(अ) का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(दो) का.आ.3478(अ) जो दिनांक 3 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तहसील अमलारेम (दावकी गांव), जिला पश्चिम जयंतिया हिल्स, मेघालय, भारत, पिन कोड – 793109 में बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो प्वाइंट तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 के साथ 21.99 एकड़ माप वाली भूमि में अवस्थित दावकी भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 10301/17/23]

(5) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, एयर विंग ऑफिसर्स (समूह 'क' युद्धक पद) काडर, भर्ती नियम, 2023, जो 27 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 800(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10302/17/23]

(6) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप-निरीक्षक (अनुसचिवीय), निरीक्षक (अनुसचिवीय) और सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2023 जो 6 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.817(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ट्रेड्समेन काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 जो 16 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.840(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10303/17/23]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (KUMARI SHOBHA KARANDLAJE):**

Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Jammu and Kashmir State Agro Industries Development Corporation Limited, Srinagar, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Jammu and Kashmir State Agro Industries Development Corporation Limited, Srinagar, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10304/17/23]

(2) A copy each of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Seeds Corporation Limited and the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for the years 2023-2024 and 2024-2025.

[Placed in Library, See No. LT 10305/17/23]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Cold Chain Development, Gurugram, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Cold Chain Development, Gurugram, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10306/17/23]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad, for the year 2022-2023.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad, for the year 2022-2023, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10307/17/23]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 36 of the Insecticides Act, 1968:-

(i) The Insecticides (Fifth Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.794(E) in Gazette of India dated 26$^{th}$ October, 2023.

(ii) The Insecticides (Sixth amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.827(E) in Gazette of India dated 8th November, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10308/17/23]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:-

(i) The Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Seventh) Amendment Order, 2023 published in Notification No. S.O.3831(E) in Gazette of India dated 29th August, 2023.

(ii) The Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Eighth) Amendment Order, 2023 published in Notification No. S.O.4251(E) in Gazette of India dated 27th September, 2023.

(iii) The Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Ninth) Amendment Order, 2023 published in Notification No. S.O.4645(E) in Gazette of India dated 25th October, 2023.

(iv) S.O.4918(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2023 authorizing manufacturers of Fermented Organic Manure and Liquid Fermented Organic Manure, mentioned therein, to sell in bulk directly to farmers for a further period of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

(v) The Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Tenth Amendment Order, 2023 published in Notification No. S.O.5051(E) in Gazette of India dated 24th November, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10309/17/23]

(7) A copy of the Insecticides (Prohibition) Order, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.4294(E) in Gazette of India dated 3rd October, 2023 under sub-section (2) of Section 27 of the Insecticides Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 10310/17/23]

(8) A copy of the Notification No. S.O.4844(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 8th November, 2023, making certain amendments to the Notification No.S.O.93(E) dated 3rd January, 2020, issued under the Insecticides Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 10311/17/23]

**कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी):** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10312/17/23]

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक):** अध्यक्ष महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10313/17/23]

(2) (एक) श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10314/17/23]

(3) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 78 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऑफिस ऑफ द चीफ कमीशनर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) ऑफिस ऑफ द चीफ कमीशनर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन पर

व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके साथ प्रतिवेदन संसद के सभा पटल पर रखा जा रहा है।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10315/17/23]

---

**12.02 hrs**

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

46th and 47th Reports

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL):** Sir, on behalf of Shri Pralhad Joshi, I beg to present the Forty-sixth and Forty-seventh Reports of the Business Advisory Committee.

---

**12.03hrs**

## COMMITTEE ON ESTIMATES

31st Report

**डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के विकास का कार्यान्वयन – एक समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2023-24) का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

**12.03½hrs**

## COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

21st Report

**श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली):** अध्यक्ष महोदय, मैं 'ऑयल इंडिया लिमिटेड' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

**12.04 hrs** (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

## STANDING COMMITTEE ON ENERGY

Statements

**SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ):** Sir, I beg to lay on the Table the following Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Energy:-

(1) Statement showing final action-taken by the Government on observations/recommendations contained in Chapter-I of the Thirty-seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Energy on action-taken by the Government on observations / recommendations contained in the Twenty-first Report (Seventeenth Lok Sabha) on the subject 'Financial constraints in Renewable Energy Sector'.

(2) Statement showing final action-taken by the Government on observations/recommendations contained in Chapter-I of the Thirty-eighth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Energy on action-taken by the Government on observations/recommendations contained in the Twenty-seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) on the subject 'Evaluation of Wind Energy in India'.

---

**12.04½hrs**

**STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS**

26th Report

**श्री पी. पी. चौधरी (पाली):** सभापति महोदय, मैं 'भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) – सहयोग की रूपरेखा' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

**12.05 hrs**

## STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

34th Report

**SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY):** Sir, I beg to present the Thirty-fourth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution (2023-2024) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-eighth Report on the subject – 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY)' pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

---

**माननीय सभापति :** आइटम नंबर 15 – माननीय गृह मंत्री जी।

… (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** श्री नित्यानन्द राय जी।

**12.05½ hrs**

## GOVERNMENT BILLS- Introduced

(i) JAMMU AND KASHMIR REORGANISATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2023*

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय):** महोदय, माननीय अमित शाह जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**माननीय सभापति :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रो. सौगत राय जी।

**PROF. SOUGATA RAY** (**DUM DUM**): Sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I beg to oppose the introduction of the Bill further to amend the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019.

Yesterday, the Supreme Court in a judgement has upheld the abrogation of Article 370 by the Government of India. Now, the main question remains when elections will be held in Jammu and Kashmir. The Supreme Court has said that elections must be held in September 2024. All I want to say is that the

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 12.12.2023.

Jammu and Kashmir Reorganization (Second Amendment) Bill is meant to give reservation to women in Jammu and Kashmir Legislative Assembly. So, unless the elections are announced by the Election Commission, there is no hurry to pass this Bill of reserving seats in the Jammu and Kashmir legislature. That is why I oppose this Bill.

**माननीय सभापति :** मंत्री जी, आपको कुछ कहना है?

**श्री नित्यानन्द राय :** महोदय, जब रिप्लाई होगा, उस समय सारी बात कह देंगे।... (व्यवधान) रिप्लाई के समय इनकी सारी बात का जवाब दे देंगे।... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** ठीक है।

**प्रो. सौगत राय :** आपने जवाब नहीं दिया।... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** प्रश्न यह है:

> "कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

**माननीय सभापति :** माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।

**श्री नित्यानन्द राय :** महोदय, मैं विधेयक को पुर**:**स्थापित करता हूं।

---

**माननीय सभापति :** आइटम नंबर 16.

**<u>12.08 hrs</u>**

## (ii) GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (AMENDMENT) BILL, 2023*

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय):** महोदय, माननीय अमित शाह जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**माननीय सभापति :** प्रश्न यह है:

> "कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

**माननीय सभापति :** माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए।

**श्री नित्यानन्द राय :** महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 12.12.2023.

**HON. CHAIRPERSON:** Now, we take up 'Zero Hour'.

Dr. Umesh G. Jadav.

**DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA):** Hon. Chairperson, Sir, I have been raising a very important issue for the past three years regarding inclusion of Koli, Kuruba and Kabbaliga in the ST List. In this regard, all the Commissions of the State and the State Government have recommended for inclusion of Koli, Kabbaliga and Gangamatha and its synonyms in the ST List of Karnataka. Currently, it is with the RGI for evaluation. Also, the necessary ethnographical study report and tribal character of these tribes in the Census Reports of 1901 to 1931 have been sent by the State Government for the purpose of including them in the ST List.

Currently, some of the communities like Tokre Koli, Dhor Koli, Koya, Kolcha, Kolga, Raj Koya and Bin Koya are included in the ST List of Karnataka since 1976 at serial numbers 22 and 26. But the remaining left over from the Tokre koli, Koya and Dhor Koli, that is, Koli, Kabbaliga, Gangamatha and their 34 synonyms are also necessary to be included in the ST List of Karnataka.

Hon. Chairperson, Sir, I would like to urge, through you, the hon. Minister of Tribal Affairs that now this file is with the RGI for evaluation. I would request the Minister to get the matter expedited and include the Koli Kabbaliga community in the ST List.

Also, the Gonda, that is, Kuruba of Gulbarga and Bidar districts, are demanding for inclusion of their community in the Scheduled Tribes List. Since Independence, the Kuruba community was having the ST status. In 1977,

Justice L.G. Havanur, who headed the Backward Classes Commission, moved the Kurubas to the 'Most Backward Classes' category from the ST List. However, the Commission brought in an area restriction stating that those living in Bidar, Yadgir, Kalaburagi and Madikeri with Kuruba synonyms can continue to avail of the ST benefits, but still people from these districts are denied the ST certificates either for education or for employment.

Sir, with respect to Kuruba, the alternate word for Gonda, in Kalaburagi, Bidar and Yadgir districts, the report of complete genealogical study was passed in the Cabinet of Karnataka Government on 04.03.2014 and a proposal had been sent to the Central Government. Here, I would like to mention that I have met the hon. Minister along with a delegation a couple of times in the past three years to consider this request positively. Since then, it is a long pending demand from my parliamentary constituency and from the State of Karnataka. The people of these two communities are very backward, educationally, economically and socially. If they are included in the ST List, it would help them to get reservation benefits in both education and employment.

Thank you.

**माननीय सभापति :** माननीय सदस्यगण, जम्मू-कश्मीर तथा पुडुचेरी में महिला आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 में 1 बजे तक अमेंडमेंट्स दिये जा सकते हैं।

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य प्रहर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने संसदीय क्षेत्र नालंदा के बारे में कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी, उसका अधिक किराया वसूला जा रहा था। आज जब कोरोना समाप्त हो गया है, महँगाई की भी मार है, तो गरीब लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि स्पेशल ट्रेन का बढ़ा हुआ किराया वापस लिया जाए। इसी से संबंधित मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि नालंदा रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव अनिवार्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहाँ ओपन यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन किया गया है और उस विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों और प्रोफेसर्स की भी डिमांड रही है कि नालंदा रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव दिया जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रहुई है, जो पहले स्टेशन था, अभी उसे हॉल्ट बना दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर डेंटल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। यहाँ काफी मरीज इंटरसिटी ट्रेन से आते-जाते हैं। लेकिन रहुई में इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे स्टेशन से हटाकर हॉल्ट कर दिया गया है। मेरी मांग है कि रहुई रोड हॉल्ट को स्टेशन का दर्जा दिया जाए और वहाँ पर इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव दिया जाए।

महोदय, देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में पहले छूट दी जाती थी, लेकिन कोरोना काल से ही उस छूट को समाप्त कर दिया गया है। अब कोरोना काल समाप्त हो गया है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को इसकी सुविधा नहीं मिल रही है।

मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि ट्रेन्स में वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधा मिलती थी, वह मिलनी चाहिए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम) :** सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

सर, मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र मुंबई उप-नगर में आने वाले बोरेवली के मागाठाने बस डिपो से लेकर जोगेश्वरी विकोली लिंक रोड को जोड़ने वाला रास्ता करीब-करीब पूरा हो चुका है। इस रास्ते में केवल 38 मीटर का छोटा सा भाग संजय गांधी नेशनल पार्क से गुजरने के कारण और इसे बनाने के लिए भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति न मिलने के कारण इस 38 मीटर रोड का काम पिछले आठ वर्षों से अधूरा पड़ा है।

सर, मुंबई में ट्रैफिक जाम की बहुत तकलीफ रहती है। उसके लिए यह पैरलल रोड बनाई गई थी। जब यह पैरलल रोड बनेगी, तो ट्रैफिक जाम 25 प्रतिशत कम हो जाएगा, इतना इस रोड का महत्व है।

सर, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि इस महत्वपूर्ण रोड के काम के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' तुरंत जारी किया जाए, जिससे इस रोड का काम पूरा हो सके और मुंबई को ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल पाए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

*__SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA):__ I thank you, Chairman Sir. I am raising the issue of farmers of Punjab. I am giving voice to the demands of farmer unions.

I had raised this issue in this very august House on 17th September, 2020 that if you do not provide justice to farmers, the farmers and labourers will agitate on roads. You already know that the farmers' agitation went on for over a year. The Government had to withdraw the Bills it had brought under pressure. Today, the Agriculture Minister has changed. However, the farmer unions have handed over this memorandum to us. They said that if we do not raise this issue in the Parliament, then they will oppose the 2024 general elections in the villages.

Sir, as per their memorandum, I am raising these points here. First of all, as per Swaminathan Commission Report, C2+50 per cent formula must be implemented. For all crops, MSP should be increased and buying of crops must be guaranteed. Secondly, Sir, the Committee was constituted by Government unilaterally. Farmers were never a part of it. The Government held 11 to 12 meetings. Farmers were never consulted.

So, a new Committee should be formed which should include the farmer unions. Also, 80 per cent farmers and labourers are incurring losses. Their debts should be done away with. Thirdly, it had been decided that Electricity Reform Bill will not be brought in the House. But, through backdoor, this Bill is being brought in the House. Sir, our small and marginalized farmers and

---

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

labourers, our mothers, sisters etc., they must be provided at least Rs.10,000/- pension by the Government.

Sir, all cases registered against farmers should be done away with. These FIRs must be quashed. Farmers are agitated and they are planning to re-launch the agitation in Delhi. सर, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। किसान दोबारा यहां आ जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि दिल्ली बंद हो गई। जो बीकेयू, लखोवाल, डिकोन्डा हैं, जो सबसे बड़ा हमारा बीकेयू सिद्धूपुर है, ऐसे ही हमारी जो कीर्ति किसान यूनियन है, ये सारी यूनियन्स हैं। वर्ष 2013 में यहीं लैंड एक्वीजिशन बिल पास किया गया था। उसे बदल दिया गया है और स्टेट्स में उसे लागू करने के लिए बोला गया है। The 2013 Land Acquisition Bill should be brought again. Over 700 farmers died during farmers' agitation. Their families must be granted 10 lakh rupees as compensation and jobs should be provided to their kith and kin by the Central Government.

महोदय, मेरी दूसरी बात यह है कि खेती का काम पॉल्यूशन में कैसे आ जाएगा? इंडस्ट्री तो पॉल्यूशन में आ सकती है। जितने खेती के धंधे हैं, जितने खेती के काम हैं, उन्हें पॉल्यूशन से बाहर निकालना चाहिए। यहाँ दिल्ली में उन किसानों का बड़ा मेमोरियल बनना चाहिए, जो किसान यहाँ पर शहीद हुए हैं, नहीं तो वे दोबारा सड़कों पर आएंगे और सरकार के लिए मुश्किल होगी।

धन्यवाद।

**माननीय सभापति :** रवनीत जी, आपके जीरो ऑवर का विषय रिलीफ टू फार्मर्स है। आप आन्दोलन तक पहुँच गए।

श्री मनीष तिवारी जी।

***SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB):** I thank you, Chairman Sir. In the Constitution of India, Education is in the Concurrent List. Nowadays, people are talking about an important issue. That is, 1158 Assistant Professors were recruited during the tenure of Congress Government during October to December, 2021. Out of them, several Professors joined their jobs. The recruitment of several Professors was quashed by the High Court. The appeal is pending.

An unfortunate incident has happened. One of these Assistant Professors Bibi Balvinder Kaur ji has committed suicide on October, 2023. She was from my constituency. The academic circle in Punjab is very upset and angry.

I urge upon the Government that either through the Hon. Governor or through the Central HRD Minister, some solution must be found to this imbroglio. Nowadays, getting job is very difficult. But, here, jobs of many Assistant Professors have been taken away. So, the Government should look into this matter and provide justice to these people. Thank you.

---

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

**श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** महोदय, आज मैं एक बहुत ही आवश्यक विषय पर सदन में बोलने जा रही हूँ।

मैं सदन का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले उत्तर बिहार के मोतिहारी-शिवहर-मुजफ्फरपुर पथ की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार में देश के सुदूर क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से देश में अभूतपूर्व गति से राजमार्गों का विकास एवं निर्माण हो रहा है। ज्ञात हो कि मेरा शिवहर संसदीय क्षेत्र भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित एक पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ सड़क एवं परिवहन का अभाव है। मेरे क्षेत्र से गुजरने वाले मोतिहारी-शिवहर-मुजफ्फरपुर पथ का अधिकांश भाग स्टेट हाइवे में आता है तथा इसकी कुल लम्बाई लगभग 110 किलोमीटर है। यदि इसको एन.एच. की श्रेणी में शामिल करते हुए इसका रूट मोतिहारी-ढाका-बेलवा-शिवहर-मीनापुर-झपहां किया जाता है तो इससे पूर्वी चम्पारण, शिवहर एवं मुजफ्फरपुर जिला परस्पर एक ही रूट में जुड़ जाएंगे तथा इनसे जुड़े पिछड़े इलाके का विकास संभव हो सकेगा।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जनता के व्यापक हित में बिहार के मोतिहारी-ढाका-बेलवा-शिवहर-मीनापुर-झपहां पथ को नये एन.एच. के रूप में शामिल करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा):** सभापति जी, मैं भीलवाड़ा क्षेत्र की एक बड़ी समस्या के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री को अवगत कराना चाहता हूं। भीलवाड़ा में काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और वहां ईएसआईसी लागू है। वहां एक लाख से ज्यादा कर्मचारी मासिक अंशदान करते हैं और यदि उनके परिवार के सदस्य मिला लें तो कुल पांच लाख लाभार्थी ईएसआईसी द्वारा स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है कि वहां ईएसआईसी राज्य सरकार द्वारा संचालित है और बेड्स की संख्या तो ज्यादा है लेकिन वहां डाक्टर्स और स्पेशलिस्ट्स के बहुत ज्यादा पद रिक्त हैं। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि सरकार इसे आदर्श अस्पताल घोषित करके ईएसआईसी स्वयं के अंडर ले और स्वयं संचालित करे, ताकि वहां काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिवारजनों को चिकित्सा का पूरा लाभ मिल सके।

**SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD):** Sir, the farmers, especially from the district of Palakkad which is the rice bowl of Kerala, are facing immense difficulties on account of less return for their produce as well as the backlog of amount for the paddy given to the Government. The Government of Kerala has failed to disburse paddy procurement price to thousands of farmers, citing that the Central share of procurement price has not yet been released to the State Government. The farmers were not able to sow for the second season and many of them are on the verge of committing suicide as the farmers are not able to repay the banks loans and other debts due to non-disbursement of money by the Government.

Therefore, I urge upon the Government to look into it and address this issue very seriously. Thank you.

**श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग):** सभापति जी, मैं शून्य काल में देश के अंदर बढ़ते हुए अपराधों के बारे में बोलना चाहता हूं।

**माननीय सभापति :** आपका विषय इंस्टालेशन ऑफ ए स्टेच्यू के बारे में था।

**श्री विनायक भाऊराव राऊत :** महोदय, आप यह देखिए, मैंने विषय बदलने की रिक्वेस्ट दे दी थी।

**माननीय सभापति :** यहां से दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन ठीक है। आप बोलिए।

**श्री विनायक भाऊराव राऊत :** महोदय, मैंने 11 बजे विषय बदलने की रिक्वेस्ट दे दी थी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से देश में बढ़ती हुई गुनाहगारी के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत करना चाहता हूं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती दर को सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। जैसा कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, एनसीआरबी की नवीनतम 'भारत में अपराध रिपोर्ट, 2022' पेश हुई है, उसके माध्यम से जिस तरह से अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, उसमें सौभाग्य से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ओवरऑल गुनाहगारी में कमी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से महिलाओं और बच्चों के प्रति जो गुनाहगारी बढ़ी है, वह भारी चिंता की बात है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में 428278 मामले सामने आए, लेकिन पिछले वर्ष महिलाओं के खिलाफ मामलों की संख्या बहुत कम थी। महिलाओं के खिलाफ मामलों में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं का अपहरण, शील भंग करने के इरादे से हमला और बलात्कार की घटनाएं ज्यादा होती हैं। महिलाओं के प्रति अपराध में जिन राज्यों में ज्यादा अपराध हो रहे हैं, उनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा हैं।
इन पाँच राज्यों में महिलाओं और बालकों के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो चुके हैं।

सभापति महोदय, वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में अत्याचारों में करीब 9 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। इनमें अधिकांश मामले, 45 प्रतिशत से ज्यादा अपहरण के मामले हैं। यौन अपराध के मामले 39 प्रतिशत हो चुके हैं। इसी तरह से, अगर देखें तो पूरे देश में महिलाओं और यौन

अपराध से पीड़ित बच्चे-बच्चियों के मामले में इनके साथ बलात्कार की दुर्घटनाएं भारी संख्या में हो रही हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की यह बढ़ती दर हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आकांक्षाओं और उनके कल्याण की संभावनाओं को सीमित करती है। इसलिए, मैं गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित राज्य सरकार के साथ मिलकर एक विशेष टास्क फोर्स का निर्माण करें और संबंधित पुलिस तन्त्र को ज्यादा एलर्ट करें।

**श्री संतोष कुमार (पूर्णिया):** सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, पूर्णिया जिला भारत के प्राचीनतम जिलों में शामिल है। यह उत्तर बिहार में है, जहां व्यापारिक मंडी है और वह एक व्यापारिक केन्द्र है, लेकिन रेल कनेक्टिविटी के मामले में यह काफी पीछे है और इस इलाके की लगातार उपेक्षा हो रही है। मैं पूर्णिया के रेल यात्रियों के आवागमन हेतु सरकार से मांग करता हूं कि 13205/13206 जनहित एक्सप्रेस और 14617/14618 जनसेवा एक्सप्रेस, जिनके पूर्णिया कोर्ट रेलवे स्टेशन तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय में लम्बित है, उसे स्वीकृति दें, जिससे इन दोनों गाड़ियों का परिचालन पूर्णिया कोर्ट तक हो सके।

महोदय, इसके साथ ही, मैं पूर्णिया कोर्ट और जानकी नगर रेलवे स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस और हाटे बाजारे एक्सप्रेस की ठहराव की मांग करता हूं। इसे लेकर उस इलाके में कई बार जनांदोलन हो चुके हैं। इसलिए, आपके माध्यम से हम माननीय रेल मंत्री जी से मांग करते हैं कि इन ट्रेनों का ठहराव हो।

महोदय, मेरी मांग है कि पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर वाशिंग पिट का निर्माण हो। यह प्रपोजल काफी समय से पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

महोदय, देश के प्रधान मंत्री जी यह कहते हैं कि देश का जो पिछड़ा इलाका है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसे आगे लाना है। रेल के विषय में हम लोगों ने दर्जनों बार लिखित रूप से और मौखिक रूप से रेल मंत्री जी से आग्रह किया है, सदन के माध्यम से भी आग्रह किया है, लेकिन जो एस्पिरेशनल इलाका है, उस पर रेल के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। खासकर, उत्तर बिहार का जो इलाका है, पूर्णिया का इलाका है, अररिया का इलाका है, किशनगंज का इलाका है, यह रेल के मामले में महरूम है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस इलाके को रेल के मानचित्र में आगे लाया जाए।

**SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR):** Thank you, Sir. Odisha farmers have been hit by non-payment of their claims under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Even after several pleas from them, the insurance companies are yet to settle dues of the farmers which amounts to more than Rs.600 crore.

The objections raised by the insurance companies have been duly compiled with, yet the claims have not been settled which has led to farmers' unrest in many places and it is likely to affect the enrolment process for the next season. Odisha was one of the first States to implement the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and has been continuing with the programme since Kharif 2016. The insurance companies have made a hefty profit of more than Rs. 40,000 crore in the country since implementation of the scheme in 2015-16, but they are not settling the dues of the farmers.

Through you, Sir, I would request the Government to look into the matter and issue a suitable directive through the Department of the Agriculture and Farmers Welfare, Government of India to the insurance companies for settlement of the claims at the earliest for safeguarding the interests of the farmers. Thank you, Sir.

**SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA):** Thank you, hon. Chairperson, Sir.

In Kerala, regular train services including Venad Express, Parasuram Express, Malabar Express, Sabari Express are running packed to the fullest, and the railway authorities are not giving the State extra train services, extension of trains, extra bogies, new bogies, and more stoppages to various trains. The worst part is that the trains that were cancelled due to lockdown are yet to be restored even though years have passed after the pandemic. I would request that more coaches be provided in passenger, MEMU and express trains in Kerala in all the railway divisions operating in the State.

Further, Nilambur-Kottayam Express train be extended to Kollam and Punalur so that passengers who are unable to avail the services of any train after Venad and Palaruvi Express departs, would be able to avail train services. The trains running in Kollam-Sengottai section are having only 14 bogies causing rush in the trains. These 14 bogies are not sufficient. Therefore, I request the Railways that instead of 14 bogies, 20 bogies should be provided in Kollam-Sengottai Section.

Hon. Chairperson, Sir, I would also like to point out that since the services of Vande Bharat trains have begun, almost all other trains are being held at various stops for giving right of way to the express train to pass on priority. This situation is causing daily passengers, who are mostly employees, traders and students, to lose their precious time. So, the Railways must find a way to address this issue at the earliest.

Hon. Chairperson, Sir, I would also like to state that the passenger trains, which are the lifelines for regular commuters, are converted into express trains. This scenario has also affected the regular commuters. I request that more passenger trains be provided in the State of Kerala, and more coaches in current passenger trains be also allotted as well.

The festival season has already started and vacation season has also begun. The number of passengers travelling by train is increasing day by day. But sufficient train services are not available in Kerala. Therefore, through you, I would like to request the Government to address this important issue immediately.

Thank you, Sir.

**SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR):** Hon. Chairperson, Sir, the widening project of National Highway No. 66 – Kerala is progressing. It is one of the largest national highway projects in the State of Kerala. But people living on both the sides of the national highway have many concerns as they feel divided and separated in their villages and towns by this NH-66. People have been requesting for the construction of small vehicle underpasses at various places to ensure connectivity and access between the two sides. In my constituency Thrissur, small vehicle underpasses should be constructed in Mandalamkunnu Junction in Punnayur and Punnayurkulam Panchayats, in Chettuva of Engandiyur Panchayat, in Pulampuzha and Puliyamthuruthi of Thalikkulam Panchayat, in Nattika Centre of Nattika Panchayat, and in Edamuttam Center of Valappad Panchayat.

I had conveyed these demands of the people to the hon. Minister of Road Transport and Highways Shri Nitin Gadkari ji and the officials of NHAI. But there is no proper step taken by the Ministry to solve the issues and concerns of people. So, the people are agitating. I once again request the hon. Minister of Road Transport and Highways to consider this, and approve these demands of the people. This is an important and serious issue of my constituency of Thrissur, Kerala.

Thank you, Sir.

**श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल):** सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में अपने क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, सुपौल संसदीय क्षेत्र के पूर्व-मध्य रेलवे अंतर्गत प्रतापगंज से भीमनगर नई रेल लाइन के लिए प्रो-इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण (आरई) के सर्वे के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति मिली थी और कार्य प्रगति पर था। सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। महोदय, वर्ष 1934 की भूकंप में उक्त खंड पर रेल लाइन ध्वस्त हो गयी थी, किंतु अभी तक रिस्टोरेशन नहीं हुआ है। वहां रेल का परिचालन भी प्रारंभ नहीं हुआ है। मैं सरकार से बराबर इसकी मांग करते आ रहा हूं।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उक्त रेल खंड को पुन: चालू कर रेल यातायात का परिचालन शीघ्र किया जाए, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के जनता को इसका लाभ मिल सके।

**श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली):** धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे एक सामाजिक व्यवस्था पर बोलने का मौका दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूर दृष्टि से समाज के सभी जाति एवं वर्गों के, चाहे वह महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा है, उनके उत्थान के लिए कार्य किये जा रहे हैं। हमारे रेलवे के अंदर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ सीट्स आरक्षित होती हैं। वे सीट्स उनके आवागमन के लिए आरक्षित हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड हैं। आज के इस भागदौड़ के समय में परिवार छोटे होते जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नागरिक रेलवे में सफर करते हैं। उनकी आरक्षित सीट्स लिमिटेड है, जबकि ज्यादा लोग सफर करना चाहते हैं। जब वे सफर करते हैं तो उनको ऊपर की बर्थ मिलती है। इससे उनको एक बड़ी गंभीर समस्या को फेस करना पड़ता है। जैसा मैंने कहा है कि अब परिवार भी छोटे हो गए हैं, लोग भागदौड़ के जीवन में समय भी नहीं दे पाते हैं कि वे अपने बुजुर्ग पैरेंट्स को ट्रेन में छोड़ कर चले गए और अगले स्टेशन पर कोई लेने के लिए आ जाएगा।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से निवेदन है कि सीनियर सिटीजन की जो बर्थ है, उसको कम्प्लसरी लोअर बर्थ करने की कृपा की जाए। इससे हमारे सीनियर सिटीजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती):** सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के जनपद बलरामपुर की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह जनपद बलरामपुर उतर प्रदेश के सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला क्षेत्र है। चदंनपुर (पचपेड़वा), भारत-नेपाल सीमा से पचपेड़वा, गनेशपुर, जैतापुर, उतरौला, मनकापुर, नवाबगंज, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और संगमनगरी प्रयागराज तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित करके स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य कराया जाए। इससे आजादी के 75 वर्षों के बाद अनुसूचित जनजाति एवं देश की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल को लाभ होगा। चंदनपुर और भारत-नेपाल सीमा पर आने जाने के लिए, धर्मनगरी अयोध्या एवं संगमनगरी प्रयागराज तक जाने के लिए यह एक मात्र सड़क है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष मांग करता हूं कि इस मार्ग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत निर्माण कार्य कराने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE):** Sir, I would like to rise before you to speak about some burning issues being faced by Railways in northern Kerala.

Shoranur-Mangalore segment of Palghat Division of Southern Railways faces brutal disparity in comparison with rest of the Divisions of Southern Railways.

Bengaluru is the nearest metropolitan city to North Kerala, nearer than its own State capital Trivandrum.

While South Kerala under Thiruvananthapuram Division has 11 trains for Bengaluru, North Kerala under Palghat Division has just two trains for Bengaluru.

Train no.16511/16512 which commutes between Bengaluru and Kannur via Mangalore stands idle at Kannur railway station for six hours. If this train is extended up to Kozhikode, as has been demanded many times, by utilising that idle time, we will get one train for Bangaluru and it will alleviate the rush in evening trains for the North Kerala.

Besides this, a new Vande Bharat train between Bengaluru and Kozhikode via Palghat is very much needed for this part of the country as the waiting lists are always long in all the classes.

Secondly, urgent measures should be taken to introduce more MEMUs in North Kerala to reduce the brutal rush in office or school-going hours. Here also, South Kerala has 13 MEMUs while North Kerala has just one. So, I would like to request the hon. Minster to consider these suggestions and sort out these issues. Thank you.

**SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG):** Sir, I would like to draw the attention of the Government of India to the alarming rise of cancer patients in our country. As per the figure of the National Cancer Registry, the number of patients in 2018 was 13,25,232. This figure has risen to 14,61,427 in 2022, and this figure is not exhaustive.

We also know that the incidence of cancer is not uniform all over the country. In certain parts of the country, the incidence of cancer is more than in other parts of the country. Unfortunately, the Northeastern region has become a kind of cancer capital of India.

Sir, you will be surprised to know that in 2018, the Cancer Registry of India warned of the North-East becoming India's cancer capital. In 2023, the situation worsened with Manipur experiencing 6.48 per cent cancer diagnoses, which is far above the national average of 2.45 per cent. According to the National Cancer Registry Programme, the incidence of cancer is prevalent all over the North-East and people here are suffering a lot because of it.

So, I would like to request the Government of India to take up very specific programmes for this. It is high time that the Central Government acknowledged the gravity of the situation and took concrete steps to address this emerging crisis. Suggestions to the Government are given by the Cancer Society of India. These suggestions should be very, very sincerely implemented. These suggestions are:

1. HPV Vaccination should be included in the national immunization programme for both boys and girls in the age group of nine to 14 and it should be given at free of cost.
2. Cancer should be made a notifiable disease so that we have more accurate data for research, policy making etc.
3. The Central Government should also support the education and placement of more medical specialists in the Northeastern States with an emphasis on early cancer identification and basic care.
4. A policy for a tobacco free India by 2033 should be made. More strict rules should be there for banning tobacco products near schools and they should be inaccessible for school-going children.
5. Dedicated 24/7 national helpline for all cancer-related queries should be there.
6. There should be research for the Indian ethnicity to provide affordable care.
7. There should be control on phenomenal prices of cancer drugs.

As North-East is becoming the cancer capital of India, Government of India and the Health Ministry should lay special emphasis to bring down the cancer treatment to an affordable level in the Northeastern States. Thank you.

**श्री राजन बाबूराव विचारे (ठाणे):** सभापति महोदय, भारत में 16 अप्रैल, 1853 में बोरीबंदर से ठाणे तक पहली ट्रेन चलायी गई थी। ठाणे रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के रूप में माना जाता है। इस स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने के लिए 2014 से जनता के प्रतिनिधि के तौर पर मैं कई बार संसद में आवाज उठाते आ रहा हूं। जिसके बाद इस योजना में अड़चन आने वाले जर्जर इमारत को रेलवे प्रशासन ने तोड़ दिया। यहां स्थित स्टेशन मास्टर के कार्यालय व अन्य कार्यालय दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर दिए गए। लेकिन ठाणे स्टेशन पर यात्रियों को पर्याप्त प्लेटफार्म और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसका संज्ञान लेते हुए रेलवे ने, लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के साथ-साथ दादर, ठाणे, कल्याण और ठाकुर्ली, इन पांच स्टेशनों के विकास के लिए कुल 3600 करोड़ रुपये की राशि आबंटित किया है। जिसमें छत्रपति शिवाजी जी महाराज टर्मिनल के लिए 2500 करोड़ रुपये और ठाणे रेलवे स्टेशन के लिए 983 करोड़ रुपये की स्वीकृति का समावेश है।

मेरे लोक सभा क्षेत्र में ऐतिहासिक ठाणे रेलवे स्टेशन की पहल के लिए मैं केन्द्र सरकार का आभारी हूं। मेरे साथ रेलवे अधिकारियों की बैठक में रेल अधिकारियों ने कहा था कि ठाणे रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित करने का काम प्रत्यक्ष रूप से 2024 में शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक इस संबंध में कार्य को गति मिलता नजर नहीं आ रहा है।

ठाणे रेलवे स्टेशन में हर दिन साढ़े सात-आठ लाख यात्रियों की भीड़ रहती है। यात्रियों के बढ़ते भार के कारण ऊपरि-पैदल यात्री पुल, प्लेटफार्म की लंबाई-चौड़ाई एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जल्द से जल्द ठाणे रेलवे स्टेशन की भूमि को मल्टी मॉडल हब स्टेशन में परिवर्तित करके रेलवे की जगह पर पीपीपी मॉडल पर तीन कॉमर्शियल टॉवरों में कॉलोनी, मकान और मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधाएं यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएं।

**श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर):** सभापति महोदय, कोरोना काल के दौरान पूरे देश में रेल सेवाएं बंद कर दी गई थीं, लेकिन कोरोना काल के बाद जब रेल सेवा बहाल हुई तो रेल सेवा बहाल होने के बाद कोरोना काल के पहले जितने ठहराव महत्वपूर्ण स्टेशनों पर महत्वपूर्ण ट्रेनों का था, उन सभी को समाप्त कर दिया गया। कई छोटे स्टेशन और हाल्ट जहां पहले पैसेंजर्स गाड़ी रुकती थी, ईएमयू ट्रेनें रुकती थीं, उन सभी ट्रेनों को बंद कर दिया गया। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग दस हजार ट्रेनों का ठहराव एक आदेश से रद्द कर दिया गया, जो उचित नहीं था।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण स्टेशन हैं- बड़हिया, बाढ़ और अथमलगोला। इन सारे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जो महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव था, उसे बंद कर दिया गया। कई छोटे स्टेशन बंशीपुर, कुंदर हाल्ट पर ईएमयू और पैसेंजर्स ट्रेनें पहले रुकती थीं, उसको भी बंद कर दिया गया। इसके विरोध में वहां स्थानीय स्तर पर जन आंदोलन हो रहा है, लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं। रेलवे लाइन पर धरना दे रहे हैं। तीन-तीन दिन तक मेन लाइन की पूरी रेल सेवा ठप रही, उसका रूट डाइवर्ट करना पड़ा। यह सारी परिस्थिति आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। सुदूर हाल्ट में लोग पैसेंजर्स ट्रेनों से आते हैं। वे गरीब लोग होते हैं, वे ग्रामीण लोग हैं, जिनके पास आवागमन का कोई दूसरा साधन नहीं है।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि बड़हिया, बाढ़ और अथमलगोला में जिन महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव कोरोना काल से पहले था, छोटे स्टेशन बंशीपुर और कुंदर हाल्ट पर ईएमयू और पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव होता था, उसको पुन: बहाल किया जाए ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके।

मैंने एक दर्जन से ज्यादा पत्र माननीय रेल मंत्री जी और रेल मंत्रालय को लिखे हैं, लेकिन आज तक एक भी पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि बड़हिया, बाड़ और अथमलगोला की सभी ट्रेनों, छोटे हॉल्ट और पैसेंजर्स ट्रेनों को पुन: बहाल किया जाए।

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR):** Sir, I would like to flag the attention of the House to the fact that we all have witnessed with bated breath the rescue operation on NH-134 at the Silkyara Bend-Barkot Tunnel. About 41 workers were trapped for 17 days in the tunnel. So, still, the horrible episode has been haunting us.

What I would like to highlight before you is that it is not an isolated incident. There have been recent incidents of collapse that have taken place in Himalayas. Those are (i) Subansiri Lower Hydroelectric project damage (ii) Teesta River flash floods (iii) Kiratpur-Nerchowk Tunnel collapse in Himachal Pradesh in 2015 (iv) Tehri Hydroelectric project tunnel collapse in 2004.

Sir, I would also like to state the reasons for the same over here that have been cited by the experts. Those are (i) Fractured or fragile rock (ii) Water seepage (iii) Landslide-prone Himalayan rock system (iv) Lack of geological and geo-technical studies (v) Improper study of shear zone (vi) Failure to design an escape tunnel.

Sir, at the last moment, the rat-hole miners were engaged to rescue those ill-fated labourers who were trapped. What I feel is that this kind of situation which took place in the Uttar Kashi could have been averted provided the Government paid heed to the views of those geologists who had earlier red-flagged that this kind of tunnel could be disastrous. Also, the Government is still not responding to such incident. Even there is an ambiguity and a contradiction between the statement of the media and the statement made by the Minister concerned. It was stated by the experts that there was no escape

route. But the Minster has stated that yes, there was an escape route. I want the issue to be clarified by the Government. Thank you.

**SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA):** Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, according to the global climate report published by the UN this year, 2023 has been the hottest ever year on record. The impact of this has been felt in all the corners of the world.

Sir, my State Karnataka has witnessed a very weak monsoon and 223 out of 236 taluks have been affected by the drought resulting in an estimated loss of about Rs. 30,000 crore. My Constituency Mandya is amongst the worst affected places where all the *taluks* have been declared drought-hit, and farmers are in extreme distress. About 50 to 75 per cent of the standing crop has been lost. The farmers of my constituency are primarily sugarcane growers and hence, do not receive the insurance benefits available under the PM Fasal Bima Yojana also. Furthermore, we are facing crisis in several areas without water to drink, wash or cook.

Sir, at this critical juncture, we look up to the Government of India. My heartfelt appeal to the hon. Prime Minister of India is to come to the aid of our farmers and provide a suitable financial package to help them out of this situation. Also, we want your concurrence for better utilisation of water from our rivers to support the basic needs of the farmers and the people of my State. Thank you.

**HON. CHAIRPERSON:** Before I call Mr. Premachandran, I would like to make an announcement.

The Bharatiya Nyaya (2) Sanhita, 2023, the Bharatiya Nagarik Suraksha (2) Sanhita, 2023 and the Bharatiya Sakshya (2) Bill, 2023 have been uploaded.

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Sir, I would like to draw the attention of the Union Government to a very serious situation which is prevailing in one of the most important pilgrimage places in India, that is, Sabarimala in the State of Kerala. The hardships and the sufferings of the pilgrims in Sabarimala are too much because lakhs and lakhs of people are coming to Sabarimala for darshan during the Makaravillakku and Mandala Vilakku seasons. Now this is the season of Mandala Vilakku. Lakhs of people are there.

The quite unfortunate thing to be noted is that the State police as well as the Devaswom authorities have not made proper arrangements and facilities for the pilgrims to have a better darshan in Sabarimala. It is because of the lack of proper facilities and arrangements, the people have been suffering like anything. The pilgrims have to stand in the queue for 18-20 hours to have the darshan. One girl pilgrim has died while she was in the queue. That incident has also happened. So far, no facilities or arrangements have been done. Nothing is being done.

In the normal course, so many meetings by the Chief Minister will take place but it is quite unfortunate to note that the situation is very, very serious.

We, all the Members from Kerala, are making this demand. What is the role of the Union Government? That is the question the hon. Chairman is asking. I know it very well. My suggestion is, we are seeking the intervention of the Union Government for giving support and aid. By way of the National Disaster Management Authority, the Union Government has to give support and aid to the State of Kerala so as to make the condition good for the pilgrims. Otherwise, it will become a big casualty. It is a very serious issue. That is to be responded by the Government.

Sir, we are seeking a response from the Government also.

**HON. CHAIRPERSON:** Mr. Premachandran, you very well remember I had met you at Sabarimala on the day of Makar Sankranti some years ago.

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** Yes, Sir.

**HON. CHAIRPERSON:** Now, Mr. Anto Antony.

… (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** Are you associating with the issue raised by him?

**SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA):** Sir, please give me one minute. Sabarimala is in my constituency.

**HON. CHAIRPERSON:** I know that. That is why, I called your name. You associate yourself.

**SHRI ANTO ANTONY:** Sir, I associate with the serious issue raised by Shri Premachandran.

**HON. CHAIRPERSON:** All the Kerala Members, who want to associate with this matter, may please send your slips.

**SHRI ANTO ANTONY:** The current situation in Sabarimala is beyond the pathetic level. The Sabarimala pilgrims are required to wait for 18-20 hours without water, food or access to toilets. To maintain law and order and to ensure safe passage of the pilgrims, there are only 650 policemen present whereas the Chief Minister has taken 2,500 policemen and officers for his royal charade called, 'Nava Kerala Sadas'. What is happening in Kerala is abuse of power to a level of madness. … (*Interruptions*) Men in uniform are meant to protect the citizens and the law of the State. Never in the history of Kerala has this happened in the past. … (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** It is okay.

Now, Shri Ram Kripal Yadav.

**श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र):** माननीय सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर मुझे बोलने की इजाजत दी है। मैं बहुत ही पीड़ा के साथ आपका और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र मसौढ़ी में कल सुबह नौ से दस बजे के बीच अनामिका नामक एक बेटी, जो मात्र 17 साल की नाबालिग दलित बेटी थी, अपने घर से कोचिंग के लिए जा रही थी। थाने के ठीक सामने क्लोज रेंज से उसे गोली से मार दिया गया। उसका क्या कसूर था? वह कमलेश पासवान की बेटी नहीं, बल्कि देश की बेटी थी, जो दलित समाज से आती थी। आम आवाम कैसे बिहार में सुरक्षित रहेगी?

सर, अब मैं दूसरी घटना की जानकारी दे रहा हूं। अब से करीब एक महीने पहले थाने के ठीक सामने, जो रानी तालाब विक्रम के अंतर्गत आता है। … (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** राम कृपाल जी, आप अपनी डिमांड करिए।

**श्री राम कृपाल यादव :** सर, मैं कहना चाहता हूं कि देवराज यादव नाम के व्यक्ति को जो व्यवसायी था, उसको भी गोली का शिकार होना पड़ा। बिहार में अराजकता की स्थिति है। हर दिन गोली, यही नहीं पुलिस भी असहाय हो गई है। पुलिस के सामने डकैती होती है, रोज हत्याएं होती हैं। पटना राजधानी में कोई ऐसा दिन नहीं है, जिस दिन कोई हत्या न होती हो। पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति है। लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे?

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि दलित बेटी के साथ न्याय कीजिए। अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कीजिए, स्पीडी ट्रायल कीजिए और उसको फांसी की सजा दीजिए। … (व्यवधान)

## LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

| **सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।** | **सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।** |
|---|---|
| Shri Gajanan Kirtikar | Shri Gopal Shetty<br>Shri Malook Nagar |
| Dr. Umesh G. Jadav | Shri S. C. Udasi |
| Shri Ravneet Singh | Shri Malook Nagar<br>Shri Girish Chandra |
| Shri Kaushlendra Kumar | Shri Malook Nagar<br>Shri Girish Chandra |
| Shri Vinayak Bhaurao Raut | Shri Arvind Sawant<br>Shri Jagdambika Pal<br>Shri S. C. Udasi<br>Shri Ranjeetsingh Naik Nimbalkar<br>Shri Malook Nagar |
| Shri V. K. Sreekandan | Shri Malook Nagar<br>Kunwar Pushpendra Singh Chandel |

| | |
|---|---|
| Shri Subhash Chandra Baheria | Shri Malook Nagar<br>Kunwar Pushpendra Singh Chandel |
| Shri Manish Tewari | Shri Malook Nagar |
| Shri N.K. Premachandran | Shri K. Muraleedharan<br>Adv. Dean Kuriakose<br>Shri Benny Behanan<br>Shri T. N. Prathapan<br>Shri V. K. Sreekandan<br>Shri M.K. Raghavan<br>Shri Hibi Eden<br>Kumari Ramya Haridas<br>Adv. Adoor Prakash<br>DR. DNV Senthilkumar S. |
| Shri Ram Kripal Yadav | Shri Girish Chandra<br>Shri Malook Nagar |
| Shrimati Rama Devi | Kunwar Pushpendra Singh Chandel |
| Shri Ramesh Bidhuri | Kunwar Pushpendra Singh Chandel<br>Shri Ravi Kishan<br>Shri Parvesh Sahib Singh Verma<br>Adv. Ajay Bhatt<br>Shri Kamlesh Paswan<br>Shri Malook Nagar<br>Shri Girish Chandra |
| Shri Pradyut Bordoloi | Kunwar Pushpendra Singh Chandel |
| Shri Rajan Baburao Vichare | Shri Ranjeetsingh Naik Nimbalkar<br>Shri Malook Nagar |

| | |
|---|---|
| Shri Kodikunnil Suresh | Shri Anto Antony<br>Shri N.K. Premachandran<br>Shri Malook Nagar |
| Shri Ramshiromani Verma | Shri Girish Chandra<br>Shri Malook Nagar |
| Shrimati Sarmistha Sethi | Shri Malook Nagar<br>Kunwar Pushpendra Singh Chandel |
| Shri M.K. Raghavan | Shri Malook Nagar |

**माननीय सभापति:** सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**13.06 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.*

__________

**14.03 hrs**

*The Lok Sabha re-assembled at Three Minutes past Fourteen of the Clock.*

(Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

## MATTERS UNDER RULE 377*

**माननीय सभापति :** माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

### (i) Regarding construction of by-pass road in Kawardha city in Chhattisgarh

**श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव):** मेरे ससंदीय क्षेत्र राजनंदगाँव (छत्तीसगढ़) के जिला कबीरधाम में कवर्धा शहर में दिन प्रतिदिन ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, समीपस्थ मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर से रायपुर जाने वाली NH 30 कवर्धा शहर के मध्य से होकर गुजरता है एवं उक्त मार्ग NH 130 A (पोडी-बिलासपुर) से भी मिलता है, दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग में आने जाने वाले वाहनों का आवागमन शहर के अन्दर से होने से यातायात का अत्यधिक दबाव शहर में बढ़ता जा रहा है। पूर्व में उक्त मार्ग पर कवर्धा बायपास नाम से शहर के बाहर से एक मार्ग बनाये जाने हेतु योजना तैयार की गयी थी किन्तु जमीन अधिग्रहण सम्बन्धी मामलो में उलझा कर उक्त बायपास मार्ग को ठन्डे बस्ते में डाल दिया गया है।

वर्तमान में यातायात से अत्यधिक दबाव को देखते हुए उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले वाहन एवं शहर के अन्दर आम नागरिकों के सुगम और व्यवस्थित आवागमन हेतु कवर्धा

* Treated as laid on the Table.

बायपास का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। मेरा सरकार से आग्रह है कि उक्त बायपास की मांग को नागरिकों के सहूलियत हेतु जल्द स्वीकृति प्रदान की जाये।

### (ii) Need to sanction a Vande Bharat train connecting Bengaluru to Gulbarga via Raichur and Yadigiri in Karnataka

**SHRI RAJA AMARESHWARA NAIK (RAICHUR)**: The Vande Bharat Express is now operating in almost all the states of the country. Hence, I request the Hon'ble Railways Minister to sanction a Vande Bharat train connecting the Bangalore to Gulbarga Via Raichur and Yadigiri in Karnataka. It will provide faster railway connectivity to the people from my Parliamentary Constituency.

## (iii) Need to establish a Navodaya Vidyalaya at Tharad in Banaskantha Parliamentary Constituency

**श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा):** मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में 14 तहसील हैं और यहाँ नवोदय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। अभी मेरे संसदीय क्षेत्र में केवल एक नवोदय विद्यालय है और जिला बड़ा होने की वजह से एक बड़ा वर्ग नवोदय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह रहा है। इसलिए मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों की मांग है कि पहले से स्थित नवोदय विद्यालय जो दांतीवाडा में है, के अतिरिक्त यदि धराद में एक और नवोदय विद्यालय खोला जाये तो उसका उचित लाभ विद्यार्थिओं को मिल सकेगा।

इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक और नवोदय विद्यालय धराद में खुलवाने की कृपा करें।

## (iv) Need to provide reservation to Maratha and Dhangar Communities in Maharashtra

**श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़):** महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांगें अत्यन्त तीव्रता से की जा रही हैं। मराठा समाज की ओर से 58 महा मोर्चे प्रत्येक जिले में निकाले गये और इन मोर्चों में लाखो की संख्या में मराठा समाज के लोगों ने भाग लिया उसके बाद तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के उस समय के मुख्यमंत्री ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में आरक्षण मान्य हुआ। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण को नकार दिया, जिसके कारण मराठा समाज निराश हो गया और अनेकों ने आत्महत्या कर ली, इसी समय 14 अक्टूबर से महाराष्ट्र में विभिन्न जगहों पर आमरण उपोषण शुरु हो गया और बहुत छोटे-छोटे गाँवों में भी उपोषण हो रहे है। जालना जिले में आन्तरवाली सराटी के मनोज जंरागे पाटिल के उपोषण ने महाराष्ट्र के साथ ही पूरे देश का ध्यान खीचा, कई जगहों पर आन्दोलनकारियों द्वारा हिंसक रुप धारण किया गया और लोकप्रतिनिधियों को गांवों में ही कैद किया गया तथा उनके घरों पर पत्थर बाजी भी की गई, तथा घर भी गिराये गये। मराठा समाज अत्यन्त आक्रमक हो रहा है. इस समाज को आरक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके साथ ही धनगर समाज का भी आरक्षण का प्रश्न है। मराठा समाज अत्यन्त विकट आर्थिक परिस्थितियों में अस्त व्यस्त जीवन जी रहा है। अनेक विद्यार्थी निराश होकर आत्महत्या कर रहे हैं। मराठा समाज कृषि कार्य से ही जीवन यापन करता है। इसके मद्देनजर मराठा और कुणबी मराठा दोनों एकत्र है। मराठा समाज को कुणबी मराठा के साथ ही ओ.बी.सी वर्ग में आरक्षण देना आवश्यक है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मराठा समाज को और धनगर समाज को आरक्षण देने हेतु कार्यवाही करे।

## (v) Need to enact a stringent law to ban increasing addiction to Drugs and online betting

**श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़):** देश के युवा आज कल बर्बादी की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे हैं। यह बर्बादी दो तरह की है एक स्वास्थ्य की बर्बादी और दूसरी पैसों की बर्बादी और ये दोनों बर्बादियाँ परिवार के साथ-साथ समाज और समाज के साथ साथ देश को खोखला करने में लगी हुई हैं। इन बर्बादियों का नाम है ऑनलाइन सट्टा और नशा। यह बुराई आज घर घर तक पहुँच चुकी है। देश की युवा पीढ़ी बहुत बुरी तरह से इन बुराइयों में घुस रही है। आईपीएल पर सट्टा, लूडो, रमी, तीन पत्ती और न जाने क्या- क्या सट्टा ऑनलाइन Apps के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर इन बुराइयों को समय रहते नहीं रोका गया तो यह देश के लिए बहुत हानिकारक होगा। इतना कि हम इसका अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नशे के नाम पर युवा पीढ़ी शराब, कोरेक्स, गाँजा और न जाने क्या क्या नशे समाज में आ गए है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन दोनों बुराइयों को खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाएं और सट्टे की सभी Websites और Apps को बेन किया जाए।

## (vi) Need to implement scheme for providing subsidy to sheep and goat farmers

**श्रीमती जसकौर मीना (दौसा):** गरीब किसानों पशुपालकों एवं महिलाओं ग्रामीण के आर्थिक उन्नयन की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं इस हेतु विगत वर्ष एक योजना स्वीकृत हुई जिसका उद्देश्य भेड़ बकरी पालकों हेतु 50% अनुदान देकर 100 से 500 तक पशुओं का लक्ष्य रखकर योजना प्रारंभ हुई सुखे से पीड़ित क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र के किसान अपनी जीविका छोटे पशुओं भेड़ बकरी से ही चला रहे हैं। यह परियोजना मेरे स्वयं के सर्वे के परीक्षण के उपरांत लाभकारी सिद्ध की गई है। दुर्भाग्यवश राजस्थान के प्रशासनिक तंत्र द्वारा इसे धरातल पर लागू करने में सहयोग नहीं दिया जा रहा है मेरे संसदीय क्षेत्र के अनेकों किसान आवेदन कर चुके हैं। आज दिनांक तक एक भी स्वीकृति नहीं हुई है। अत: केंद्र सरकार के डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि राज्य सरकारों को पत्र लिखकर जिले के पशुपालन अधिकारियों को निर्देश जारी करें जिससे इस अति लाभकारी योजना का लाभ गरीब पशुपालकों को मिल सके। यह योजना ग्रामीण महिला कृषकों तथा एकल महिला सशक्तिकरण में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। राजस्थान राज्य में गरीबी उन्मूलन में सहायक होगी। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आज भी रोजगार सृजन में अग्रणी कार्य होगा कृपया इस योजना के क्रियान्वयन की शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

## (vii) Regarding categorization of Gram Panchayats in Jamshedpur Parliamentary Constituency

**श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर):** जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत घाटशिला विधानसभा क्षेत्र है जो अनुसूचित जनजाति (एसटी) सीट है। विदित है कि घाटशिला प्रखण्ड में 8 पंचायत क्रमशः काशिदा, घाटशिला, पावड़ा, धर्मबहाल, गोपालपुर, मउभण्डार उत्तरी, मउभण्डार पूर्वी, मउभण्डार पश्चिमी एवं मुसाबनी प्रखण्ड के क्रमशः 8 पंचायत उत्तरी ईचड़ा, दक्षिणी ईचडा, मुसाबनी पूर्वी, मुसाबनी पश्चिमी, उत्तरी बादिया, दक्षिणी बादिया, पूर्वी बादिया, पश्चिमी बादिया उक्त सभी पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अतिपिछडा, गरीब आदिवासी बाहुल्य लोग रहते है एवं उक्त क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित भी है। वर्ष 2011 की जनगनणा में त्रुटिवश उक्त पचायतों को शहरी कोड़ में डाल दिया गया है जबकि उसके आसपास में नगर निगम या अधिसूचित क्षेत्र नहीं है फिर भी किन कारणों से इतनी बड़ी आबादी सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित है। यहां की जनता वर्षों से मांग कर रही है कि उन्हें पूर्व की भांति ग्राम पंचायतों में ही रहने दिया जाय, परंतु अभी तक उनकी मांगों को नहीं माना गया है

अतः मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि उक्त सभी पंचायतों को शहरी कोड़ से हटाकर ग्राम पंचायत में ही रहने दिया जाए।

## (viii) Need to utilise vacant land on both sides of Bairgania Railway Station in Sheohar Parliamentary Constituency

**श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** शिवहर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पूर्व-मध्य रेल जोन के सीतामढ़ी-रक्सौल रेलखंड पर स्थित बैरगनिया रेलवे स्टेशन की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। ज्ञात हो कि उक्त बैरगनिया रेलवे स्टेशन भारत - नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित एक घनी आबादी वाला इलाका है, जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। परन्तु स्टेशन के मुख्य पथ के दोनों तरफ रेलवे की काफी भूमि वर्षों से बेकार एवं कुड़ादान बनी हुई है। विरान अवस्था में होने के कारण यहाँ आये दिन अपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। उक्त खाली भूमि को नगर परिषद् बैरगनिया को लीज पर उपलब्ध करा देने से क्षेत्रवासियों को रोजगार के साथ-साथ रेलवे को राजस्व की भी प्राप्ति होगी।

अतः सरकार से अनुरोध है कि जनहित में बैरगनिया रेलवे स्टेशन मुख्य पथ के दोनों तरफ खाली पड़ी जमीन उपयोग में लायी जाये अथवा इसे नगर परिषद बैरगनिया को लीज पर उपलब्ध करायी जाये जिससे कि क्षेत्रवासियों को रोजगार के साथ-साथ रेलवे को राजस्व की भी प्राप्ति हो सके।

## (ix) Regarding alleged harassment of farmers of Goghat in Hooghly district, West Bengal

**श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली):** हुगली जिले के गोघाट के किसानों को किसान मंडी में बिक्री के लिए एक निश्चित तिथि पर धान लाने के लिए कहा जाता है। किसानों के धान लाने के बाद मिल अधिकारियों ने उनसे कथित रूप से कहा कि अगर वे प्रति क्विंटल 5 से 10 किलो धान मुफ्त देने पर सहमत होंगे तभी उनसे धान खरीदा जाएगा। यानी किसानों को मजबूरन 5-10 फीसदी की छूट देनी होगी, जब किसानों ने जुलूस की सूचना दी तो अंत में कोई समाधान नहीं निकलने पर किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता चुना। उन्होंने धान को मंडी तक लाने के लिए एक कार किराए पर ली है, उस समय आर्थिक नुकसान के कारण धान को वापस ले जाना संभव नहीं है। इसके बाद गोघाट थाने के ओसी आये और किसानों के साथ कथित रुप से अभद्र व्यवहार किया। राज्य सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए धान की अनुदानित कीमत का भुगतान केंद्र सरकार करती है. यह धान प्रदेश की विभिन्न किसान मंडियों से खरीदा जा रहा है। मैंने बंगाल के किसानों पर हो रहे जुल्म-ज्यादती के बारे में बताया है और किसानों को उनके वाजिब हक से वंचित किया जा रहा है।

## (x) Need to increase frequency of Train No. 20503/04 (New Delhi-Dibrugarh) and run the train via Gorakhpur

**श्री रवि किशन (गोरखपुर):** मैं भारत सरकार से माँग करता हूँ कि रेलगाड़ी संख्या 20503/04 जो नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक वाया बलिया होकर प्रतिदिन जाती है उसे 4 दिन वाया गोरखपुर होकर चलाया जाय ताकि गोरखपुर के यात्रियों को राजधानी एक्सप्रेस की सुविधा मिल सके। गोरखपुर पूर्वांचल जो सबसे बड़ा महानगर है जिस पर आस पास के बीस जनपद अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिये निर्भर हैं जिसमें रेल यातायात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रेलगाड़ी के गोरखपुर से होकर जाने से वहाँ के लाखों लोगों को दिल्ली जाने के लिए तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की सुविधा मिलेगी। धन्यवाद।

## (xi) Need to provide reservation in medical institutions for pursuing super specialty courses

**डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं):** एससी/एसटी के कल्याण संबंधी समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिसमें "स्वायत्त निकायों/शैक्षिक संस्थानों की भूमिका" विषय पर प्रस्तुत पंद्रहवीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) जिसमे केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित एससी/एसटी के सामाजिक-आर्थिक विकास में इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईएम, आईआईटी, मेडिकल संस्थान, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय आदि" अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के विशेष संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय से जो संबंधित है उसे निर्देशित किया गया है।

उसके बाद भी सुपर स्पेशलिटी क्षेत्रों में आरक्षण न बढ़ाया/लागू नहीं किया गया है। विशेष पाठ्यक्रम. (DM, MCH) इसके परिणामस्वरूप, एससी/एसटी समुदाय के सदस्य सुपर-स्पेश्यलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एससी/एसटी के साथ साथ ओबीसी उम्मीदवार अभूतपूर्व और अनुचित रूप से वंचित हो जाते हैं और सुपर-स्पेश्यलिटी क्षेत्रों में अनारक्षित संकाय सदस्यों का एकाधिकार हो जाता है। आरक्षण नीति को छात्र और संकाय स्तर पर सभी सुपर स्पेश्यलिटी क्षेत्रों में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि वहां भी एससी और एसटी ओबीसी संकाय सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो जिससे एससी और एसटी डॉक्टरों और छात्रों को विदेश में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि सभी सुपर- स्पेशियलिटी क्षेत्रों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से देखा जा सके।

## (xii) Need for alternative irrigation arrangements in Bharuch Parliamentary Constituency

**श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच):** गुजरात में मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अंतर्गत अंकलेश्र्वर और दहेज राज्य सरकार और भारत सरकार के सहयोग से औद्योगिक रूप से ठीक से विकसित हो गया है तथा काफी सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन दो विधानसभा क्षेत्र झगडिया और डेडियापाडा जो की ट्राईबल बेल्ट में आते हैं तथा उक्त दोनों विधानसभाएं भी ट्राइबल हैं उपरोक्त क्षेत्रों के आदिवासी किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाने के कारण अपेक्षित कृषि उत्पादन नहीं हो पता है राज्य सरकार की सिंचाई की जो सुविधा है वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो इस संबंध में भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि ट्राइबल बेल्ट हेतु सिंचाई के लिए विशेष फंड दिया जाए, जिससे इस ट्राईबल बेल्ट के किसानों के लिए सिंचाई सुविधा सुनिश्चित की जा सके यह सिंचाई सुविधा मिलने के कारण हरा घास चारा आदि रख सकेंगे जिससे पशुपालक किसानों को दुग्ध उत्पादन के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करने में मदद मिलेगी उपरोक्त पूरे ट्राइबल क्षेत्र को नर्मदा और कर्जन योजना के अत्यंत निकट होने के बावजूद भौगोलिक स्थिति के कारण सिंचाई हेतु जल दे पाना संभव नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र में सिंचाई के वैकल्पिक प्रबंध किए जाएं।

## (xiii) Regarding operation of railway services in Wardha Parliamentary Constituency

**श्री रामदास तडस (वर्धा):** अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा के वर्धा एंव अमरावती जिले में कुल 13 बड़े रेलवे स्टेशन हैं जिस पर हर दिन हजारों की संख्या में यात्री आवागमन करते हैं, कोविड के पहले तक ट्रेनों का ठहराव सुचारू रूप से संतोषजनक था। किन्तु कोविड में सम्पूर्ण भारत में ट्रेनों का परिचालन बंद किया गया था, जिसका असर मेरे यहाँ भी हुआ किन्तु जब वर्ष 2022 में ट्रेनों का परिचालन पुनः आरम्भ हुआ तो मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाली रेल जो कोविड के पूर्व चलती थी उसको अभी तक चालू नहीं किया गया है। मेरे क्षेत्र वर्धा में कोविड से पूर्व की भाति सभी रेलवे स्टेशन पर जो भी ट्रेन रुक रही थीं, उसको रुकवाने के लिए माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ। साथ ही साथ वर्धा से पुणे के बीच प्रतिदिन नई रेलसेवा प्रारंभ की जाए। हावड़ा से पुणे जानेवाली दुरोंतो एक्सप्रेस का वर्धा मे ठहराव स्वीकृति किया जाए। कोविड के समय स्थगित किया गया । रेल यात्रा टिकट पर मिलने वाली वरिष्ठ नागरिक प्रवासी छूट का कन्सेशन तत्काल प्रभाव से फिर से लागू किया जाये।

अत: मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूँ कि जनहित के सभी मुद्दों को जल्द से जल्द पूरा करने की कृपा करें।

## (xiv) Regarding establishment of ordnance Factory in Maharajganj Parliamentary Constituency

**श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज):** आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा बड़े स्तर पर विकासात्मक एवं सुरक्षात्मक कार्य किया जा रहे हैं इस कड़ी में रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। जिससे कि सशस्त्र बलों के लिए ज्यादातर हथियार भारत में निर्मित किए जा सकें। सशस्त्र बलों को भारत में निर्मित अधिक से अधिक हथियार उपलब्ध कराने के लिए आयुक्त निर्माणी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की संख्या में बढ़ोतरी कर नई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी स्थापित करनी पड़ेगी, इसलिए बिहार राज्य के मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना होने से रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और मजबूती मिलेगी।

अतः माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज बिहार में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना करवाई जाए।

## (xv) Need to make redressal mechanisms for labourers in Himalayan region

**SHRI JAMYANG TSERING NAMGYAL (LADAKH):** Labours in India are one of the vulnerable sections of the society. In India, they are facing many problems when they migrate to a new place. In this regard, it is requested that the Government develop redressal mechanisms particularly in Himalayas region where labours are highly needed to serve in road and construction, potters, trekking, and other purposes. There have been various issues tabled at public domains in payment, high altitude, extreme cold, accommodations, food and drinking water and other basic daily requirements. In context to UT Ladakh, there is abundance of labour from countryside which is brought through various agents. It is reported that they have been exploited in terms of monthly wages. Even in harsh winter, labourers are kept in tents, lagging of warm clothes and heating facilities. I request the Government to recruit and give care to them through Department of Labour Welfare particularly in UT Ladakh of Nubra region, Changthang belt, Drass belt, and Zanskar ranges.

## (xvi) Regarding CBI inquiry into alleged irregularities in utilisation of funds under PM Poshan Scheme in West Bengal

**श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर):** पश्चिम बंगाल में पीएम-पोषण के घटिया कार्यान्वयन एवं अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान लाना चाहता हूं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में रहने वाली भारत जनसंख्या 2015-16 में 24.85% से घटकर 2019-21 में 14.96% हो गई, जो पीएम-पोषण जैसी कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष परिणाम है। पीएम-पोषण योजना देश भर के 11.2 लाख से अधिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक नामांकित लगभग 11.8 करोड़ छात्रों को कवर करती है।

हालाँकि, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, योजना के कार्यान्वयन में गंभीर मुद्दे सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार पर पंचायत चुनाव के लिए पीएम-पोषण फंड के दुरुपयोग का गंभीर आरोप है और शिक्षा मंत्रालय ने ऐसी 'वित्तीय विसंगतियों' के लिए सरकार को पत्र लिखा है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा '100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 16 करोड़ से अधिक मध्याह्न भोजन की 'अति-रिपोर्ट की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से पश्चिम बंगाल में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन की विशेष ऑडिट के लिए भी कहा, मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के बच्चों को इस अनिश्चित स्थिति से बचाने के लिए सीबीआई जांच सहित गंभीर कार्रवाई की जाए।

### (xvii) Regarding guidelines for disbursal of educational loans

**ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI):** I wish to invite attention on an urgent matter regarding the troubles faced by students availing educational loans. The national policy regarding disbursing of educational loans is to help struggling students and make equality in opportunities. The social upliftment of the backwards cannot be completed without such an assistance from the state. However, in the last few years, the hurdles to get an educational loan has increased manifold. The students are being harassed by asking for collaterals, even when it is not necessary. In many instances, the CIBIL scores of the parents are checked before disbursing loans. This is a flagrant violation of the spirit of a liberal educational assistance regime. This has led to many students dropping their dreams. The issue is more relevant for students who are seeking to study abroad. Sometimes, the sanctioning of loans are delayed and students have to wait for months and in the meantime, their opportunity would have slipped. Considering this, I urge upon the Government to immediately instruct banks to stop pursuing activities like that and immediately release loans in favour of students seeking to complete their higher education.

## (xviii) Need to give aid to Kerala to construct new fishing harbours

**DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM):** I wish to draw the Hon'ble Minister's attention to the unfortunate lack of fishing harbours in my Constituency, which is causing great distress to the sizable fishing community. Modern fishing harbours are essential to ensure sustainable livelihoods for the fishing community whose traditional fishing methods are severely affected by increased sedimentation and coastal erosion. More than 28 per cent of the entire fishermen community in the state of Kerala is from Thiruvananthapuram. Hundreds of families have lost their homes to coastal erosion and continue to live in relief camps. With every passing year, more families are getting displaced. Currently, there is only one proper fishing harbour in my Constituency at Vizhinjam, which is also not fully commissioned. There has long been a demand for one harbour each in Poonthura and Valiyathura, but no action has been taken to address this demand. I, thus strongly urge the Fisheries Department of the Government to give aid to Kerala to construct new harbours in a timely manner. By favourably considering this proposal, the Government will contribute to developing a much-needed support system for our fishermen, who are the backbone of the regional economy.

## (xix) Regarding development of Beypore Port and its inclusion under Sagarmala Scheme

**SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE):** Once upon a time Beypore Port was the most strategic and commercial port of the Arabian sea. The port had rich traditional and cultural links to the majority of the countries of the Arabian sea. Trade and commerce with European and Gulf countries flourished through this port. The port was famous for its dhows which was in great demand across the world during its times. Even today, Dhows are in great demand catering to the Tourism sector in the Gulf regions. Beypore is bestowed with a great location. The Chaliyar river flows into the Arabian sea here making it easy for good traffic through the river. However growing importance to other regions had over the years diminished the importance of this port. Beypore port is also a gateway to Malabar, whose natural resources offer enormous potential for our country. Even though the port is under state government, I request the Central Government to bring in the Port under the Sagarmala Scheme and to do all the needful to develop it into a major port. I also request the Central Government to provide funds for the overall development of Beypore Port.

## (xx) Regarding setting up of Defence Research Centre in Dharmapuri Parliamentary Constituency

**DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI):** I would like to draw the kind attention of the government regarding the initiative taken by DRDO for setting up Defence Research Centre in my Parliamentary Constituency which was proposed in the year 2010 at Dharmapuri, Tamil Nadu. For the said purpose, the state government and district administration have identified the land at Nekkundhi village, Dharmapuri District. The DRDO officials had also inspected the said site. Nevertheless, the proposed project has not yet commenced. Dharmapuri is an industrially backward area here. The role of this project as an employment generator becomes significant in aiding the district to become industrially rich area. As estimated, this DRDO research centre will generate employment for 15,000 people and will act as a push to Make in India initiative. I would, therefore, urge upon the Hon'ble Minister of Defence to direct the DRDO to forthwith commence the work towards expediting the proposed project and commence the research centre for betterment of Dharmapuri District

## (xxi) Regarding exemption of Tamil Nadu from NExT Exam for final year MBBS students

**DR. PON GAUTHAM SIGAMANI (KALLAKURICHI):** NMC under Union Health Ministry has announced (NExT) for Final Year MBBS students to be held from 2024. Postgraduate admission will be based on the merit of candidates in NExT. NExT is not in the interest of students, as it would be an additional burden on students. Imposing NExT is another attempt to dilute the role of state governments and universities under State Health Ministry. Major fund to the medical institutions is borne by the state governments. The Union Government is gradually diluting the role of the state governments and universities in the Health Ministry. Our Party DMK functions by the slogan of our Founder Leader Periangar Annadurai "Federalism at the center and autonomy at the state", “madhdiyil kootatchi, maanilathil suyatchi”. Union Government never respects the sentiments of the people of the state and acts against their wishes, like Tamil Nadu government is continuously seeking exemption from NEET. Our Hon'ble Chief Minister, Thalapathi MK Stalin has also requested the Hon'ble Prime Minister not to introduce NEXT in Tamil Nadu. So, I request the Union Health Ministry and Union Government to exempt NEXT from Tamil Nadu and allow the existing system to continue.

## (xxii) Regarding grant of relief package for cyclone affected people in Andhra Pradesh and reassessment of the National Cyclone Risk Mitigation Project

**SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET):** leaving farmers in Guntur and Palnadu regions with substantial losses. With over 22 lakh acres of crops damaged and an estimated loss exceeding Rs. 7,000 crores, the aftermath paints a bleak picture. The impact is widespread, affecting crops such as rice, chilies, chickpeas, turmeric, and tobacco, which are now submerged under water, leading to sprouting and rendering them unsalvageable. Farmers, already grappling with substantial investments exceeding Rs. one lakh per acre for chilies and tobacco cultivation, are in a distressed situation. The extensive damage extends to fruit and flower gardens, compounding the economic toll. Moreover, the paddy fields, covering around 12 lakh acres, have also suffered severe losses due to waterlogging, impacting the livelihoods of countless farmers. I urge upon the Hon'ble Minister of Agriculture and Farmers Welfare and Home Affairs to assist distressed farmers facing huge losses. Additionally, we urge upon the Government to release Rs. 5000 crore as a relief package to aid the farmers who have suffered significant losses due to the cyclone Moreover, the situation calls for a reassessment and augmentation of the National Cyclone Risk Mitigation Project, especially given the country's escalating cyclone and coastal vulnerability.

## (xxiii) Need to take urgent steps for installation of 4G towers across the country

**SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI–SINDHUDURG):** BSNL has launched an ambitious project to roll-out 4G services across the country for better connectivity. The project would cover more than 29000 villages by providing 4G Towers for ensuring connectivity at all far flung and remote areas under the Government's 4G saturation plan. More than 24000 BSNL 4G Towers are proposed to be installed in the country in 500 days up to 31st December, 2023 to pave the way for 4G connectivity. However, the project for installation of 4G Towers is running behind the schedule and unlikely to be completed by 31st December, 2023. The main reason for delay in providing 4G Towers in the country is that only one Contractor has been assigned the job for installation of Towers in more than 3-4 states due to which the contractor is unable to complete the tower installation work on time. I would, therefore, urge the Hon'ble Minister of Communications to look into this matter and take urgent steps for installation of 4G Towers across the country in a time bound manner so that 4G services are rolled out at the earliest.

## (xxiv) Regarding hardships faced by passengers and decline in cargo exports at Calicut International Airport

**DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM):** I wish to draw the attention of the Government towards the hardships faced by passengers and the decline in cargo exports at Calicut International Airport due to the non-operation of wide-bodied Aircraft (code E). Despite the airport's recent upgrades, including recarpeting and modern runway lights, the ban on wide-bodied aircraft remained since the 2020 unfortunate plane crash, which was not attributed to any fault of the airport infrastructure facilities. This restriction has severely impacted on the airport's commercial viability, affecting exports of vegetables and fruits leading to increased ticket prices and reduced commercial activities. Calicut Airport is crucial for expatriates in the Middle East, playing a main role in earning foreign currency. I urge upon the Ministry of Civil Aviation to reconsider the ban, taking into account the airport's improved infrastructure. Additionally, there's a pressing need for increased domestic and international flight connectivity to more destinations. Some flights that were previously operational are yet to resume, and more services, especially to far-east and Middle Eastern countries, are essential. Given Calicut's rapid urban growth, I kindly request prompt attention to this matter for the betterment of the airport and the community it serves.

## (xxv) Regarding renewal of Visas of dependants of H-1B Visa holders

**SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR):** Every Indian working under H-1B Visa and their dependents in US felt happy when US administration announced in January that H-1B Visa-holders need not go to India for renewal/stamping and same can be done in US itself. But, now, when US State Department started renewing H-1B Visas, it has put a condition that dependents of H-1B professionals will not be covered and have to go back to their own country for renewal. It means, H-1B employees can renew their Visas without leaving US and not their dependents. This is really creating panic among dependents and they are demanding that this initiative should also encompass spouses and children. Not just this, even business organizations are demanding for inclusion of H-4 dependents in this renewal programme. Hence, I urge upon the Government of India to intervene in the matter and see that dependents of H-1B and H-4 Visa holders be allowed to stay in US till US administration takes a decision of renewing Visas of their dependents.

## (xxvi) Need to issue a white paper on Natural Disasters in the states of Uttarakhand and Himachal Pradesh

**SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR):** In 2023, the Himalayan region has witnessed disasters, like sinking of Joshimath In Uttarakhand floods and landslides in Himachal Pradesh, a glacial lake outburst in Sikkim, and the recent tunnel collapse near Barkot in Uttarakhand.

The Himalayan ecosystem is most fragile. Himalayan geology is unstable and dynamic. The Char Dham National Highway Project in the Himalayan region is an unscientific project. The road project reveals critical mistakes, manipulation and alteration of laws to facilitate its progress. Environmental-assessment mandated for a project of this scale was not conducted. This reflects a systemic failure in ensuring compliance with environmental norms. Extreme slope cutting has led to an average of one landslide a day in the last couple of years.

The tunnel collapse near Barkot is an incident symptomatic of a more extensive problem: unplanned development in the Himalayas cost the country lives of workers besides the Himalayas itself. I urge upon the Government to issue a white paper on the above-mentioned matter.

## (xxvii) Regarding establishment of Kendriya Vidyalayas in Nagaur Parliamentary Constituency

**श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर):** मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र व जिला नागौर के क्रमशः खींवसर, परबतसर, डीडवाना तथा मेड़ता में नवीन केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत करने की मांग की तरफ आकर्षित करते हुए यह अवगत करवाना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा लम्बे समय से यह मांग की जा रही है। जिसके क्रम में जिला कलक्टर नागौर ने शासन उप-सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान के माध्यम से निर्धारित प्रपत्रों में उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को प्रस्ताव प्रेषित किये थे, चूंकि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भौतिक निरीक्षण में कुछ कमियां पाई गई जिसके क्रम में जिला कलक्टर द्वारा 03 नवम्बर 2021 को क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को पाई गई कमियों को दुरूस्त करवाने की बात कही थी, चूंकि 25 मार्च 2022 को क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अधिकारीयों की एक समिति का गठन किया गया था और उक्त समिति ने जो कमियां पाई उनके समाधान हेतु आप पुनः क्षेत्रीय कार्यालय केन्द्रीय विद्यालय संगठन जयपुर को निर्देशित करें कि कमियों का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। उस हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन जयपुर जिला प्रशासन नागौर से समन्वय स्थापित करे तथा लगातार व जल्द से जल्द उन कमियों में सुधार हेतु आवश्यक तकनीकी मदद भी जिला प्रशासन नागौर की करे। मेरा संसदीय क्षेत्र व जिला नागौर भौगौलिक रूप से बहुत ज्यादा विस्तारित है और दशकों से यहाँ के लोग अच्छे शैक्षणिक संस्थान की राह देख रहे है और नागौर संसदीय क्षेत्र के खींवसर, डीडवाना, परबतसर तथा नागौर जिले के ही मेड़ता में नवीन केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत करने के प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बे समय से विचाराधीन भी हैं और राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन नागौर नए केन्द्रीय विद्यालय हेतु आवश्यक जमीन व वांछित संसाधनों की उपलब्धता करवाने हेतु प्रतिबद्ध है। ऐसे में सरकार मेरे संसदीय क्षेत्र की विस्तृत भौगोलिक स्थिति, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन तथा मरुस्थलीय क्षेत्र को देखते हुए नियमों व मापदंडों में शिथिलता देते हुए उक्त स्थानों पर जल्द से जल्द नवीन केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत करने के आदेश कराएं।

## (xxviii) Need to recognize 'Sarna' as the 7th religious sect in the country

**श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार):** सरना धर्मावलंबी देश के आदिवासी 28 राज्यों में आदिकाल से निवास करते आ रहे हैं। प्राचीनतम प्रकृतिवादी सरना धर्म का जीता जागता धर्म ग्रन्थ जल जंगल जमी और प्रकृति है। प्रकृतिवादी सरना धर्म की संस्कृति, पूजा पद्धति, आदर्श, मान्यताएं, रूढ़ि एवं प्रथाएं प्रचलित सभी धर्म से अलग है। वे लोग प्रकृति के पुजारी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में आदिवासी बहुल राज्यों में 45 लाख 57 हजार 467 सरना धर्मावलम्बियों ने जनगणना अनुसूची के अन्य कलम में अपना धर्म सरना लिखा था, जो बड़े धर्म की संख्या में छठे स्थान पर है। अतः मेरा अनुरोध है कि आने वाले जनगणना अनुसूची पत्र में इसे मुख्य छ. धर्मो के साथ सातवा खंड (बॉक्स) बनाकर सातवें धर्म के रूप में सरना धर्म को सूचीवद्ध करने की कृपा करें।

## (xxix) Regarding recent killing of a Khalistani leader

**PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** A serious difference arose between India and Canada over the murder of one Khalistani Leader in Canada. The Canadian Prime Minister has alleged that the murder was masterminded by Indian officials. The US Government has supported Canada's position. The Government of India must come clear in the matter, instead of indulging, shifting Canadian diplomats from India which is retaliated in a similar fashion. Another problem has arisen between India and US Government over the allegation against Indian Government that India had plotted to murder another Khalistani leader in the US. The FBI team is visiting Delhi in the matter, while India has said that it has ordered an enquiry. The Minister of External Affairs should clear the Government of India's position in these two matters, which is causing mis-understanding between India on one side and Canada and US on the other.

---

**14.04 hrs**

## DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – FIRST BATCH, 2023-2024 AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2020-2021...Contd.

**माननीय सभापति** : आइटम नंबर 18 और 19.

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील जी।

**श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद) :** सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया।

मैं महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा इलाके से आता हूं, जिसे हम सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप सरकार में आए थे, तो आपने ये दावा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय दोगुनी होने के बजाय, उनकी आत्महत्या दोगुनी, तिगुनी और चौगनी हो गई है, मैं यह आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं।

महोदय, मैं हिंदुस्तान के एक बहुत छोटे क्षेत्र सिर्फ मराठवाड़ा के आंकड़े बताना चाहता हूं। इस मराठवाड़ा के क्षेत्र में जनवरी से लेकर नवंबर तक 1000 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसके अंदर औरंगाबाद, जो मेरा चुनावी क्षेत्र है, वहां 160 किसानों ने आत्महत्या की, नांदेड़ में 163 किसानों ने, बीड में 253 किसानों ने, उस्मानाबाद में 161 किसानों ने और कुल मिलाकर एक छोटे से क्षेत्र की बात करें तो 1000 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर हम किसानों के बारे में इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं तो आखिर ये किसान इतनी आत्महत्या कैसे कर रहे हैं? मैं यह सिर्फ छोटे से क्षेत्र की बात कर रहा हूं? अध्यक्ष महोदय, आप यह नारा लगाते हैं कि - 'सबका साथ, सबका विकास', लेकिन आप मेरा विकास कैसे कर रहे हैं, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं। इस फाइनेंशियल ईयर में बजटरी एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनोरिटी अफेयर्स को कितने परसेंट घटाया है? आपने यह बजट 38.3 परसेंट घटाया है। वर्ष 2023-24 का बजट ऐस्टीमेट 5,020 करोड रुपये था, लेकिन आपने उसको कम करके

3,097 करोड़ रुपये कर दिया है। मुझे मालूम है कि आप हमें थोड़े-थोड़े दिनों के बाद खुश करने के लिए नई-नई स्कीम्स लेकर आते हैं। आप कह रहे हैं कि दस स्कीम्स माइनॉरिटीज़ के लिए चलाते हैं, लेकिन उनके लिए फंडिंग और बजट एलोकेशन कैसे घटाया जा रहा है, आप यह देखिए। वर्ष 2023-24 में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट पिछले साल 1,425 करोड रुपये था, अब उसको घटाकर महज 433 करोड रुपये कर दिया गया है। आप जानते हैं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब यह है कि जो बच्चे स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट हमारे बच्चों का है, उस स्कॉलरशिप का अमाउंट आपने इस हद तक कम कर दिया है। महोदय, मेरिट-कम-मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप में पिछले साल आपका बजट एलोकेशन 365 करोड रुपए था, आपने उस 365 करोड रुपये बजट को घटाकर 44 करोड रुपये कर दिया है। दूसरी कई स्कीम्स हैं, जिनको बहुत खूबसूरत नाम दिए गए हैं, जैसे नई उड़ान, नया सवेरा, लेकिन बजट आप हर समय कम करते जा रहे हैं और आप 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा लगाने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पंत प्रधान जी से आपके जरिए महंगाई को लेकर एक सवाल करना चाहता हूं। मैं जयपुर गया था। वहां पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए थे, जिनके ऊपर आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर थी। उसके बगल में गैस सिलेंडर था और उसके नीचे लिखा हुआ था कि - मोदी की गारंटी 450 रुपये। सरकार में आ गए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर 450 रुपये का गैस सिलेंडर बेचेंगे। मैं आपके जरिए आदरणीय मंत्री कराड साहब से पूछना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र के अंदर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमें न दीजिए, आप कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 450 रुपये में सिलेंडर दे दीजिए। आप कम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप हर चीज को चुनाव के नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कैसे फायदा मिल सकता है। अगर आज महंगाई और बेरोजगारी के बारे में हम बात करें तो आपने हर जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू कर दिया है। इसका फायदा सिर्फ ठेकेदारों को हो रहा है, बाकी किसी को नहीं हो रहा है। ईपीएस-95 के जो पेंशनर्स हैं, जिन्होंने 20 से 30 साल काम किया है, आपने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है, कल से वे जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं।

फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप सुनिए, उन्हें 800 रुपये, 1200 रुपये और 1500 रुपये पेंशन हर महीने दी जा रही है। उसके जरिए उनको कहा जा रहा है कि इतने पैसों के अंतर्गत जी सको तो जीयो, नहीं तो मर जाओ, शोर क्यों मचाते हो। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़ों के साथ गवर्नमेंट रिसीट्स के बारे में बताना चाहता हूं। अगर पिछले साल की तुलना करें तो अप्रैल-अक्टूबर 2022-23 में जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल की तुलना इस साल 7 परसेंट जीएसटी ड्रॉप हुआ है, इनकम टैक्स का ड्रॉप 2 परसेंट हुआ है, कॉर्पोरेशन टैक्स का ड्रॉप 5 परसेंट हुआ है। अगर एवरेज निकालें तो टोटल 5 परसेंट ड्रॉप गवर्नमेंट रिसीट्स का हुआ है। अगर हम उसकी तुलना में सेम पीरियड में देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक परसेंट कम हो गया है और कैपिटल आउटले चार परसेंट कम हो गया है। हमारा आपसे यह कहना है कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के जरिए आज डिफेंस के लिए 11,827 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री डिमांड रखी गई है।

हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी चीन के बारे में क्या पॉलिसी है? 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हम खो चुके हैं। डेमचोक-देपसांग क्या हमारे हाथ में है? इसका जवाब आप दीजिएगा। इस पर खामोश क्यों हैं? चीन पॉलिसी के बारे में हमारा क्या रुख है, यह आप बता दीजिएगा। अगर यही हाल रहा तो आगे चलकर हम सियाचिन को भी खो डालेंगे। आखिरी पॉइंट एक्सटर्नल अफेयर्स का बताना चाहता हूं। आपने सप्लिमेंटरी डिमांड्स में 11072 करोड़ रुपये इसके लिए रखे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश की वैस्ट एशिया पॉलिसी क्या है? यह देश को बताइए। आज हम हिन्दुस्तान की सरकार से अपील करते हैं कि हम इस्राइल की कड़ी निंदा करते हैं। आज फिलिस्तीन में 20,000 बच्चों और महिलाओं को मारा गया है। 12 लाख लोग बेघर हो गए हैं। वहां जेनोसाइड हो रहा है और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनकर बैठे हैं और खामोश बैठे हैं। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि फौरन इसको कंडेम करे और इस्राइल गवर्नमेंट को कहे कि फौरन सीज़फायर लाया जाए। वित्त राज्य मंत्री भी औरंगाबाद से आते हैं। मैं कराड़ साहब से यह अनुरोध करूंगा कि औरंगाबाद से महज़ 30 किलोमीटर की दूरी पर नारायणपुर एक गांव है, वहां 3335 मेरे कांस्टीटुएंसी में ऐसे स्कूल्स हैं, जहां पक्की छत नहीं है, टिन के शेड के नीचे बच्चे पढ़

रहे हैं और आप यह दावा कर रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन इस बार किया गया है। यह पैसा जा कहां रहा है, हम आपसे यह सवाल करना चाहते हैं।

**HON. CHAIRPERSON:** It is already decided that the hon. Finance Minister will give her reply at sharp 3 o'clock. So, all the hon. Members are requested to conclude their speeches in five minutes.

Shri P. Ravindhranath.

**SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI):** Sir, let me first of all take the opportunity to thank our hon. Prime Minister, Shri. Narendra Modi ji, and our hon. Finance Minister, Smt. Nirmala Sitharaman ji, for sanctioning an advance release of Rs. 450 crore from the Central share of the State Disaster Relief Fund for managing the relief activities in the aftermath of Cyclone Michaung, and for approving Rs. 561 crore for the Urban Flood Mitigation Project of Chennai basin. Let me also thank our hon. Home Minister, Shri Amit Shah; hon. Defence Minister, Shri Rajnath Singh; defence forces, and NDRF for continuously rendering humanitarian aid and rescue assistance to the affected people.

Sir, the major flood in Chennai due to the rainfall triggered by Cyclone Michaung from December 2$^{nd}$ is the third such occurring in the last eight years. The project funded through the assistance from the National Disaster Mitigation Fund will establish a climate-resilient urban flood protection infrastructure in Chennai. I wish to request the hon. Minister of Finance that the allocation for Chennai may be further enhanced considering the capacity, risk and exposure of Chennai city. Sir, I would like to draw attention to the serious

disruptions faced by the textile industry in Tamil Nadu due to the escalation of prices of cotton and yarn. A large number of spinning, weaving and garment units face the danger of closure. I wish to request the Government to initiate the following steps to rein in the price rise. As an immediate measure, stock declaration of cotton and yarn may be made mandatory for all spinning mills so that the ginners and cotton traders can obtain actual data on cotton and yarn availability. The removal of import duty on extra-long staple cotton can ensure the availability of raw materials at affordable prices to the industry to a great extent. The cash credit limit of the spinning mills to purchase cotton may be extended up to eight months in a year instead of the current three months due to the extended availability of cotton market. Similarly, the margin money sought by banks currently at 25 per cent of the purchase value may be reduced to 10 per cent. Sir, another concern is with regard to the severe crisis faced by the garment sector in Tamil Nadu. Tiruppur, which is India's largest knitwear exporting cluster, is constituted by 95 per cent of MSMEs.

Due to the economic slowdown in the west, these units are facing huge financial crisis. Lakhs of persons including the significant share of rural women who form a major share of the work force are facing the danger of being unemployed. I wish to request the Government to announce a Special Emergency Credit Line Guarantee Scheme for the MSME sector, especially in the garment sector, so that they survive this crisis. Sir, India has been the world's fastest growing major economy in the last two years. It is also forecast to retain the top spot in 2024 as the urbanisation and industrialisation process

reaches the rapid take-off phase. Our hon. Prime Minister Shri. Narendra Modi ji has always championed the role of youth in India's development. In line with his vision, *Viksit Bharat* by 2047 initiative has been launched providing a platform for the youth of our country to contribute towards making India a developed nation by 2047, in the $100^{th}$ year of its Independence. Our Government has launched various schemes and initiatives to support the youth and provide them with the necessary resources to succeed. It is now up to the youth to take advantage of these opportunities and contribute positively to the development of our nation. … (*Interruptions*) Sir, I will finish in two minutes. On agriculture front, there is an estimated 45.8 per cent of labour from this sector in 2022-23 as per the Periodic Labour Force Survey Report, which means, going forward, non-agriculture growth will have to be high enough to absorb this labour, and our economic policies should be aligned to facilitate this absorption along with the labour-substituting impact of new technology. I wish to conclude by mentioning that focus should not only be on improving the economic indicators, but then there is the increasing challenge of pollution and climate change. Sir, the severe air pollution in Delhi and other major urban areas is going to considerably reduce the life expectancy of our citizens, which impacts the socio-economic indicators of our country in the long run. Similarly, urbanisation, industrialisation and rapidly increasing incomes, especially in the middle class, will drive an enormous increase in demand for energy services. There will be more demand for power for air-conditioning, lighting and appliances as well as more liquid fuels and/or electricity. India's urban

population contributes 63 per cent to the GDP which is expected to rise to 75 per cent by 2030. I wish to request that there should be dedicated budgeting to address the vulnerability to climate change impacts, such as extreme weather events, rising sea levels, and changing rainfall patterns. Recent floods in Chennai is an example, and there should be much higher spending on preventing such climate impacts in comparison to managing a disaster after the impacts.

With these words, I conclude my speech.

*__SHRI SUSHIL KUMAR RINKU (JALANDHAR):__ I am thankful, Hon. Chairman, Sir, that you have given me the opportunity to speak on Demands for Excess Grants. I am not asking for granting excessive money to my State. I will only ask for what is rightful and due to the state. The Central government has to provide this money to Punjab. The Rural Development Fund of Punjab has not been granted by the Central government ever since the AAP came into power in Punjab. Sir, the development work of rural roads of Punjab including Jalandhar, Adampur etc. could not be taken up due to lack of funds. Rs. 5637 crore of Rural Development Fund should be given to Punjab by the Central government. Rs. 621 crore of National Health Mission fund has also not been given to Punjab by the Central government.

The HRD minister had objected and said that Punjab government is misusing central government funds on 'Mohalla Clinic' scheme. Sir, in Punjab, 660 'Mohalla Clinics' have been started by AAP. Lakhs of people have benefitted from this scheme. Punjab government has clarified that not a single rupee of National Health Mission will be spent on Mohalla Clinics. Punjab government will utilise its own funds for this purpose.

Sir, Rs. 850 crore of NDF is due to Punjab and the Central government is yet to give this amount. About Rs. 1800 crore of Special Assistance Fund is also to be given to Punjab by the Central government. A total of Rs. 10,000 crore is yet to be given to Punjab by the Central government. This fund should be released to Punjab Government at the earliest. Punjab government had to

---

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

knock at the doors of Supreme Court to get these funds released. Punjab government did not want to do this.

So, I urge upon the Central government to release these funds to Punjab so that we can undertake stopped development works in the State.

Thank You.

**SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD):** Thank you very much Chairperson, Sir. I strongly oppose the Supplementary Demands for Grant. Political philosopher Niccolo Machiavelli warned that a prince who is without any wisdom himself cannot be well advised. Our Prime Minister is an unwise prince who can never be well advised. One of the major functions of Parliament is to advise the Executive branch. But as the prince is unwise, the advice goes fruitless.

We have heard, "*Achhe Din Aane Wale Hai*". Since the 2014 Election season and with the hike in railway fare, freight rate, petrol and diesel prices, sugar and LPG prices, is the Government doing what it had promised? Interestingly, the All-India Anti-Corruption and Citizens Welfare Core Committee had filed a PIL in the Bombay High Court alleging a criminal breach of trust by the Modi Government over the increase in railway ticket fare and prices of commodities. Although the plea was rejected by the court, the Modi Government is being blamed for not fulfilling its promise and breaking people's trust.

The dream of the third largest economy in the world with five-trillion dollar GDP by 2030 is a great one. But, let us examine and compare India's

GDP with the GDPs of the countries having the first and second largest GDPs. USA holds the first largest GDP of 25 trillion US dollars now. The US population is only 34 crores. See how big is the *per capita* income and hence the standard of living in the US. The second highest GDP is that of China with 18 trillion US dollars. Of course, the second largest population in the world of 142.57 crores, makes India's *per capita* income and standard of living very low as compared to the US. What is the present level of GDP of India? It is only 3.7 trillion dollars whereas India holds the largest population in the world, that is 142.86 crore. What would be the *per capita* income compared to the US and China? Foreign Direct Investment in retail trade has almost spoiled the micro, small & medium enterprises. If five trillion-dollar GDP is shared among the corporates, what is the inclusive growth strategy? The National Health Policy 2017 mandates that the health expenditure should be raised to eight per cent of the GSDP of the States by 2022 and 2.5 per cent of the GDP by the Centre by 2022. But in the 2023-24 Budget, the Centre has allocated only 1.97 per cent of the total expenditure which is less than one per cent of the GDP. Remember the floating of dead bodies on the river during COVID-19. So, I would request the Government to release more funds as supplementary grants. When countries like China spend five per cent to six per cent of GDP on education, India allocates just 2.5 per cent of the total expenditure on education, not of GDP. The dropout rate is on the increase which is alarmingly high among the SC and ST students. It should be remembered that the educated and skilled youth are the dividend of the country, not the unemployed

illiterates. India continues to grapple with persistent unemployment concerns, marked by fluctuations evident across various regions and sectors.

According to the recent Bloomberg Report citing data from the Centre for Monitoring Indian Economy for July, the national unemployment rate stands at 7.95 per cent as of July, 2023. Agriculture, which is India's largest private sector, is burdened with an archaic business model suffering from Government's controls. The farmer must be able to leverage land, labour, and capital like any other entrepreneur to be viable but lacks access to affordable credit, a reliable supply chain of inputs, and access to markets. In 2020, over 10,677 farmers, that is, 29 in a day or over one every hour, committed suicide, and estimates place the cumulative figure for two decades at over four lakhs. Agricultural input prices have to be raised to the maximum. Now, farmers are given freebies of Rs. 6000 which they will utilise not on agriculture but on other essentials. About 10 crore poor families are given cooking gas connections with cylinders. But a cylinder at the rate of Rs. 912 cannot be afforded by them. Due to the changes in the norms by the 15th Finance Commission, Kerala's share from the divisible pool declined from 2.5 per cent in the 14th Finance Commission to 1.93 per cent in the 15th Finance Commission. Hence, the State is under severe fiscal stress. The population of those above 60 years is comparatively high in Kerala. A minimum grant of Rs. 10,000 crore is necessary to address the geriatric care.

I am now concluding only with one line. Politics without principle is one of the seven deadly sins according to Mahatma Gandhi.

Hon. Chairperson, Sir, I am sorry to say that Modi Sarkar is the epitome of politics without principle.

Thank you very much.

**श्री एम. बदरुद्दीन अजमल (धुबरी):** सर, आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया। हम इसके सपोर्ट में हैं। चूंकि यह इलैक्शन बजट है और हमें भी इलैक्शन में जाना है, इसलिए सब को अपने-अपने हिसाब से बोलना ही पड़ेगा। Sir, my first demand is the allocation of fund to control flood and erosion in Assam especially in Fakirganj, South Salmara, Mankachar, Jaleswar, Goalpara, Dhubri, Bilasipara, etc. My second demand is the allocation of fund for construction of four-lane National Highway in Barpeta starting from Amingaon, Guwahati to North Salmara via Jania, Barpeta in the State of Assam. The third demand is the allocation of fund for the establishment of Central Universities and Medical Colleges in Dhubri, South Salmara, Mankachar, Bilasipara, Goalpara, Barpeta, Nagaon, Karimganj, and Hojai. The fourth demand is the allocation of fund for setting up hospitals in Dhubri, South Salmara, Mankachar, Bilasipara, Goalpara, Barpeta, Nagaon, Hojai and Karimganj. The fifth demand is the allocation of fund for the construction of new railway line from Bongaigaon, Abhayapuri to Amingaon, Guwahati via Jania and Barpeta town. My sixth demand is the allocation of fund for construction of RCC bridge over Brahmaputra River at Barpeta district either Bamun Dongra to Kholabandha or Bahari to Kasumara in Barpeta. My seventh demand is the allocation of fund for construction of RCC bridge over Beki River at Majid Bhita or Chikni. सर, यह लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और इसको जरूर हो जाना चाहिए। My eighth demand is the construction of RCC bridge over Jaljali

river at Bagmara to Simlitola, Alopoti to Nagarbera and Say Shiman to Dolgoma. My ninth demand is the allocation of fund for construction of RCC bridge starting from Bhaghmara Char to Simolitala Bazar.

My tenth demand is the fund for construction of RCC Bridge starting from Chaysimana to Dolgoma. My eleventh demand is the fund for construction of RCC bridge starting from Majar Char to Nagarbera. My twelfth demand is the fund for construction of RCC bridge starting from Uzirar Char – Mowkhowa to Dekdhowa. My thirteenth demand is construction of RCC bridge starting from north bank Habidongra to south bank Kholabhandha over river Brahmapurtra. My fourteenth demand is relating to fund for setting up jute industry in Dhubri, Goalpara, Mankachar, South Salmara and my last demand is the fund for setting up heavy industries in Assam especially Dhubri, South Salmara, Mankachar, Bilasipara, Goalpara, Barpeta, Nagaon, Hojai, Karimganj etc. Thank you very much for giving me this opportunity to speak on this issue. We are in support of this Supplementary Demands for Grants.

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR):** Sir, I rise to oppose the way the Supplementary Demands for Grants have been laid on the Table. It is the reflection of the lack of Government's vision.

Sir, the Supplementary Demands for Grants contains 79 Demands and four appropriations. Gross additional expenditure is Rs. 129348.85 crore, net cash outgo is Rs. 58378.21 crore, and saving recovery is Rs. 70968 crore.

सुबह से शाम तक सदन में हम लोग सुनते आ रहे हैं 'मोदी की गारंटी।' अब यह नया नारा शुरू हो गया है। पहले नारा था- 'मोदी है तो मुमकिन है।' अब नारा बदल गया है और 'मोदी की गारंटी' आ गया है। यह है नारों की सरकार, इसलिए इन लोगों के लिए चिन्ता नहीं करने की है दरकार।

बात यह है कि यह गारंटी किस पर है। जब गारंटी दी जाती है, तो उसकी एक वारंटी पीरियड भी होती है। क्या गारंटी के साथ वारंटी पीरियड है? इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कहा गया था कि दो करोड़ सालाना नौकरियाँ मिलेंगी, वह गारंटी खो गई। कभी कहा गया था कि बाहर से कालाधन लाकर हरेक लोगों की जेब में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे, वह गारंटी भी चली गई। यह भी कहा गया था कि नोटबंदी के कारण सारा ब्लैकमनी बैंक्स में वापस आ जाएगा, 99.68 परसेंट सफेद मनी आ गया। इस तरह से, केवल गारंटी ही गारंटी है, लेकिन इस गारंटी के साथ कोई वारंटी नहीं है। सरकार कहती है कि हम इस जमाने में थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनेंगे और वर्ष 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। इसे महान कंट्री बनाने में एक हजार साल लगेंगे। क्या गारंटी के लिए हम लोग एक हजार साल इंतजार करें? अभी हमारे साथ में कुछ लोग आए, इसलिए मैंने आप लोगों के बारे में कुछ कहा।

सर, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल जयंत सिन्हा जी कह रहे थे कि मार्केट की कैपिट्लाइजेशन 4-5 ट्रिलियन हो गई है।

**14.32 hrs** (Hon. Speaker *in the Chair*)

I would like to quote Raghuram Rajan ji. The euphoria on Dalal Street about India joining the elite group of countries with four trillion market capitalization and sensex hitting all-time record high level is not a good indicator of broader economic success, argues former RBI Governor.

In the just released book 'Breaking the Mould', Rajan and economist Rohit Lamba say that the stock market offers a misleading picture of the broader economy as the big are getting bigger and small ones are getting smaller. For a variety of reasons, including demonetization, the pandemic and the implementation of GST, we have seen an increase in the profitability of large funds in the country. While small and informal funds are doing relatively poor but only the formal sector is quoted on the stock markets which offers a misleading picture of the broader economy.

रघुराम राजन क्या कहते हैं, आप तो उसे नहीं मानेंगे। सुबह से शाम तक सारे सदन में केवल मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी का स्वर गूंजता है। मोदी जी के साथ हमारा कोई द्वेष नहीं है, मोदी जी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि जो धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उनमें से कोई गीता का पाठ करता है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है और कोई कुरान का पाठ करता है।

सदन में आने से पहले आप मोदी स्तुति, मोदी पाठ करने के बाद सदन में आया कीजिए। हर व्यक्ति, जो चर्चा में शामिल होता है, कम से कम दस प्रतिशत समय मोदी जी का गुणगान करने के लिए ये अपनी तरफ से … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपको क्या परेशानी है?

… (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** सर, मैं सलाह दे रहा हूं। … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप सलाह मत दीजिए। आप सदन के नेता हैं।

… (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** मैडम निर्मला सीतारमण जी यहां हैं। Madam, I would like to draw your attention to a very pertinent issue. One of the main aims of awarding contracts to the MSME sector through the MSME portal is to promote ostensibly the small enterprises for bringing about transparency in tendering process and to meet the ends of Atmanirbhar Bharat.

As per the system currently being followed, small enterprises which bid for and secure contracts through the GeM portal have to pay a fee of 0.5 per cent of the contracted amount. Thus, a person or an enterprise who secures a contract of, say, Rs.10 crore, will have to immediately pay a fee of Rs.10 lakhs. This amount of fee, you must appreciate, is substantial for a small enterprise and would only eat up the capital of the small entrepreneurs or firms. The simple point that is being made here is that the fee of taking up the contracted item of works through the GeM portal should not be such that it would be a burden for the small enterprises. It ends up eating into the likely profit margin and does not contribute to making the country Atmanirbhar. For achieving the goal of promoting small enterprises, I would suggest that the Government should do away with the current system of upfront payment of 0.5 per cent of the contracted amount immediately by the enterprise concerned.

Instead, a more viable and objective method of charging fees for the contracted amount on the portal could be introduced by way of having a

graded or slab-wise system of fees, prescribed starting from a contract amount of Rs.50 crore. A slab-wise system of the fee prescribed for contracted amount of Rs.50 crore and above will go a long way in helping the small enterprises and entrepreneurs by saving their capital and improving their profit margin.

मैडम, मैं यह इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर कोई इंटरप्रेन्योर होता है, तो उसको GEM पोर्टल में शामिल होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा असर एमएसएमई सेक्टर में होता है। आप एमएसएमई सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की बजाए व्हीलचेयर में बैठा देते हैं। इसलिए, मैं आपके संज्ञान में यह मुद्दा रख रहा हूं।

मैडम, यह कहा जाता है कि हमारा देश रोजाना तरक्की कर रहा है। हमें रोजाना बिलियन-ट्रिलियन की बातें सुनते-सुनते 'मुंगेरीलाल के सुनहरे सपने' याद आते हैं। इसलिए, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं to better understand the extent of food inflation. Rating agency CRISIL releases a monthly Roti Rice Rate which tracks price changes of the various commodities used to prepare a vegetarian and a non-vegetarian thali.

Madam, the cost of a vegetarian thali rose by 24 per cent to Rs.33.8 and that of a non-vegetarian thali by 13 per cent to Rs.67.3 in August, as compared to the same period last year. The inflationary pressure due to rising food prices and fuel and a depreciative rupee have resulted in the people relying on their savings to meet their consumption needs. The net household savings of Indians dropped to a five-decade low.

मैडम, मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे देश में आम लोगों का खर्चा करने का क्या पैरामीटर है? उनकी आज की ताजा हालत क्या है? There is a survey which would enable us to adequately gauge as to how much money people

spend on their consumption needs. The Consumer Expenditure Survey has been carried out by your Government. But its findings have been withheld. The results for 2022-23 and 2023-24 of CES are likely to come only after the 2024 elections.

The findings of a similar exercise done by the Government in 2017 and in 2018 were also withheld but the leaked data had shown a rise in poverty levels and a 45-year high unemployment. I do not know, Madam, whether you will be subscribing to my views or not but the issue is, मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक चलता है, मोदी की विकसित गाड़ी चलती है और काफी रफ्तार से चलती है, आप लोगों के कहने के मुताबिक, तो आपको 5 साल के लिए मुफ्त राशन की गारंटी देने की क्या जरूरत होती है? आप बताइए। आपको क्या जरूरत होती है? अगर सब कुछ ठीक-ठाक चलता है, तो ये इतने सारे रेवड़ी की बात जो कह रहे थे, उस रेवड़ी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों बैचेन रहते हैं, क्योंकि वे खुद रेवड़ी देने में आज काफी अग्रसर हो चुके हैं।

मैडम, मैं ये दो-चार बातें आपसे कहना चाहता हूँ। आप देखिए कि आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक 125 देशों में 111वीं है। What does it indicate? As far as the per capita income vis-à-vis GDP is concerned, we are now at 138$^{th}$ position in the world. In 2023, the trade deficit hit a record high of USD 31.46 billion, that means, our economy was beleaguered by high inflation, unstable rupee, and current account deficit. नार्मल जीडीपी हमारा फिफ्थ, पीपीपी में थर्ड है। मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे देश की पर-कैपिटा इन्कम आप देखिए। यह नॉमिनल में 2,612 डॉलर है और पीपीपी में 9,183 डॉलर है। मैं कहना चाहता हूँ कि आम लोगों को गुमराह करना सरकार का काम नहीं हो सकता है और इसलिए सरकार इससे बाज आए। रोजाना लोगों को जीडीपी की कहानी सुनायी

जाती है, लेकिन लोगों की जेब की हालत क्या है, लोगों के घर की हालत क्या है, लोगों को पेट पालने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, इसके लिए कोई सही दिशा दिखाने में आप विफल रही हैं। आप कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी फिफ्थ लारजेस्ट इन दी वर्ल्ड हो गई है और हम थर्ड लारजेस्ट होने जा रहे हैं। आप गौर कीजिए। India's GDP data has huge errors. Since 2016-17, when demonetisation was announced, the unorganised sector has been on the decline but the official data does not capture it. The organised sector is taken to be a proxy of the non-agricultural unorganised sector. आपने क्या किया, आपने क्रोनी कैपिटलिज्म को मदद की और क्रोनी कैपिटलिज्म की मदद के चलते हमारे देश से पलायन होता जा रहा है। अगर आप सही तरह से जवाब दोगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए फ्लाइट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हमारे देश में शुरू हो चुकी है। The resulting damage to the business environment has led to tens of thousands of high net worth Indians leaving India since 2014, and lakhs have given up Indian citizenship recently. यह सही है या नहीं, यह आप बताइए। मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है या नहीं। नीति आयोग का कहना है कि हमारे देश में मल्टिडाइमेन्शनल पावर्टी अभी 4.96 परसेंट हो गई है। The recently released Multi-dimensional Poverty Index by UNDP put the figure at 16.4 per cent. यह क्या दर्शाता है? हम जो भी बात करें, लेकिन there is another side behind all the hue and cry and behind all the high-octane propaganda by this Government.

आप ये सप्लीमेन्टरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स लाई हैं, इसमें आप एग्रीकल्चर, कैमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनीज को और सब्सिडी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देने को कह रही हैं। आपको इतने दिन तक यह याद नहीं आया। Government's DFG probably underestimates the actual cost of the subsidy to the exchequer.

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी और यह सरकार आर्गेनिक फर्टिलाइजर और बॉयो केमिकल फर्टिलाइजर की बात करते हैं। आप सालाना सब्सिडी फर्टिलाइजर में लगभग 1,75,000 करोड़ रुपये की दे रहे हैं। उसमें आर्गेनिक और बॉयो केमिकल फर्टिलाइजर का कितना हिस्सा है? हमारी जमीन खराब होती जा रही है। हमारी जमीन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए आर्गेनिक और बॉयो केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत है। बाजार में जो आर्गेनिक और बॉयो केमिकल फर्टिलाइजर मिलते हैं, वे नकली होते हैं। इसकी जांच करने की लैबोरेट्री नहीं है। आप बताएं कि आपकी सब्सिडी में आर्गेनिक और बॉयो केमिकल फर्टिलाइजर के लिए कितना हिस्सा रखा गया है? मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कीजिए। आप ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल कीजिए। इससे फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी और एनवायरमेंट भी अच्छा रहेगा।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि क्रोनी केपिटलिज्म का असर क्या होता है। Cronyism weakens economic administration and leads to the persistence of black income generation. A decline in the black economy would have led to India's Tax-to-GDP ratio to rise. It has remained at about 16 to 17 per cent in the last 10 years. Direct tax as a per cent of GDP has hovered at about 5.5 to six per cent. If the black money had been checked, it should have conservatively risen to 12 per cent of GDP. Increased GST collections post pandemic are being shown as an example of better compliance. But this is expected due to high inflation, increase in imports, and growth of the organised sector at the expense of the unorganised sector. A large number of fake companies to claim input credit are being detected every month and official evasion is running into tens of thousands of crores.

महोदय, जो बात बाहर कही जाती है, अंदर से उस बात में काफी फर्क निकल कर आता है। मैं एक और सलाह देना चाहता हूं कि यदि आप मुफ्त में राशन देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कौन-सा सेंसस अपनाते हैं? आप पुराना सेंसस वर्ष 2013 का अपनाते हैं लेकिन आज वर्ष 2023 खत्म होने जा रहा है। पिछले दस सालों से गरीब लोग मुफ्त राशन से वंचित रह गए हैं, लेकिन आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। मैं मैडम निर्मला सीतारमण जी से दरख्वास्त करता हूं कि आप बहुत कुछ जरूर सोचती हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं लेकिन आपके खिलाफ एक शिकायत भी है। आपने अपनी बेटी की शादी में हम में से किसी को न्योता नहीं दिया, एक लड्डू तक नहीं खिलाया। आप हमें एक दिन लड्डू जरूर खिलाएं। हम आपकी बेटी के लिए मंगल कामना करते हैं।

महोदय, यहां जो बात हमने उठाई है, आप उसके बारे में जरूर बताएं और सही दिशा में देश को आगे ले जाने की मैडम अपनी सोच सदन के सामने रखें। नमस्कार।

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Sir, please give me five minutes.

… (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** बहुत लम्बी डिबेट हो गई है।

वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी।

**वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण):** अध्यक्ष जी, यह इस साल का फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री है।... (व्यवधान) Sir, in this First Batch of Supplementary Demands for Grants, I want to emphasize on the fact that normally, there are three supplementaries which come. ... (*Interruptions*) लेकिन पिछले दो-तीन साल से हमारी सरकार बजट एस्टीमेट के समय से लेकर रिवाइज्ड एस्टीमेट की स्टेज तक आंकड़े सही करके सदन के पटल पर रखती है, इसलिए इतनी बार सप्लीमेंट्री बजट लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं आपके सामने इसे शुरुआत में ही रख रही हूं। जब सरकार अपने आंकड़े बजट के विषय में ज्यादा ध्यान देकर तैयार करती है, तो सप्लीमेंट्री में इतनी बार आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे पिछले दो-तीन साल के रिकार्ड में हम दो ही बार सप्लीमेंट्री बजट लाए हैं और इस बार पहली बार ला रहे हैं। मैं उम्मीद रखती हूं कि दूसरी बार आवश्यकता पड़ेगी तो आऊंगी, लेकिन तीसरी बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि कितने ध्यान से बारीक विषयों के ऊपर ध्यान रखकर हम बजट तैयार करते हैं, यह बात मैं सदन के सामने रखना चाहती हूं।... (व्यवधान)

Sir, in this first batch of Supplementary Demands for Grants, we are placing 79 demands और इसमें चार एप्रोप्रिएशन के विषय हैं। The Supreme Court of India, Central Vigilance Commission's staff, household and allowances of the Rashtrapati ji and also the Union Public Service Commission, इन चारों विषयों को एप्रोप्रिएशन में ला रहे हैं, जो एकदम आवश्यक है। इसलिए हम इन विषयों को इस सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में जोड़ रहे हैं। The gross additional expenditure is about 1.29 lakh crore and of this, the net cash outgo is estimated to be Rs.58,378 crore. So, from the net cash outgo, Rs.53,858 crore shall go under the revenue section and Rs.4,520 crore shall go under the capital section. यह 1.29 लाख करोड़ रुपये की जो हमारी मांग है, जिसे हम सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के फर्स्ट बैच में लाए

हैं। They are going out in four different Heads. पहला, 58,378 करोड़ रुपये एडिशनल कैश आउटगो है। Rs.70,968.15 crore is technical supplementary. And, this is matched by the surrender of savings in different sections with the demand or enhanced receipts, recoveries and so on. About Rs.2.49 crore is token supplementary to enable reappropriation of funds towards items of greater priority. इस टेक्निकल डिटेल्स को मैं हाउस के सामने रख रही हूं।

महोदय, इस मौके पर मैं श्री पिनाकी मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि सरकार की बजट प्रक्रिया के ऊपर, he had some kind words to say, particularly on the fiscal management.

महोदय, मैं सभी सांसदगण के सामने इस विषय को रखना चाहती हूं कि फिस्कल मैटर्स में, the guidance of the former Chief Minister of Gujarat or the current Prime Minister Shri Narendra Modi is based out of his experience of managing budgets in his then State, Gujarat, and now for the country. So, fiscal prudence has been kept top of the priority while at the same time not denying any welfare funds. इसलिए गरीबों की देखभाल करते हुए फिस्कल प्रूडेंस को मेन्टेन करते हुए और जहां पैसे फिजूल में खर्च होते हैं, पैसा बैठा रहता है और ग्राउण्ड में उसका खर्च नहीं होता है, इन सबको ठीक से संभालने के कारण आज हमारी इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेटल्स में सही रास्ते पर चल रही है। इसी के कारण, हम सबसे ज्यादा तेज रफ्तार में ग्रो करने वाली एकमात्र इकोनॉमी हैं। क्वार्टर-2 के 7.6 प्रतिशत की हमारी ग्रोथ दुनिया में सर्वाधिक है।

सर, हम जो पैसे ले रहे हैं, उसे किस कारण से ले रहे हैं, आपकी अनुमति से उसे क्यों ले रहे हैं और इस पैसे का किस हेड में जाना आवश्यक होगा, इस सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की ब्रीफ समरी में मैं यह सब कहना चाहती हूं।

सर, हमारे अधीर रंजन चौधरी जी ने न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स की बात की। उसके ऊपर यह सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है। इसलिए इस बजट में हम न्यूट्रिएंट-बेस्ड फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी के लिए 16,300 करोड़ रुपये ले रहे हैं।

This is being funded through cash supplementary and savings from the demand. सर, कैपिटल इन्फ्यूज़न में पिछले 4 साल से हर बजट में डिस्कशन में बीएसएनएल के ऊपर सभी माननीय सांसदों का ध्यान जाता है कि हमारे बीएसएनएल को क्या हो रहा है, आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के आरोप तक हैं कि बीएसएनएल को आप सेल करने के लिए इरादा रख रहे हैं। जबकि मैं हर बजट में बीएसएनएल के लिए प्रावधान करती आ रही हूँ। अभी भी 11,850 करोड़ रुपये बीएसएनएल के लिए कैपिटल इंफ्यूज़न कर रहे हैं। बीएसएनएल का ध्यान रखने वाली मोदी जी की सरकार है। पिछली सरकार को बीएसएनएल के लिए क्या नहीं करना था, और क्या नहीं किया, उसके बारे में हर बजट स्पीच में हमने ज़िक्र भी किया है कि बीएसएनएल की बुरी हालत का प्राइमरी कारण, 10 साल की यूपीए की सरकार में रहा है, जहां उसको दरकिनार कर के बीएसएनएल की प्रोग्रेस के लिए कुछ नहीं किया गया। मगर हम हर बजट में कुछ न कुछ देते आ रहे हैं। इस सप्लिमेंट्री डिमांड में भी 11,850 करोड़ रुपये कैपिटल इंफ्यूज़न बीएसएनएल के लिए कर रहे हैं। साथ ही, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए भी अलग से पैसा, इसमें से ही 1,434 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए 1,434 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।

महोदय, जो वायदा हमने गरीब लोगों से किया था, उनमें हम 'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत अगले 5 सालों तक मुफ्त अनाज राशन कार्ड पर दे रहे हैं एवं इसके लिए 5,500 करोड़ रुपये इस सप्लिमेंट्री डिमांड्स के द्वारा हम दे रहे हैं। महोदय, उज्ज्वला योजना में नंबर ऑफ हाऊसहोल्ड्स बढ़ाने के लिए जो वायदा माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया, उसके लिए 8,500 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जिससे एलपीजी का कनेक्शन गरीब के घरों तक जाए और पूरा सैचुरेशन हो जाए, जिससे एक भी गरीब ऐसा नहीं छूटना चाहिए। साथ ही, जिनको उज्ज्वला

योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला, ऐसे आरोप नहीं होंगे। सभी लोगों को, जो उज्ज्वला योजना के बेनिफिशरी होने की पात्रता रखते हैं, उनके पास सिलेंडर पहुंच जाएगा। सर, मनरेगो के लिए बार-बार हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि हम इतना पैसा मनरेगा के लिए नहीं देते हैं। अधीर जी ने भी इस बात को बार-बार उठाया है। यह स्कीम उनकी सरकार की थी और कहते हैं कि हम उनको क्रेडिट नहीं देते हैं। सर, मैं उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ, मगर वे यह भूल जाते हैं कि उनकी इस स्कीम का प्राइमरी फोकस है कि यह डिमांड बेस्ड स्कीम है। जब डिमांड ऊपर उठेगी, तब उनके लिए हम पैसा देंगे। सर, हमने 60,000 करोड़ रुपये बजट एस्टिमेट के समय दिया है। अभी डिमांड आने के कारण 20,000 करोड़ रुपये दे रहे हैं। उसके लिए लोक सभा से अनुमति मिलती है तो इस साल दिसंबर तक तो कुल मिला कर 80,000 करोड़ रुपये का प्रावधान मनरेगा के लिए इस हाऊस से मिल जाएगा। सर, माननीय सांसदों को याद होगा कि कोविड के समय भी जब जरूरत पड़ी, तब हमने 1 लाख करोड़ रुपये मनरेगा के लिए बजट के द्वारा पैसा दिया है। जब माँग उठती है, तब तुरंत उसको रेस्पॉन्ड भी करते हैं। सर, जम्मू और कश्मीर से additional expenditure towards Central assistance and resource gap meet करने के लिए जेएण्डके सरकार से माँग आई है। इसीलिए उनको 3,170 करोड़ रुपये इस सप्लिमेंट्री डिमांड के द्वारा हम दे रहे हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण घोषणा माननीय प्रधान मंत्री जी ने की है, जिसका नाम 'पीएम विश्वकर्मा' है।

**15.00 hrs**

उसमें 18 ऐसी चीजें हैं, जिनको ग्रामीण स्तर पर हाथों का उपयोग करके बनाया जाता है। जो लोग अच्छी-अच्छी चीजें बनाते हैं, चाहे लोहार हो या सोनार हो, उन सबके 18 ऐसे ट्रेड्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने लालकिले से 15 अगस्त, 2023 को पीएम-विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया। उसके लिए हम इस साल 989.52 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं।

सर, इसके साथ ही एक्सेस ग्रांट का भी एक बिल आपके सामने है। वर्ष 2020-21 में जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ, उसके लिए ऑडिट वगैरह होने के बाद अभी हम आपके सामने आ रहे हैं।

1,18,651 करोड़ रुपये का एक्सपेंडिचर in two grants and one appropriation, हम आपके सामने रख रहे हैं। जो एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ है, मैं उसके विवरण में नहीं जा रही हूं, क्योंकि इसमें और टाइम लग जाएगा। मैं मेम्बर्स के प्रश्नों का जवाब देना चाहती हूं। जो पेपर मेम्बर्स के साथ शेयर हुआ है, उसमें एक्सेस एक्सपेंडिचर का विवरण है।

सर, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर बहुत सारे मेम्बर्स ने बात की है। उस पर बहुत वरिष्ठ सांसद प्रो. सौगत राय ने बात की, मगर अभी वह हाउस में नहीं है। इसीलिए, मैं उनके प्रश्नों का जवाब अभी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे आपके पहले के ऑर्डर याद हैं। So, I am not answering his questions although he had raised a lot of questions which are only half-truths; and he does not come out with details.

मेरे सामने सांसद सुप्रिया सुले जी बैठी हैं। मैं उनके विषय को उठाना चाहती हूं। We certainly have prioritised on balancing the interests of the farmers and the interests of the consumers. Most often when we do this, we have a situation where when prices go up, you need to have supply side constraints removed, bring all the goods to the market - even if it means that you have to purchase it *ad hoc* from some large growing areas and bring it to the markets - for the consumers' sake. At this time, we are equally conscious if the price at which we procure from the farmers is adequate or meeting his requirement or not. So, it is always a question of balancing between the interests of the farmers and the interests of the consumers, but more often, inclined towards the farmers because we should not obtain or procure his goods at a rate lower than the MSP. That consideration has always been there in my mind. But for goods or farm products which do not have an MSP declared, it is constantly searching for the right fair price which is determined by the market forces

rather than we as Government determining it. So, as a result, I want to say that particularly in food grain prices, you find that the inflation had come down to 4.87 per cent as of October, 2023. There has been a more than five-fold rise in the Union Agriculture Budget of Rs. 1.25 lakh crores from Rs. 21,900 crore in 2013-14.

Hon. Member also raised the issue of the uncertainties in the export and banning of exports. Sometimes you allow exports and sometimes you do not. So, as a result of this fluctuating policy, you have a situation where farmers, particularly those who are growing onions, do have an issue saying that if they are able to fetch a better price by exporting, by banning that export, we are denying them that opportunity to get a better price. I understand their concern, but if there are crop shortages and if there are difficulties of getting something as essential as onion to the market, we will have to ensure that the Indian consumers get priority and therefore, sometimes we need to come up with such measures. But I quite understand the sentiments with which Member Supriya Sule has spoken.

Sir, the increase in MSP itself helps us to address the issues or concerns of the farmers.

I want to highlight the increase in MSPs, particularly the latest increase for the Rabi marketing season of 2024-25. I will name the crops and state the MSP which existed in 2014-15. Then, I will compare that with the MSP of 2024-25, and say what is the increase. For example, I start with wheat. In 2014-15, the MSP for Rabi marketing season was Rs. 1,400 per quintal. The MSP for

Rabi marketing season for 2024-25, which is the current Rabi marketing season, is Rs. 2,275 per quintal. It was Rs. 1,400 then. Now, it is Rs. 2,275. There is an increase of Rs. 875, which is a 63 per cent increase. Now, if we look at barley, it was Rs. 1,100. Now, it is Rs. 1,850, which is a 68 per cent increase. For gram, it was Rs. 3,100. Now, it is Rs. 5,440. For masoor, it was Rs. 2,950. Now, it is Rs. 6,425 per quintal, which is a 118 per cent increase. For rapeseed and mustard, it was Rs. 3,050. Now, it is Rs. 5,650 per quintal, which is an 85 per cent increase. For safflower, it was Rs. 3,000. Now, it is Rs. 5,800, which is a 93 per cent increase. The MSP itself has increased manifold between 2014 and now. So, this is taking care of the farmers. We have not just increased the MSP but we also procure from the farmers, and therefore, money goes directly into the hands of the farmers. … (*Interruptions*)

I would like to highlight about the wheat procurement, which will be of interest for the hon. Member who is now saying something. I would like to place this number before the hon. Member who is from Punjab. Through the hon. Speaker, I would like to inform him that MSP payment for wheat during 2006-14 was Rs. 2.39 lakh crore. That is all that went to the farmers. Now, Rs. 4.52 lakh crore, two times more, is going to the farmers who are growing wheat, be they in Punjab, be they in Haryana, or be they in Madhya Pradesh.

Similarly, as regards pulses, 1.52 lakh metric tons were procured in 2014. Now, in 2023, 82.21 lakh metric tons were procured. So, there is 54 times increase in the procurement of pulses. As regards MSP for paddy, Rs. 3.09 lakh crore went directly into the accounts of the farmers during 2006-14.

Now, between 2014 and 2022, if you see the difference, it is Rs. 10.06 lakh crore. So, 3.3 times more MSP goes to the paddy farmers.

Sir, I am not sure if Shri Dinesh Chandra Yadav is here. If he is not here, as per the direction given by the hon. Speaker, I would not respond to the issue. I cannot see the hon. Member. He is not here. So, I move over.

**माननीय अध्यक्ष :** वित्त मंत्री जी ने एक-एक मेंबर का सीरियस तरीके से नोट किया है और एक-एक मेंबर का जवाब दे रही हैं।

… (व्यवधान)

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** The direction should be reviewed because whatever is stated in the House, it is the responsibility of the Government to respond whether the hon. Member is present or not.

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Sir, do I follow your old order or is there a new order? … (*Interruptions*)

Another Member raised an issue. Again, I am not sure if I am able to spot Shri Sushil Kumar Rinku. If the Member is here, I will answer. The hon. Member is here.

Funds are not being released to Punjab, especially for rural development issues since the Government has come to power is what the allegation was. I would like to answer the hon. Member. Some scheme guidelines have been given for the schemes which go to the States, and when the compliance is not there, releases are not being made. Punjab will perhaps have to go back to check if they are following the guidelines issued for the schemes.

There are common reasons for not just Punjab, but the other States also which have a problem. The problem is that the Centrally-Sponsored Scheme funds are not released or are released with a delay by the Ministries. If there is a high bank balance, i.e. unspent balance, which remains in the account in the Single Nodal Agency of the scheme, obviously, till that is spent, the next instalment does not come. The second reason is non-submission of annual action plans by the States. Without the action plan, we are not able to see where that Central Scheme is getting executed. The third reason is the Outstanding Utilisation Certificates not coming on time. यह सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, जहाँ वर्तित है वहां भी है। आउटस्टैंडिंग यूटिलाईज़ेशन सर्टिफिकेट जब नहीं आता है तो नहीं मिलता। The fourth reason is violation of branding and naming guidelines of CSS. ज्यादातर स्टेट्स में प्रॉब्लम थी, सिस्टम को बदलने के बाद उनका पैसा उनके पास जा रहा है। The fifth reason is non-transfer of previously released Central share or State share into the SNA Account by the State Governments. The Single Nodal Agency Account was created after quite a lot of discussions with the States. जहां सेंट्रल स्कीम्स का पैसा, जहां सेंटर और स्टेट्स का शेयर है, अगर स्टेट का शेयर सिंगल नोडल एजेंसी के अकाउंट में आ जाता है तो उसी क्षण सेंटर का शेयर भी पहुंच जाता है। अगर स्टेट का पैसा उस सिंगल नोडल अकाउंट में नहीं डालते हैं तो सेंटर इंतजार करके देखता रहता है। सेंटर ने पैसा नहीं दिया, यह आरोप सही नहीं है। जिस मोमेंट में आप सिंगल नोडल अकाउंट में पैसा डालते हैं तो सेंटर का पैसा भी उसमें आ जाएगा। बहुत सारे स्टेट्स को इस विषय को समझने में थोड़ी देर लगी, मगर अब ठीक चल रहा है। Another reason is non-remittance of interest accrued in SNA account. To the consolidated fund, एसएनए अकाउंट का इंटरेस्ट चार्ज होता है। अगर वह इंटरेस्ट ठीक से जमा नहीं होता है, उसके

कारण भी डिले हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, Rs. 1,104 crore have been provided to Punjab under Rural Infra Development Fund by NABARD since Aam Admi Party came to power back in March, 2022. उदाहरण है, जहां सेंट्रल स्कीम का पैसा गया, मैं मेंबर को याद दिलाना चाहती हूं।

Shri Imtiyaz Jaleel raised some issues like SDG has some allocation for defence but what is the policy on China when we have lost twenty posts? यह उनका प्रश्न था। He also said that we should condemn Israel for violence. He said that in Narayanpur, which is close to Aurangabad, schools do not have roof. This is directly not much of an issue on the Supplementary Demands for Grants. Hence, there was no specific answer that I need to give.

**माननीय अध्यक्ष :** मंत्री जी, आप इन बातों का खंडन कीजिए, आपको लगता है कि गलत है तो खंडन करो। ये सब ऑन रिकार्ड जाना चाहिए।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मंत्री जी, आपकी बात का जवाब दे रही हैं।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** केवल माननीय मंत्री जी का ही भाषण रिकार्ड में जाएगा।

… (*Interruptions*) …*

**SHRI SYED IMTIAZ JALEEL :** Please tell me if I am wrong. … (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष :** आपकी बात का जवाब मंत्री जी दे रही हैं।

… (व्यवधान)

**SHRI SYED IMTIAZ JALEEL:** What is the policy regarding China and East Asia? … (*Interruptions*)

* Not recorded.

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Sir, I would like to inform the hon. Member that there is no restriction on the Member from talking on any issue. But this debate, this particular discussion is on the Supplementary Demands for Grants. You have asked me a question on what is the amount? You are taking money for Defence, now, what is our policy on China? I will say, why have I taken the money for Defence? And as Finance Minister, I am expected to explain and answer questions related to the Supplementary Demands for Grants, and that is exactly what I am doing. But this discussion today on the Supplementary Demands for Grants focusses on the Demands for Grants and not on the policy. You may ask that question when relevant, where relevant, and at the time when the discussion happens on this subject. … (*Interruptions*)

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** Sir, point of order … (*Interruptions*)

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Point of order! प्वाइंट ऑफ आर्डर क्या है? … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Sir, Rajmohan Unnithan ji, I do not know if he is here, since he is not here, I would not raise it.

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** जिन माननीय सदस्यों ने सदन में बोला है। … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप एक बात बताइए। क्या यह कोई अच्छा तरीका है कि माननीय सदस्य बोलकर चले जाएं? मैंने व्यवस्था दी है कि जो माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी के जवाब के समय सदन में हैं, उनका ही जवाब दें।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैंने व्यवस्था दे दी है। अध्यक्ष की व्यवस्था ही व्यवस्था है। आप नेता हैं।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** उनको सदन में रहना चाहिए।

… (व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर):** यह बात रिकॉर्ड में जाएगी कि यह माननीय सदस्य सदन में नहीं था। … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** जनता ने उनको चुनकर सदन में बैठने के लिए भेजा है। जब माननीय सदस्य बोलते हैं तो सदन में जवाब सुनने के लिए भी बैठना चाहिए।

… (व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई :** ये भी सदन में नहीं थे। … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** राज्य मंत्री थे।

… (व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई :** यह क्या प्रक्रिया है? … (व्यवधान) जनता रिकॉर्ड में सुन रही है। … (व्यवधान)

**श्रीमती निर्मला सीतारमण:** इधर जो हो रहा है**,** मैं भी सुन रही हूं। … (व्यवधान) एमओएस भी इधर हैं और मेरा रिप्लाई राज्य सभा में था। I could not have been here. But I was listening, and that is why, I am answering specifically. And if hon. Member finds anything which is not pertinent, I am glad to receive that kind of a chiding from the hon. Member saying, 'you are not talking about what I spoke or you are talking something different.' If I am not speaking pertinent, you are welcome to raise that issue. But again, hon. Member Gogoi tells you… … (व्यवधान) आप स्पीकर साहब से कह दीजिए। … (व्यवधान)

माननीय सदस्य गोगोई कह रहे हैं कि यह क्या प्रक्रिया है? मैं आपके आदेश के अनुसार जो मैम्बर प्रेजेंट है, उनके लिए जवाब दे रही हूं। यह मेरा निर्णय नहीं है, लिखित में रूल नहीं है, यह

स्पीकर साहब की डायरेक्शन है। इससे आपको आपत्ति है तो स्पीकर साहब से बात करिए। मैं इधर कोई प्रक्रिया तय नहीं कर रही हूं। … (व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई :** माननीय अध्यक्ष जी, हम आपको ही दरख्वास्त कर रहे हैं।… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपने दरख्वास्त कर ली, अच्छी बात है। मेरा और कोई मकसद नहीं था, एक ही मकसद था कि जब मैम्बर्स बोलते हैं तो जवाब के समय सदन में रहें। मेरा यही विषय है।… (व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई :** क्या टाइम दिया गया था?… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** टाइम पता था कि आज जवाब देंगे।

… (व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई :** ढाई बजे जवाब देंगे या तीन बजे देंगे? … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यह भी बता देंगे ताकि मैम्बर्स उपस्थित रहें। गोगोई जी, अगर मैम्बर्स उपस्थित रहेंगे तो ठीक रहेगा।

… (व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई :** पहले ऐसा नहीं होता था।… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** पहले ऐसा नहीं होता था। आप एक बात बताइए कि क्या आप इस मत से सहमत हैं या नहीं? समय तय कर देंगे, आपकी यह बात मान ली। लेकिन जो मैम्बर विषय को उठाते हैं, जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तब उपस्थित रहना चाहिए या नहीं?

… (व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई :** आप टाइम बता दें। … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** टाइम बता देंगे लेकिन उपस्थित तो रहना चाहिए।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** गोगोई जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या उपस्थित रहना चाहिए या नहीं?

… (व्यवधान)

**श्री गौरव गोगोई :** टाइम भी तो पता होना चाहिए।… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष** : मैं आपके सुझाव से सहमत हूं।

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Sir, Member Kathir Anand had spoken about how unfair treatment is being offered to the States on account of perceived inequity in taxes collected *vis-à-vis* quantum actually devolved to the States. Therefore, the allegation is the Centre is not giving as much as what is being collected from the States. Broadly, all hon. Members do appreciate and understand that this is not something which the Central Government decides. It is a formulation which is given by the Finance Commission. Based on the Finance Commission's recommendation, timely, appropriate amounts are sent to the States directly. इसीलिए हमें केंद्र सरकार की ओर से कुछ करेक्शन कम ज्यादा करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अभी काँटेक्स्ट यह है कि अगले फाइनेंस कमीशन का अनाउंसमेंट, यानी कैबिनेट डिसीजन हो गया है। जिनको नियमित रूप से चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, उसके साथ नोटिफिकेशन आएगा। फाइनेंस कमीशन देश के हर राज्यों से मिलकर उनके ओपीनियन लेगा। उसमें जो भी स्टेट्स कहना चाहती हैं, उसे उन्हें फाइनेंस कमीशन से कहना चाहिए। Since this announcement or this question came from the Member, I want to, through you, submit that Tamil Nadu received about Rs. 1.29 lakh crore as devolution under the share of Central taxes. This is the 14th Finance Commission award. And the 14th Finance Commission is the one which raised the State's share to 42 per cent. Earlier, it was 32 per cent. Now, during the 15th Finance Commission period, the 42 per cent became 41 per cent because of Jammu and Kashmir becoming a Union Territory. For the 15th Finance Commission period, as opposed to what they received during the 14th Finance Commission

Rs.1.29 lakh crore, they will be receiving Rs.2.36 lakh crore in addition to the revenue deficit grant of Rs.6229 crore. Since the Member Kathir Anand ji is here, the answer is before him. … (*Interruptions*)

**SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE):** What is the collection from Tamil Nadu? That was my question. … (*Interruptions*) You took a lot of money from the State as taxes. … (*Interruptions*) What you gave back to the State, it was not proportionate. That was my question.

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** It cannot be proportionate. It will be under the formula given by the Finance Commission. Proportionality is decided by the Finance Commission and not by me. … (*Interruptions*)

**HON. SPEAKER:** No.

… (*Interruptions*)

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Sir, there is no argument on this. … (*Interruptions*) I obey the Finance Commission just as I obey you here. So, the particular question asked by the Member is about the cesses and surcharges. I will give the details.

मैं हर सांसद को यह कहना चाहती हूं कि टैक्स कलेक्शन के बाद जो फाइनेंस कमीशन तय करता है, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट को जितना पैसा जाना है, उतना भेज देती है। आरोप यह है कि सेस और सरचार्ज कलेक्शन आज-कल ज्यादा हो रहा है, जिसका डीवोल्यूशन फाइनेंस कमीशन के द्वारा नहीं होता और चूंकि अब राज्यों से सेस और सरचार्ज ज्यादा कलेक्ट किया जा रहा है, यह आरोप लगाने वाले तमिलनाडु से हैं, जिनका यह कहना है कि तमिलनाडु को सेस और सरचार्ज से डीवोल्यूशन नहीं मिलने के कारण उनको जो मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है।

मगर, सेस और सरचार्ज का विषय भी, जो हम कलेक्शन कर रहे हैं, वह मैं डाटा के साथ प्रूव करना चाह रही हूं कि कितना डीवोल्यूशन, not by Finance Commission, पर राज्यों को कितना गया। मैं बोल रही हूं, जो टोटल सेस कलेक्शन है, उसमें छ: कैटेगरीज हैं, प्रारंभिक शिक्षा कोष, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष, जीएसटी कंपेनसेशन फंड, सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल डिजास्टर रेस्पांड्स फंड तथा नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड, ये दोनों मिलकर पाँचवे नम्बर पर हैं और छठा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है। इन सबको इकट्ठा करके वर्ष 2018-19 में, 14 लाख 4 हजार 882.50 करोड कलेक्शन हुआ है। वह ग्रैंड टोटल है।

The total cess collection including GST compensation cess is Rs. 26,08,980 crore. Of this, in 2018-2019, 53.86 per cent collection was allocated to the States. Now, progressively, this number has gone up, and I would like to say that in 2019-20, 102.99 per cent has been allocated to all the States. About 95.58 per cent has gone in the year 2020-2021, 97.70 per cent has gone in the year 2022, and 137.45 per cent has gone in 2022-23 which is a provisional number. And therefore, between 2018-19 and 2022-23, 99.32 per cent of all cesses collected have gone to the States.

Hon. Speaker, Sir, hon. Member Gaurav Gogoi has spoken about Disaster Relief Fund and special assistance to Andhra Pradesh and Tamil Nadu. … (*Interruptions*) Yes, Sikkim. This is a particular and severe cyclonic storm. I am not sure if I can pronounce it right. I will spell it for you – Michaung. I know it is a Burmese word. It has affected us. This cyclone has affected two States in varying degrees namely, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. The glacial outflow affected Sikkim. With a view to help the State Governments to manage the relief necessitated by the cyclonic storm, the Ministry of Home

Affairs has released, in advance, the Central share of second installment of the State Disaster Relief Fund of Rs. 493.60 crore to Andhra Pradesh, and Rs. 450 crore to Tamil Nadu. The Central Government has already released the first installment of the same amount to both the States. In addition, the State Government of Andhra Pradesh has an opening balance, in their SDRF account, of Rs. 2,569.85 crore, and Tamil Nadu has an opening balance of Rs. 813.15 crore.

So, further, without waiting for the Memorandum from the State Governments, the Central Government has constituted the Inter-Ministerial Central Teams for both the States. I understand the Teams have gone to the States and have done their assessment of damages which have been caused by the cyclone. … (*Interruptions*)

**SHRI GAURAV GOGOI:** Madam please check. With respect to Sikkim, the amount is very miniscule. It is less than … (*Interruptions*)

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** No. Right. I will … (*Interruptions*)

**SHRI GAURAV GOGOI:** Are you aware of the damages?

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Yes. Even I have gone to the border villages of Sikkim. I am quite conscious of what it means to them. … (*Interruptions*)

**SHRI GAURAV GOGOI:** Madam, unfortunately, the details are not with you. … (*Interruptions*)

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** No, I will give you the details. Do not worry. … (*Interruptions*) I will give you the details. But even after that … (*Interruptions*)

**SHRI GAURAV GOGOI:** I am asking you to increase it because as compared to the States of Andhra Pradesh and Tamil Nadu, the State of Sikkim has got only Rs. 44 crore. You can understand the difficulties faced by them. … (*Interruptions*)

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Sir, even for Tamil Nadu and Andhra Pradesh, these are advance payments. Sikkim will also get what is due to them and what the teams will assess and come back to us. I will give you the Sikkim figures as well.

Sir, further the Chennai basin project under the National Disaster Mitigation Fund includes Central Assistance of Rs. 500 crore. The Central Government is taking a proactive approach so that the urban flood mitigation project of Rs. 561.29 crore for integrated urban flood management activities can be taken up.

Sir, further, Members Gaurav Gogoi, Kathir Anand, Krishna Devarayulu and Mohd. Jawed of INC have questioned about inadequate allocation for MNREGA despite higher demand.

I have already explained this when I was responding to Shri Adhir Ranjan Chowdhury. It is a need-based allocation. As against the BE of 2023-24 Rs. 60,000 crore, we have now given another Rs. 20,000 crore. This

will be to meet all those demands which many of the States have raised. This question was also raised by Members Jayadev Galla and K. Subbarayan.

I cannot see Shri Jayadev Galla. You are here, Sir. You have also raised a question of nutrient based fertilizer subsidy that it is not aligning. I want to highlight it because that is a specific mention which hon. Member picked up and I need to answer that. Total requirement under this head is Rs. 16,300 crore. Out of this, Rs. 13,351 crore is additional cash requirement and the balance amount, which is about Rs. 3,000 odd crore, is being met from internal savings and is within the demand. Therefore, there is no misalignment, although it does not appear so clearly as you would add it up.

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY:** MNREGA says that we have to give job for 100 days.

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Yes, you will pick up every feature of the law which has been passed under you.

Sir, finally, there has been some kind of an aspect.

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** महोदय, वह जवाब नहीं देती हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** उन्होंने जवाब तो दिया है कि आपने जो कानून पास किया है**,** सरकार उस पर चल रही है।

**श्रीमती निर्मला सीतारमण :** महोदय, उसके हर एक पहलू पर बोलेंगे। जब उनके शासन के समय मनरेगा का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, कितने लोगों को मिला, नहीं मिला, सीएंडएजी की रिपोर्ट बोलती है कि जिन लोगों ने जन्म तक नहीं लिया था, मनरेगा के तहत उनको पैसा दिया गया है। उनकी पर्फार्मेंस यह है।…(व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** मैडम, मेरी बात सुनिए।…(व्यवधान) 2,92,000 करोड़ रुपये की जरूरत है।…(व्यवधान) मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। कोई झगड़े की बात नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए।

**श्रीमती निर्मला सीतारमण :** महोदय, ईश्वर प्रसाद जी का एफटी आर्टिकल पर कुछ ऑब्जर्वेशन आया है। कहा कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये लिखा, वो लिखा, वगैरह। Of course, it is again Prof. Saugata Ray. So, I need not refer to it. But that article refers to very many good points of achievement.

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY:** This is House property.

**माननीय अध्यक्ष :** हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या पार्लियामेंट में किसी आर्टिकल पर बहस होगी? नहीं।

… (व्यवधान)

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** So, I follow the Speaker’s order.

**माननीय अध्यक्ष :** अगर कभी कोई व्यक्ति कोई आर्टिकल लिख दें**,** तो क्या उस पर पार्लियामेंट में डिबेट होगी? नहीं।

… (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** महोदय**,** मान लीजिए कि काम में फंसे हुए हैं।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप एक सीनियर नेता हैं।

… (व्यवधान)

**श्रीमती निर्मला सीतारमण :** महोदय**,** इसीलिए मैं इसको हाइलाइट करना चाहती हूं।…(व्यवधान)

**श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) :** मैडम, मैंने जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया था।

**श्रीमती निर्मला सीतारमण :** महोदय**,** जम्मू-कश्मीर की मांग कितनी थी और हमने कितना पे कर दिया है**,** यह भी बता दिया है। मैंने जेएंडके विषय पर बोला है।…(व्यवधान)

Macroeconomic fundamentals are fine. The Government has been, in a way, noticed for the fiscal discipline and reining in of high level of public debt. We are also being warned by certain observers that India must avoid squandering its economic potential. Therefore, the economic success of this Government, particularly of post-COVID period, is the contribution that the people of India are making.

हमारे भारत के भाई-बहन इस देश की तरक्की के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। इस समय इसको नोटिस करके उसके लिए हम सब भारतीयों को गर्व होना चाहिए। कठिन मेहनत के साथ किसान, वंचित लोग, पीड़ित, दलित, गांव में रहने वाले सब लोगों ने इस देश की भलाई के लिए मेहनत करके इस देश को इस कगार पर पहुंचाया है। इसको रिकग्नाइज न करके बार-बार कुछ न कुछ नेगेटिव बात करने वालों से आज हमारे अमृत काल के लिए आगे बढ़ने का संदेश नहीं मिलता है। वर्ष 2047 का हमारा संकल्प विकसित भारत है। हम सब उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस माननीय हाउस के सामने मांग रखती हूं कि इस सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स फॉर ग्रांट्स को पारित करें।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रेमचन्द्रन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** Thank you very much, Sir. I did not get an opportunity to speak in the debate. I have a point regarding the economic situation of the State of Kerala. I am not subscribing to the allegations or the reasons stated by the Government of Kerala.

The Government of Kerala is alleging that a strong discrimination against the State is there. Its borrowing power is being reduced; the Revenue Deficit Grant is being reduced and also the divisible pool of taxes is not being

paid. So many dues are also there. These points have been raised by the State Government.

It is a fact that Kerala State is under severe financial stress and burden. The State Government is not able to pay even for the Mid Day Meal Scheme. They do not have sufficient money for this. So, I want to ask a humble question to the hon. Finance Minister. Will the Government consider for some packages to be provided to those States which are under financial burden to enhance the ceiling limit of the borrowing power? Will the other demands of the State of Kerala be considered by the hon. Finance Minister?

**माननीय अध्यक्ष :** नहीं, ऐसे थोड़े ही होगा। कोई राज्य खराब वित्तीय हालत में है, तो केन्द्र उसको सहयोग करेगा, ऐसा थोड़े ही होगा।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** इस विषय पर जितने घण्टे आवंटित थे, उससे डबल चर्चा हुई है। इस पर आवंटित समय से डबल चर्चा हुई है। अब कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछा जाएगा।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष महोदय**: अब मैं वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

> “कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 4, 6 से 8, 10, 11, 13 से 16, 18 से 21, 23 से 33, 35 से 38, 43 से 56, 58 से 66, 68, 69, 73, 74, 76, 78, 79, 85 से 98 और 100 से 102 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की

अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

1067

## ~~लोक सभा LOK SABHA~~

~~सदन~~ की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत ~~की जाने वाली~~ वर्ष 2023-2024
की अनुदानों की पूरक मांगों के प्रथम बैच की सूची
~~List of Supplementary Demands for Grants- First Batch for 2023-2024~~
~~to be submitted to the Vote of the House~~

| 1 | 2<br>संख्या और मांग का शीर्षक<br>~~No. and Title of the Demand~~ | 3<br>सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि<br>Amount of ~~Demand for Grant to be submitted to the Vote of the House~~<br>राजस्व ~~Revenue~~ ₹ | पूंजी Capital ₹ | जोड़ ~~Total~~ ₹ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि एवं किसान कल्याण विभाग | 2,00,000 | 6,28,00,000 | 6,30,00,000 |
| 2 | कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग | 217,65,00,000 | ... | 217,65,00,000 |
| 3 | परमाणु ऊर्जा | 600,60,00,000 | ... | 600,60,00,000 |
| 4 | आयुष मंत्रालय | 3,00,000 | ... | 3,00,000 |
| 6 | उर्वरक विभाग | 13350,83,00,000 | ... | 13350,83,00,000 |
| 7 | भेषज विभाग | 1,00,000 | 1,00,000 | 2,00,000 |
| 8 | नागर विमानन मंत्रालय | ... | 605,49,00,000 | 60549,00,000 |
| 10 | वाणिज्य विभाग | 145,01,00,000 | ... | 145,01,00,000 |
| 11 | उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग | 6,00,000 | 10,62,00,000 | 10,68,00,000 |
| 13 | दूरसंचार विभाग | 1,00,000 | 8310,77,00,000 | 8310,78,00,000 |
| 14 | उपभोक्ता मामले विभाग | 18,39,00,000 | 22,34,00,000 | 40,73,00,000 |
| 15 | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग | 6995,41,00,000 | 25,00,00,000 | 7020,41,00,000 |
| 16 | सहकारिता मंत्रालय | 4,00,000 | 50,00,000 | 54,00,000 |
| 18 | संस्कृति मंत्रालय | 260,35,00,000 | 2,00,000 | 260,37,00,000 |
| 19 | रक्षा मंत्रालय (सिविल) | 3198,42,00,000 | 1525,00,00,000 | 4723,42,00,000 |
| 20 | रक्षा सेवा (राजस्व) | 14992,90,00,000 | ... | 14992,90,00,000 |
| 21 | रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | ... | 1,00,000 | 1,00,000 |
| 23 | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | ... | 1,00,000 | 1,00,000 |
| 24 | पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | 2,00,000 | 3,00,000 | 5,00,000 |
| 25 | विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग | 4,00,000 | 10,00,000 | 14,00,000 |
| 26 | उच्चतर शिक्षा विभाग | 649,88,00,000 | ... | 649,88,00,000 |
| 27 | इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 2,00,000 | 40,18,00,000 | 40,20,00,000 |
| 28 | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 92,57,00,000 | 3,00,000 | 92,60,00,000 |
| 29 | विदेश मंत्रालय | 10616,16,00,000 | 9513,74,00,000 | 20129,90,00,000 |
| 30 | आर्थिक कार्य विभाग | 1438,46,00,000 | 6840,03,00,000 | 8278,49,00,000 |
| 31 | व्यय विभाग | ... | 1,00,000 | 1,00,000 |
| 32 | वित्तीय सेवाएं विभाग | 1992,68,00,000 | 8329,54,00,000 | 10322,22,00,000 |
| 33 | लोक उद्यम विभाग | ... | 1,70,00,000 | 1,70,00,000 |
| 35 | राजस्व विभाग | 344,14,00,000 | 179,82,00,000 | 523,96,00,000 |
| 36 | प्रत्यक्ष कर | 535,42,00,000 | 1,00,000 | 535,43,00,000 |
| 37 | अप्रत्यक्ष कर | ... | 2,66,00,000 | 2,66,00,000 |
| 38 | भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग | 24,08,00,000 | 70,05,00,000 | 94,13,00,000 |
| 43 | मत्स्यपालन विभाग | 2,00,000 | ... | 2,00,000 |
| 44 | पशुपालन और डेयरी विभाग | 2,00,000 | 147,32,00,000 | 147,34,00,000 |
| 45 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 2,00,000 | 1,00,000 | 3,00,000 |
| 46 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 7,00,000 | 4,00,000 | 11,00,000 |
| 47 | स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग | 2,00,000 | ... | 2,00,000 |
| 48 | भारी उद्योग विभाग | 244,01,00,000 | 1,00,000 | 244,02,00,000 |
| 49 | गृह मंत्रालय | 8,00,000 | 243,77,00,000 | 243,85,00,000 |
| 50 | मंत्रिमंडल | 44,08,00,000 | 40,00,00,000 | 84,08,00,000 |
| 51 | पुलिस | 2,00,000 | 1,00,000 | 3,00,000 |
| 52 | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 6,75,00,000 | 46,14,00,000 | 52,89,00,000 |
| 53 | चंडीगढ़ | 556,80,00,000 | 40,09,00,000 | 596,89,00,000 |
| 54 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 61,68,00,000 | 14,00,000 | 61,82,00,000 |

1068

2

| 1 | 2 | 3 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व Revenue ₹ | पूंजी Capital ₹ | जोड़ Total ₹ |
| 55 | लद्दाख | 4,00,000 | 5,00,000 | 9,00,000 |
| 56 | लक्षद्वीप | 207,41,00,000 | 4,00,000 | 207,45,00,000 |
| 58 | जम्मू और कश्मीर को अंतरण | 3170,00,00,000 | ... | 3170,00,00,000 |
| 59 | पुडुचेरी को अंतरण | 271,00,00,000 | ... | 271,00,00,000 |
| 60 | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय | 9,00,000 | 700,01,00,000 | 700,10,00,000 |
| 61 | सूचना और प्रसारण मंत्रालय | 4,00,000 | 8,00,00,000 | 8,04,00,000 |
| 62 | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग | 5,00,000 | 2,00,000 | 7,00,000 |
| 63 | पेयजल और स्वच्छता विभाग | 2,00,000 | ... | 2,00,000 |
| 64 | श्रम और रोजगार मंत्रालय | 1,00,000 | ... | 1,00,000 |
| 65 | विधि और न्याय | 3609,85,00,000 | 618,08,00,000 | 4227,93,00,000 |
| 66 | निर्वाचन आयोग | 73,67,00,000 | 28,09,00,000 | 101,76,00,000 |
| 68 | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | 3,00,000 | 1,00,000 | 4,00,000 |
| 69 | खान मंत्रालय | 1,00,000 | 1,00,000 | 2,00,000 |
| 73 | संसदीय कार्य मंत्रालय | ... | 2,07,00,000 | 2,07,00,000 |
| 74 | कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय | 260,36,00,000 | 2,64,00,000 | 263,00,00,000 |
| 76 | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 9216,85,00,000 | 2,00,000 | 9216,87,00,000 |
| 78 | पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय | 96,85,00,000 | 94,55,00,000 | 191,40,00,000 |
| 79 | विद्युत मंत्रालय | 2,00,000 | 1927,67,00,000 | 1927,69,00,000 |
| 85 | रेल मंत्रालय | ... | 69,83,00,000 | 69,83,00,000 |
| 86 | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | 1,00,000 | 2,00,000 | 3,00,000 |
| 87 | ग्रामीण विकास विभाग | 14524,34,00,000 | 12,00,000 | 14524,46,00,000 |
| 88 | भूमि संसाधन विभाग | 2,00,000 | ... | 2,00,000 |
| 89 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 2,00,000 | ... | 2,00,000 |
| 90 | जैव प्रौद्योगिकी विभाग | 1,00,000 | ... | 1,00,000 |
| 91 | वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग | 452,46,00,000 | 3,56,00,000 | 456,02,00,000 |
| 92 | कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय | 2,00,000 | 1,00,000 | 3,00,000 |
| 93 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | 1,00,000 | ... | 1,00,000 |
| 94 | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग | 1,00,000 | ... | 1,00,000 |
| 95 | अंतरिक्ष विभाग | 586,32,00,000 | 1,00,000 | 586,33,00,000 |
| 96 | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | 1,00,000 | ... | 1,00,000 |
| 97 | इस्पात मंत्रालय | 1,00,000 | ... | 1,00,000 |
| 98 | वस्त्र मंत्रालय | 4,00,000 | 2,00,000 | 6,00,000 |
| 100 | जनजातीय कार्य मंत्रालय | 2,00,000 | 1,00,000 | 3,00,000 |
| 101 | महिला और बाल विकास मंत्रालय | 4,00,000 | 6,00,00,000 | 6,04,00,000 |
| 102 | युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय | 1,00,000 | ... | 1,00,000 |
| | जोड़ Total | 88856,42,00,000 | 39462,32,00,000 | 128318,74,00,000 |

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नंबर 20।

**15.40 hrs**

## (iii) APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2023*

**THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN):** Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2023-2024.

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

> "कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 12.12.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नंबर 21।

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Sir, I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2023-2024, be taken into consideration."

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

**माननीय अध्यक्ष :** अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

"विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**15.42 hrs**

## DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS – FIRST BATCH, 2023-2024 AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2020-2021…Contd.

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष संख्या 15 और 18 के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

1072

लोक सभा LOK SABHA

लोक सभा

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2020-21 की अतिरिक्त अनुदानों की मांग सूची

List of Demands for Excess Grants for 2020-21 to be submitted to the Vote of the House

| मांग की संख्या और शीर्षक No. and Title of the Demand | | सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि Amount of Demand for Grant to be submitted to the Vote of the House | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | |
| | | राजस्व Revenue ₹ | पूंजी Capital ₹ | जोड़ Total ₹ |
| 15. | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग | 118648,59,80,000 | ... | 118648,59,80,000 |
| 18. | रक्षा मंत्रालय (सिविल) | ... | 1,91,62,184 | 1,91,62,184 |
| **कुल** | **TOTAL** | **118648,59,80,000** | **1,91,62,184** | **118650,51,42,184** |

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

---

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नंबर 22।

**15.43 hrs**

## (IV) APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 2023 *

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2021, in excess of the amounts granted for those services and for that year.

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

> "कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Sir, I introduce ** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 12.12.2023.

** Introduced with the recommendation of the President.

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नंबर 23।

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** I beg to move:

"That the Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2021, in excess of the amounts granted for those services and for that year, be taken into consideration."

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**माननीय अध्यक्ष :** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** Sir, I rise to move:

“That the Bill be passed.”

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

---

**माननीय अध्यक्ष:** वापस लिए जाने वाले विधेयक।

आइटम नम्बर – ए, माननीय गृह मंत्री जी।

**15.46 hrs**

## GOVERNMENT BILLS –Withdrawn

(i) BHARTIYA NYAYA SANHITA, 2023*

**गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने वाले तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

"कि अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने वाले तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री अमित शाह:** अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को वापस लेता हूँ।

---

* The Bills were introduced on 11 August, 2023 and referred to the Standing Committee on Home Affairs for examination and report. The Report of the Committee was laid on the Table of Lok Sabha on 4 December, 2023. A Statement containing reasons for which the Bills are being withdrawn has been circulated to members on 11.12.2023.

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नम्बर – बी.

**15.46½ hrs**

## (ii) BHARTIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023*

**गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दण्ड प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

> "कि दण्ड प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री अमित शाह:** अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को वापस लेता हूँ।

---

* The Bills were introduced on 11 August, 2023 and referred to the Standing Committee on Home Affairs for examination and report. The Report of the Committee was laid on the Table of Lok Sabha on 4 December, 2023. A Statement containing reasons for which the Bills are being withdrawn has been circulated to members on 11.12.2023.

… (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि ये बिल वापस क्यों लिए जा रहे हैं?**…** (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नम्बर – सी.

**15.47 hrs**

## (iii) BHARATIYA SAKSHYA BILL, 2023*

**गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों का समेकन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

> "कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों का समेकन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री अमित शाह:** अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को वापस लेता हूँ।

---

* The Bills were introduced on 11 August, 2023 and referred to the Standing Committee on Home Affairs for examination and report. The Report of the Committee was laid on the Table of Lok Sabha on 4 December, 2023. A Statement containing reasons for which the Bills are being withdrawn has been circulated to members on 11.12.2023.

**माननीय अध्यक्ष :** पुर:स्थापित किए जाने वाले विधेयक।

आइटम नम्बर – डी.

**15.48 hrs**

## GOVERNMENT BILLS – Introduced…Contd.

(iii) BHARTIYA NYAYA (SECOND) SANHITA, 2023*

**गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने वाले तथा तत्संबंधी या उससे संसक्त मामलों का उपबंध वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

"कि अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने वाले तथा तत्संबंधी या उससे संसक्त मामलों का उपबंध वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री अमित शाह:** अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 12.12.2023.

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नम्बर – ई.

**15.48½ hrs**

## (iv) BHARTIYA NAGARIK SURAKSHA (SECOND) SANHITA, 2023*

**गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दण्ड प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

> "कि दण्ड प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री अमित शाह:** अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 12.12.2023.

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नम्बर – एफ.

**15.49 hrs**

## (v) Bharatiya Sakshya (Second) Bill, 2023*

**गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों का समेकन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

"कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों का समेकन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री अमित शाह:** अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 12.12.2023.

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री जी, क्या आप अधीर रंजन जी को क्लियर करना चाहते हैं?

**श्री अमित शाह :** अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता ने जो सवाल उठाए हैं, इन तीनों विधेयकों को मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया था और फिर उसको गृह विभाग के मामले की स्टैंडिंग कमेटी को विचारार्थ भेजा था। समिति ने इसमें ढेर सारे सुझाव करके विधेयक को वापस भेजा था। समिति ने जो सुझाव दिए थे, उनमें से बहुत सारे सुझाव सरकार ने स्वीकार किए हैं। इतने सारे ऑफिशियल अमेंडमेंट्स लाने की जगह मैंने पुराना विधेयक को वापस लेकर नए विधेयक को पुर:स्थापित किया है। इस हेतु पुराना विधेयक वापस लेकर नया विधेयक पुर:स्थापित किया है।

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Sir, a new Bill is coming. The present Bill itself runs into a large volume. It is very difficult to go through the Bill and propose notice of amendments within a short time. So, sufficient time may be given to the Members.

**माननीय अध्यक्ष :** हम आपको इस पर बोलने के लिए पर्याप्त समय और मौका देंगे।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** इस पर बीएससी में डिटेल में चर्चा होगी। अधीर रंजन जी, उस समय आप जितना चाहें बोल सकते हैं। हम सभी को बोलने का मौका देंगे।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** हम आपको बोलने के लिए पूरा समय देंगे।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** डिबेट के लिए 12 घंटे रखे गए हैं।

**श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर):** अध्यक्ष महोदय, आप चर्चा शुरू करने से पहले समय दीजिए।…(व्यवधान)

**श्री अमित शाह :** महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज चर्चा नहीं हो रही है। इस पर चर्चा परसों होगी। आप आराम से स्टडी करिए। जो बदलाव हुए हैं**,** वे ज्यादातर

ग्रामैटिकल एरर्स में बदलाव हुए हैं, फुल स्टॉप और कॉमा के बदलाव हैं। कुछ तीन-चार धाराओं में बदलाव हुआ है। मूल विधेयक जो था, वही है। फिर भी, आपको 48 घंटे अध्ययन के लिए जरूर मिलेंगे, इसीलिए मैंने आज यह पुर:स्थापित किया है। इस पर कल चर्चा नहीं है। हम इस पर परसों चर्चा करेंगे और परसों जवाब भी नहीं होगा। इस पर मतदान इसके बाद वाले दिन होगा। इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय सभी माननीय सदस्यों को मिलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण लैजिस्लेशन है। हम भी इसे हड़बड़ी में पारित नहीं करना चाहते हैं।

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** मंत्री जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इतने सारे संशोधन स्टैंडिंग कमेटी में लाए थे, जिनके कारण आपको यह लगा कि ये सारे बिल्स विदड्रा करके नए सिरे से पेश होने चाहिए। इसका मतलब है कि बिल का जो दायरा है और इसमें जो समस्याएं हैं, जो-जो बिन्दु इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें बहुत सारे तर्क हैं।

सर**,** इसलिए इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए।

**HON. SPEAKER:** No.

… (व्यवधान)

**श्री अमित शाह :** मान्यवर, इसका सवाल ही नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी ने एट लेंथ इस पर चर्चा की है। मैंने कहा कि इसमें ज्यादातर सुझाव और बदलाव, वे ग्रामैटिकल और भाषा के सुधार हैं। पांच धाराओं में ही बदलाव स्वीकार किए गए हैं, बाकी मूल बिल वही है। फिर भी, इस पर माननीय स्पीकर साहब लंबी चर्चा, जो करने के लिए कहें, मैं तैयार हूं। उस वक्त भी आपके कोई बदलाव आते हैं, तो सरकार निश्चित रूप से ठीक लगेगा तो ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आएगी। आप जरा भी चिंता न करिए।

**15.53 hrs**

## JAMMU AND KASHMIR REORGANISATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2023
## AND
## GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (AMENDMENT) BILL, 2023

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नम्बर 24 और 25 को एक साथ चर्चा में लिया जाता है।

माननीय मंत्री जी।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय):** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

और

"कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**माननीय अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

और

"करेंगे कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू):** अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया है।

महोदय, इस विधेयक के पारित होते ही जम्मू-कश्मीर संघ क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट्स आरक्षित होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

महोदय, जब से केन्द्र में नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से ही महिलाओं के प्रति मान-सम्मान, उनको वे सारी सुविधाएं जो 70 वर्षों से नहीं मिल पा रही थी, अब वे उनको मिल रही हैं। उसके लिए देश के प्रधान मंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। महोदय, उन्होंने माता-बहनों के लिए सबसे पहले निर्णय लिया, वह स्वच्छ भारत योजना के माध्यम से शौचालय बनाने के लिए लिया। हम सभी जानते हैं कि हमारी माता-बहनों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

शायद अपोजिशन के लोग इसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आहिस्ते-आहिस्ते उनको भी पता चला कि यह सरकार का बहुत ही अहम फैसला है कि हर घर शौचालय होना ही चाहिए, ताकि माता, बहनों की इज्जत व मान-सम्मान बरकरार रहे।

महोदय, अगर मैं दूसरी बात करूं तो केन्द्र सरकार ने स्कूलों में भी बेटियों के लिए अलग से शौचालय बनाने की जो एक मुहिम शुरू की, उसका भी बहुत बड़ा लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में व शहरी क्षेत्र में मिला तथा बेटियां आत्म मान-सम्मान के साथ स्कूलों में अपना समय बिताने लगीं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधान मंत्री जी ने देश में एक ऐसा भाव पैदा करने का माहौल बनाया, प्रयास किया, जिससे महिलाओं का मान-सम्मान बढ़े। हरेक कार्यक्रम में महिलाओं, बहनों का मान-सम्मान बढ़ाना, उनके प्रति सम्मान से बात करना और एक के बाद एक ऐसी योजना बहनों के लिए लेकर आना, उसके लिए प्रधान मंत्री जी ने जो सफल प्रयास किए हैं, उसमें बहुत सारी सफलताएं मिली हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माता, बहनों, बेटियों के लिए ऐसी एक नहीं, बल्कि बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। अगर मैं इस बिल की बात करूं तो इस बिल के माध्यम से बहनों को अपने अधिकार मिलने वाले हैं और उनको मान-सम्मान मिलने वाला है। विशेष तौर से अगर मैं जम्मू-कश्मीर की बात करूं तो इससे पहले भी केन्द्र सरकार ने और जम्मू-कश्मीर सरकार ने मिलकर जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के उत्थान के लिए एक नहीं, बल्कि अनेक कदम उठाए हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए सीट्स के आरक्षण की बात हो रही है। इससे पहले भी एक नहीं, बल्कि अनेकों कार्य जम्मू-कश्मीर की बेहतरी

के लिए केन्द्र सरकार ने किए हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे एसटी के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो या ओबीसी के वर्ग को संवैधानिक संरक्षण मिलने की बात हो, पीओ जे. एंड के. के व्यस्क पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को अपने अधिकार देने की बात हो, वाल्मीकि समाज का मान-सम्मान बढ़ाने की बात हो, गोरखा समाज की बात हो और इसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव जम्मू-कश्मीर में केन्द्र सरकार ने किए हैं। मैं विशेष तौर पर थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करते ही जम्मू-कश्मीर अब बदला हुआ नजर आता है। जब से केन्द्र में नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार आई है, तब से जम्मू-कश्मीर के लोगों की एक के बाद एक समस्या का समाधान हो रहा है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं थीं, जिनका पहले की सरकारें समाधान कर सकती थीं, लेकिन उस ओर किसी का ध्यान ही नहीं था। विशेष तौर पर जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस का ही राज रहा है, लेकिन इन्होंने भी अपने परिवार और पार्टी की ही चिंता की। वोट बैंक की राजनीति के नाते इन्होंने समय बर्बाद दिया और समय पास किया। पिछले 70 वर्षों से एक मेडिकल कॉलेज जम्मू में था और एक मेडिकल कॉलेज कश्मीर में था। मैं इसे महिलाओं के साथ भी जोड़ रहा हूं। देखिये, जब से केन्द्र में नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार आई है, वहां एक नहीं, बल्कि अनेक मेडिकल कॉलेजेज कश्मीर घाटी में और जम्मू में बने हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं जम्मू-कश्मीर को दी गई हैं, जिसके जम्मू-कश्मीर के नागरिक बहुत पहले से हकदार थे। महोदय, अगर मैं महिलाओं की ही बात करूं, तो इस सबसे माता, बहनों को लाभ मिल रहा था। अगर मैं आपके सामने महिलाओं की बात करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में सभी लड़कियों के लिए उच्च माध्यमिक स्तर तक की स्कूल फीस माफ कर दी गई है। यह बहुत बड़ा कदम जम्मू-कश्मीर की बहू, बेटियों के लिए केन्द्र सरकार और जम्मू-कश्मीर की सरकार ने उठाया है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक छात्राओं को मुफ्त वर्दी और पाठ्य-पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। इस वर्ष 2023-24 में साढ़े 4 लाख से भी अधिक छात्राओं

को इसका लाभ मिला है। हम बात करते हैं, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें थीं, जिसका सामना हमारी बहनों, बेटियों को करना पड़ता था। उसके लिए भी हमारी केन्द्र सरकार और जम्मू-कश्मीर की सरकार ने काफी अच्छे कदम उठाए हैं।

**16.00 hrs**

मासिक धर्म स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, 89 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और 951 बालिका विद्यालयों में सैनीटरी पैड, बेडिंग और इनसिनेटर मशीनें स्थापित की गई हैं और अगले दो महीने में 1482 स्कूलों में और ऐसी मशीनें स्थापित की जाएंगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक्स को… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि आप महिलाओं के आरक्षण पर भी तो कुछ बोलिए।

**श्री जुगल किशोर शर्मा :** महिलाओं को आरक्षण देने, उनको आत्म सम्मान देने और उनको आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं, मैं उस पर भी चर्चा कर रहा हूँ। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़े शब्दों में अपनी बात को रखूँगा।

पहले छात्राओं को स्वस्थ बनाने और उन्हें अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हजारों स्कूलों में आत्मरक्षा के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह एक बहुत बड़ा कदम जम्मू-कश्मीर की सरकार द्वारा उठाया गया है।

मैं बताना चाहता हूँ कि महिलाओं और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 'बेटी है अनमोल' योजना लागू की गई है और विभिन्न स्कूल्स की 10 हजार लड़कियाँ इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। इन लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए 5 हजार रुपए प्रदान किये जाते हैं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि छात्राओं को प्रोत्साहन देने और उन्हें अन्य छात्रों के बराबर बनाने के लिए वर्ष 2023-24 में समग्र शिक्षा के द्वारा बीपीएल छात्रों को नीट की कोचिंग प्रदान करने की एक बहुत बड़ी पहल की गई है। यह कोई कम बात नहीं है।

आप कहें, तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहनों के लिए एक नहीं, बल्कि अनेक योजनाएं लागू की हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, विडो पेंशन, माताओं-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारे कदम उठाये गये हैं। अभी पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप और अन्य किसानों को 'ड्रोन दीदी' के माध्यम से जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 'ड्रोन दीदी' के माध्यम से जो ड्रोन दिया जा रहा है, उसका भी आने वाले दिनों में, हमारे क्षेत्र में इन ड्रोन दीदियों के माध्यम से बहनों और नौजवानों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, जिससे कृषि क्षेत्र में भी क्रांति आएगी और माताएं एवं बहनें भी आगे बढ़ेंगी।

देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने के लिए अपने साथ-साथ गांव और किसानों का सहयोग करने के लिए नौजवानों एवं बहनों को भी नये टेक्नोलॉजी के साथ खेतीबाड़ी, निगरानी एवं बिज़नेस करने में भी वे सहयोग करेंगे।

इससे पहले भी कई बार देश भर में आवाज़ें उठती रही हैं कि माताओं एवं बहनों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन किसी ने इसकी परवाह नहीं की। केवल वोट बैंक की राजनीति करते हुए ही वे आगे बढ़ते गये। लेकिन केन्द्र सरकार ने, जैसा कि पूरे भारतवर्ष के लिए पिछले दिनों में बिल पास हुआ था और आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर की माताओं एवं बहनों को भी इस बिल का लाभ मिलेगा। इसलिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।

मैं वेस्ट पाकिस्तान और पीओजेके के रेफ्यूजियों की बात करना चाहता हूँ। उसके लिए भी जो आरक्षण दिया गया। विशेष तौर पर कश्मीरी पंडित परिवार, जो पलायन करके आये हुए हैं, उसमें भी एक बहन का नाम यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ-साथ, जहाँ तक माताओं और बहनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं, वे तो उठाये ही गये हैं, लेकिन इसके साथ ही

बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी हैं, जिनका लाभ हमारी बहनें और विशेष रूप में जम्मू-कश्मीर में उसका लाभ मिला रहा है। 'तेजस्विनी' योजना के माध्यम से 5 हजार से अधिक युवा महिलाओं ने आवेदन दिया है और 4668 इकाइयाँ मंजूर की गई हैं। उद्यमिता पहल को प्रोत्साहन दिया गया है और 'मुमकिन' योजना लागू की गई है। इसके अलावा, कई योजनाएं दी गई हैं और उनका लाभ हमारी बहनों को मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब से श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने हैं, तब से उनके नेतृत्व में यह सरकार आगे बढ़ रही है।

महोदय, मैं अगर जल जीवन मिशन की बात करूंगा, तो लोग कहेंगे कि जल जीवन मिशन का इस बिल के साथ क्या संबंध है? मैं यह कहना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के माध्यम से 'हर घर नल से जल' और नल में स्वच्छ जल के माध्यम से भी माताओं-बहनों को बहुत बड़ा लाभ मिला है। ज्यादातर माताएं-बहनें ही पानी लेने के लिए दो-तीन किलोमीटर जाती थीं। आज वे माताएं-बहनें देश के प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट कर रही हैं कि उन्होंने 'हर घर नल से जल' के माध्यम से हर घर में जल देकर उनकी समस्या का समाधान किया है।

महोदय, इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं और जो मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें भी माताओं-बहनों के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं। इसका भी लाभ हमारी माताओं-बहनों को मिलेगा।

महोदय, माताएं-बहनें आत्मनिर्भर हों और किसी और पर निर्भर न हों, उसके लिए केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे बहुत ही सराहनीय हैं।

मैं अंत में इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक मैसेज, जो कि जम्मू-कश्मीर की माताओं-बहनों का है, वह यह है कि देश के प्रधान मंत्री जी, आपने जिस तरह से जम्मू-कश्मीर की माताओं-बहनों का मान-सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और जिंदगी भर आपका साथ देते रहेंगे।

धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री अधीर रंजन चौधरी जी, क्या आप बोलना चाहते हैं? आप बोलकर क्या करेंगे?

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अधीर रंजन जी ऑल-राउंडर हैं, वे किसी भी विषय पर बोल सकते हैं।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपको भी थोड़ी देर बाद बोलने का मौका देंगे। आज आपको पक्का मौका देंगे।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अभी अधीर रंजन जी का नंबर है। मैं आपको बाद में मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अधीर रंजन जी, क्या आप बोल रहे हैं?

… (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) :** हां, सर। … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** बोलिए।

… (व्यवधान)

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY:** Sir, I rise to support this legislative document under the nomenclature "Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Bill, 2023".

सर, उस दिन भी चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय सरकार को यह ध्यान नहीं रहा था कि हमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन देना जरूरी है। लेकिन बाद में इनको यह पता चला कि महिलाओं को भी सम्मानित करना चाहिए। इसलिए, जो शुरू से नहीं हुआ, चर्चा के दौरान जब विपक्ष की तरफ से सरकार को सलाह दी गई थी, गुहार लगाई थी, तो सरकार को ज्ञान का उदय हुआ और उससे वे महिलाओं को संरक्षण देने के लिए दूसरा विधेयक ला रहे हैं।

सर, यह उचित कदम है। मैं इस उचित कदम की सराहना करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। बात यह है कि हम सब जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश आया है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, इलेक्शन कमीशन को यह निर्देश किया है कि साल 2024 के सितंबर महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है।

सर, हम लोगों ने भी पिछली चर्चा में यही बात रखी थी कि चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। मतलब यह है कि विपक्ष जो कहता है, बाद में सरकार उसकी जानकारी लेती है। ये चुनाव जरूर होने चाहिए। मैं सरकार से यह गुजारिश करूंगा कि इसमें देर नहीं करनी चाहिए। आखिर इतनी देर क्यों? अगर सरकार चाहे, सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में जाए, सरकार अगर इलेक्शन कमीशन को कहे, तो चुनाव पहले भी हो सकते हैं। चुनाव पहले क्यों नहीं कराए जा सकते हैं? लोक सभा के साथ-साथ वहां के चुनाव भी करा सकते हैं। यह कोई मजबूरी नहीं कि हमसे जब तक कोई नहीं कहेगा, तब तक हमें चुनाव नहीं कराने हैं।

सदन के अंदर आपने कमिटमेंट किया था। हमारे गृह मंत्री जी ने सदन के अंदर यह कमिटमेंट किया था कि हम चुनाव कराएंगे। यह भी कमिटमेंट किया था कि हम एप्रोप्रिएट टाइम पर स्टेटहुड भी देंगे। हम यह कहते हैं कि चुनाव कराने से पहले क्यों स्टेटहुड नहीं दिया जा सकता है? आप पहले स्टेटहुड दे दीजिए, उसके बाद चुनाव कराइए, ताकि जम्मू-कश्मीर के लोगों को यह लगे

कि हमारी बात थोड़ी-बहुत सुनी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको निर्देश दे दिया है। इसलिए, आप इस सदन के अंदर यह घोषित कर दीजिए कि हम उतनी देर नहीं करेंगे, बल्कि उससे पहले हम चुनाव कराएंगे। ट्रूथ एंड रीकन्सिलीऐशन कमेटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है। इसके बारे में भी आपको कुछ कहना चाहिए, क्योंकि सारे मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं।

अमित शाह जी, यह बात सही है कि जम्मू-कश्मीर में हम जो भी कहें, चाहे कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें हम यहाँ करते रहें, लेकिन वहाँ सब कुछ साधारण नहीं है। अगर वहाँ सब कुछ साधारण होता तो सुप्रीम कोर्ट को इस विषय पर क्यों आने की जरूरत होती? हमारे अमित शाह जी सदन के अंदर सीना ठोककर यह बात कहते हैं कि हम पीओके को हमारे देश में लेकर आएंगे।... (व्यवधान) आज वहाँ क्या हो रहा है? ... (व्यवधान) अमित शाह जी, सुन लीजिए।... (व्यवधान) आज पीओके का सीना चीरकर चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। तीन हजार किलोमीटर का वह रास्ता बन रहा है। आप कहते हैं कि हम पीओके की तरफ से किसी को नुमाइंदा बनाएंगे। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप कुछ करके तो दिखाओ।... (व्यवधान) मान लीजिए कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई।... (व्यवधान) आप तो बलवान हो, आप तो पहलवान हो, तो आप पहलवान होकर पीओके को छीनकर लाइए।... (व्यवधान) हम यह देखना चाहते हैं।... (व्यवधान) सदन के अंदर आप बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं कि हम सियाचिन को हासिल करके रहेंगे।... (व्यवधान) हम लद्दाख का हासिल करके रहेंगे।... (व्यवधान) सियाचिन हमारे साथ है।... (व्यवधान) लद्दाख को हम हासिल करके रहेंगे।... (व्यवधान) आपने लद्दाख में क्या किया है, यह बताइए।... (व्यवधान) अक्साई चिन को शामिल करेंगे, क्योंकि अक्साई चिन पीओके के अंदर है। अक्साई चिन कश्मीर के अंदर है। पीओके कश्मीर का हिस्सा है। आपने यह कहा था।... (व्यवधान) अगर आपने ऐसा कहा था तो अक्साई चिन आप कब लाओगे?... (व्यवधान) पीओके आप कब लाओगे? ... (व्यवधान) इसलिए पहलवानी छोड़कर... (व्यवधान) जो कार्य होना चाहिए, ... (व्यवधान) जुबान पर पहलवानी है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, महिला के विषय पर बोलिए।

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** आप जुबान पर पहलवानी की बात करते हैं।... (व्यवधान) ऐसा नहीं है।... (व्यवधान) हमारा किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है।... (व्यवधान) आप जुबान पर पहलवानी की बात करते हैं।... (व्यवधान) आप बड़ी-बड़ी बात तो कहते हैं।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, जो पीओके है, उस पर भी महिला आरक्षण रखा है, आप चिंता मत कीजिए।

**श्री अधीर रंजन चौधरी** : सर, बात तो यह है कि पीओके तो हमारे हाथ में नहीं है। अमित शाह जी कहें कि कब पीओके हमारे हाथ में आयेगा? ... (व्यवधान) ये बलवान पुरुष हैं, इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ।... (व्यवधान) ये सुबह-शाम बात करते हैं।... (व्यवधान) हाँ, करके दिखाइए।... (व्यवधान) चुनाव होने के पहले करके दिखाइए।... (व्यवधान) मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहा हूँ कि पीओके को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुआ था कि पीओके हमारे हाथ में लगना चाहिए।... (व्यवधान) अब चीन वहाँ से सड़क बना रहा है।... (व्यवधान) आप चीन के खिलाफ एक भी बात नहीं कहते हैं।... (व्यवधान)

**गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह):** महोदय, कांग्रेस पार्टी के नेता इतने जोर-जोर से मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं कि अक्साई चिन कब आएगा, पीओके कब आएगा? अब वह बिल तो पारित हो चुका है, वरना मैं जवाब देता। मैं जवाब दूँगा भी, परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पीओके और अक्साई चिन किसके शासन में गया। जरा इसका जवाब दे दीजिए।

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** बिल्कुल ।... (व्यवधान) तीन युद्ध लड़े हैं।... (व्यवधान) अब तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में इंदिरा गाँधी जैसी आयरन लेडी थी।... (व्यवधान) तीन युद्ध हुए हैं, इसलिए सब कुछ बचा हुआ है।... (व्यवधान) आप इतिहास को विकृत मत किया करो।... (व्यवधान) आप हमारे देश के गृह मंत्री हैं। सुबह-शाम नेहरू जी के खिलाफ इस तरीके की अनवेरिफाइड बात मत किया कीजिए। इस तरीके का इल्जाम लगाने की बात मत किया करो।... (व्यवधान) आपने क्लासिफाइड क्यों करके रखा है? ... (व्यवधान) आप बुचर की रिपोर्ट को क्यों

डीक्लासिफाई नहीं कर रहे हैं? आप बताइए।... (व्यवधान) सब कुछ क्लासिफाइड नहीं रहना चाहिए।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अधीर रंजन जी, पुराने समय में आपने ये सब बातें बोल दी हैं। अब तो आप इस बिल पर बोलिए।

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** सर, बात यह है कि किस समय क्या हुआ था, इस विषय पर अगर हमारी तरफ से ऐतिहासिक दृष्टिकोण को छोड़कर।

**माननीय अध्यक्ष :** इस विषय पर आप लंबी डिबेट कर चुके हो।

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** सर, मुझे डिबेट नहीं करनी है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण को छोड़कर, अभी सिर्फ इल्जाम लगाना, आरोप लगाना, यह हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे कोई भी प्रधानमंत्री ने देश का इंटरेस्ट छोड़कर किसी दूसरे की मदद नहीं की है। आज इस तरीके के इल्जाम लगाये जा रहे हैं जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कोई अपराधी थे। ऐसा नहीं है। आप लोग अपने इतिहास की तरफ देखिए।... (व्यवधान)

सर, अगर आप बोलने देंगे तो हम बोल लेंगे।... (व्यवधान)

**श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र):** सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। ये विषय से भटक रहे हैं।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** उनको ज्यादा बोलने दोगे तो ठीक रहेगा।

... (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** अमित शाह जी, मैं आप लोगों का थोड़ा इतिहास बताना चाहता हूँ। अमित शाह जी, उस दिन आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कह रहे थे। आपको याद है कि 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और फजलुल हक, एक हिन्दू महासभा के और एक मुस्लिम लीग, दोनों ने मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी।

क्या आपको याद है कि इसके पीछे क्या कारण था? आपको याद होगा कि वर्ष 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदु महासभा से थे और फजलुल हक जो़ मुस्लिम लीग के थे, ने मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप पुराना कागज बार-बार क्यों पढ़ते हैं? यह कागज पुराने रिकार्ड में भी है।

... (व्यवधान)

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** पाकिस्तान रेजोलूशन फजलुल हक ने तय किया था।... (व्यवधान) नार्थ वेस्टर्न फ्रंटीयर में मुस्लिम लीग के साथ पार्टिशन की मदद करते हुए सरकार बनाई थी। आप इधर-उधर की बात न करके सीधे देश के हित की बात कीजिए। आप सुबह और शाम इल्जाम लगाते हुए किसी का अपमान न कीजिए। यदि आप अपमान करना चाहते हैं तो खुले सदन में सुबह से शाम तक चर्चा करने की जरूरत है।... (व्यवधान)

महोदय, कश्मीर में हेल्थ के विषय पर हमारे साथी बोल रहे थे। According to the latest finding of the National Family Health Survey, levels of malnutrition in J&K have increased at an alarming level. In 2019-21, 19 per cent of children were wasted as compared to 12 per cent in 2015-16. In 2019-21, and 9.7 per cent children were severely wasted as compared to 5.6 per cent in 2015-16. मतलब हर साल बच्चों की हालत बुरी होती जा रही है। Prevalence of anaemia in children between 6 and 59 months of age increased from 53.8 per cent in 2015-16 to 72.7 per cent in 2019-20. Prevalence of anaemia in women between 15 to 49 years of age increased from 48.9 per cent in 2015-16 to 65.9 per cent in 2019-20. According to the report of 2021 by NITI Aayog, J&K has only 17 beds in a district hospital per lakh population, far below the national average of 24 beds per lakh population. J&K has the second lowest ratio of staff nurses in population as per Indian Public Health Standards set under the National Health

Mission. महोदय, ये महिला के बारे में बात करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जिनके बारे में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आप जम्मू-कश्मीर में चुनाव करके दिखाएं और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दें। पहले आप पूर्ण राज्य का दर्जा दें और उसके बाद चुनाव करवाएं। कोई हारे, कोई जीते, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है लेकिन आप चुनाव करके दिखाएं।

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** अध्यक्ष जी, मैं जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटेरीज अमेंडमेंट बिल, 2023 के बारे में बोलूंगा। आज सुबह मैंने इस बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध किया था। मुझे यह कहना था कि आप जम्मू-कश्मीर पर एक के बाद एक बिल ला रहे हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर में ये लागू होंगे, कब वहां चुनाव होगा, कब जम्मू-कश्मीर एक राज्य बनेगा, इस बारे में मंत्री जी बहुत कुशल तरीके से चुप हैं। मैं चाहता हूं कि वे आज बताएं कि कब जम्मू-कश्मीर में चुनाव होंगे और कब जम्मू-कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। इस बिल में आपत्ति की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे हाउस ने सर्व सम्मति से महिलाओं को संरक्षण, आरक्षण संविधान के 106वें संशोधन के तहत दिया और एक तिहाई आसन महिलाओं के लिए सब जगह रखना पड़ेगा। इसे तो आप रखेंगे, लेकिन, एक विधान सभा, जो खाली है और नहीं है, एक यूनियन टेरीटर्री है, वह कब राज्य बनेगा, उसके बारे में नहीं बोला गया है।

सर, आज बहुत अच्छा मौका है। आज मंत्री जी यह बिल लाए हैं। अनुच्छेद-370 को जो एब्रोगेट किया गया था, उस पर कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, पर हम यह कह सकते हैं कि यह बड़ा डिसअप्वायंटिंग है। हमें सुप्रीम कोर्ट की राय तो माननी पड़ेगी, लेकिन हम इससे दु:खी हैं। हमें दु:ख है।… (व्यवधान)

सर, आज अमित शाह जी का बड़ा बयान आया है, प्रधान मंत्री जी का बड़ा बयान आया है कि जम्मू एवं कश्मीर में एक नया सूरज उगेगा, सुप्रीम कोर्ट के ठप्पे के बाद एक नया समय शुरू होगा।

कश्मीर की जो पार्टियां हैं, आप उन्हें देखिए। डॉ. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी लड़ाई शुरू हुई है। उन्होंने यह कम्प्लेन किया कि उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या आप चुनाव नहीं कराएंगे और नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखेंगे?… (व्यवधान)

आप पीडीपी की लीडर महबूबा मुफ्ती को देखिए।… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप खंडन कीजिए।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, इनकी बात सुन लीजिए।

… (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** महोदय, यह मेरा कहना नहीं है।

**श्री नित्यानन्द राय :** महोदय, कल भी माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि किसी को भी हाउस अरेस्ट में नहीं रखा गया है। वे जहां चाहें, वहां जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें सुरक्षा भी दी जा सकती है। सदन में स्पष्ट रूप से यह कह देने के बाद भी माननीय सांसद बार-बार इस बात को इस तरीके से लाकर इस महिला आरक्षण विधेयक का, जो जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी के लिए है, चतुराई से उसका विरोध कर रहे हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** यह बात कल भी सदन में कह दी गयी थी, आज भी कह दी गयी।

… (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** कौन विरोध कर रहा है? मैंने तो पहले ही कहा कि हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, आरक्षण सभी जगह होना चाहिए, लेकिन आरक्षण करने के दिन के पहले, सुप्रीम कोर्ट की राय आएगी, इसलिए आप लोग, लोगों को हाउस अरेस्ट में डालेंगे, यह तो ठीक नहीं है।… (व्यवधान)

**श्री नित्यानन्द राय :** महोदय, जब यह बात हाउस के फ्लोर पर कही गयी, उसके बाद भी इनको भरोसा नहीं हो रहा है।… (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** सर, क्या मुझे बोलने दिया जाएगा या मंत्री ही बोलेंगे?… (व्यवधान)

**श्री नित्यानन्द राय :** ये जान-बूझकर बार-बार सदन को और देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो उचित नहीं है।… (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** सर, आप तो छोटे मंत्री हैं, बड़े मंत्री सामने बैठे हैं।… (व्यवधान) आप तो छोटे मंत्री हैं, बड़े मंत्री जी को बोलने दीजिए।… (व्यवधान)

सर, जम्मू-कश्मीर में जितनी पार्टीज़ हैं, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की बात की, मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की बात की। अब्दुल गनी लोन, जिनकी अलग पार्टी है, उन्होंने

भी कहा कि यह डिसअप्वायंटिंग है। जम्मू-कश्मीर में सभी पार्टियों ने यह कहा कि हमारे राज्य की जो अलग मर्यादा थी … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपकी पार्टी क्या बोल रही है?

**प्रो. सौगत राय :** सर, हमारी पार्टी बोलती है कि इस पर अमित शाह जो करेंगे, उसके खिलाफ बोलना।… (व्यवधान)

**श्री अमित शाह :** महोदय, मैं कभी यह बोलूंगा नहीं कि तृणमूल कांग्रेस जीते, मगर मैंने यह बोल दिया तो वे कहेंगे कि नहीं, नहीं, हम हार जाएंगे।… (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** यह स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट की एक राय आयी, जिसे लेकर जम्मू एवं कश्मीर में कोई खुशी नहीं है। ये गृह मंत्री, जिन्होंने अपने हाथों से वर्ष 2019 में अनुच्छेद-370 को एब्रोगेट किया, इसके बारे में उन्हें चिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। आप बोलते हैं कि आपने कश्मीरियों की भलाई के लिए यह सब किया, लेकिन कश्मीर में एक भी आदमी, एक भी पार्टी आपका समर्थन नहीं करती है, इसे आपको समझना पड़ेगा। आपने कश्मीर में इतना बड़ा कदम उठाया, क्या जम्मू एवं कश्मीर में इसके समर्थन में महिलाओं का कोई जुलूस निकला? यह नहीं निकला।… (व्यवधान)

सर, एक और मंत्री जी खड़े हो गए।… (व्यवधान) मेरे बोलने से एक ही जगह पर तीन मंत्री खड़े हो जाते हैं, यह अच्छी बात है।… (व्यवधान)

सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बारे में अधीर रंजन चौधरी जी ने काफी बातें उठाई हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख के साथ जो अक्साई चिन है, वह अभी चीन के कब्ज़े में है। अधीर चौधरी जी ने यह भाषा प्रयोग की है, उन्होंने बताया कि आप तो बड़े बलवान हैं, तो चीन से अक्साई चिन छीन लो। काराकोरम हाईवे, जो कश्मीर के बीच से जाता है, उसको अपने हाथ में ले लो। पिछले दिनों मंत्री जी जो फर्स्ट अमेंडमेंट ले कर आए थे, उसमें पीओके लोगों के लिए 2 सीटें रिज़र्व की हैं। साथ ही, पीओके से जो भाग कर आए हैं और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 2 सीटें रिज़र्व की हैं। पीओके के लिए 26 सीटें जम्मू-कश्मीर असेंबली में खाली रहेंगी, यह घोषणा की गई

है, लेकिन हमारा पीओके कब वापस आएगा? सर, अमित शाह जी बोलते हैं कि यह नेहरु के समय चला गया था और हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के रास्ते पर चल कर इसका उद्धार करेंगे। लेकिन कब करेंगे? कब चुनाव करेंगे, कब पीओके लेंगे, यह बताइए? … (व्यवधान)

सर, मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करता हूँ। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी ने ठीक बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जेल में मौत हुई थी, जिससे हम सभी बंगाली दुखी हैं। … (व्यवधान) सर, हम उनको नमन करते हैं। लेकिन यह बात तो सही है कि आज़ादी की लड़ाई में श्यामा प्रसाद बाबू एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए थे। वे फज़लुल हक़ से मिल कर, जो मुस्लिम लीग से थे, उनके साथ मिल कर एक मंत्रीमण्डल चलाते थे। श्यामा प्रसाद बाबू ने कुछ अच्छे काम किए थे। वे एक ही स्लोगन देते थे कि - 'एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए। … (व्यवधान) आप तो श्यामा प्रसाद बाबू की इस चिंता को रूप दे रहे हैं। … (व्यवधान) लेकिन मैं कहता हूँ कि जो आज़ादी की लड़ाई में जेल में नहीं गया, मैं उसको पूरा नमन नहीं करता हूँ, आधा नमन करता हूँ। जो आज़ादी की लड़ाई में जेल में गया, वही असल नेता था। बीजेपी के लोग, …* जेल में नहीं गए। … (व्यवधान) * ने सन् 1942 में बोल दिया कि कोई भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होगा। … (व्यवधान) ठीक है, जो * करती है, * को मानते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। … (व्यवधान)

**श्री नित्यानन्द राय :** अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि वे इतिहास पढ़ें। … (व्यवधान) गलत तथ्यों को नहीं रखें। … (व्यवधान) उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। … (व्यवधान) लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का इरादा और सोच है, ऐसा इरादा और सोच रखने वाले आज़ादी की लड़ाई में उनका व्यक्तिगत रूप से बढ़-चढ़ कर आचरण और व्यवहार रहा है। इतिहास उठा कर देख लीजिए। … (व्यवधान)

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, जो सदस्य यहां नहीं हैं, उनके बारे में विचार व्यक्त न करें। आप महिला आरक्षण पर बोलिए।

… (व्यवधान)

**श्री नित्यानन्द राय :** उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि जिनके विषय में आप कोट कर रहे हैं, उनके विषय में भी आप जानिए कि देश के प्रति और आज़ादी में उनका क्या-क्या इतिहास रहा है। … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** इसको रिकॉर्ड से निकाल दिया है।

… (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** सर, श्यामा प्रसाद बाबू की पॉलिटिक्स ठीक नहीं थी। वे अच्छी आदमी थे। … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** दादा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर डिबेट नहीं हो रही है। आप महिला आरक्षण पर डिबेट करो न।

… (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** वे नेहरु की कैबिनेट में इंडस्ट्री मिनिस्टर भी थे। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स ठीक नहीं थी। … (व्यवधान) लेकिन हम दुखी हैं कि कश्मीर की जेल में उनकी मृत्यु हुई। … (व्यवधान)

**श्री नित्यानन्द राय :** श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नेहरु जी के कैबिनेट से इस्तीफा दिया और उसका कारण क्या था, यह भी रिकॉर्ड में आना चाहिए। माननीय सौगत साहब को यह भी बताना चाहिए। … (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** आप रिकॉर्ड में लाइए। … (व्यवधान)

**श्री नित्यानन्द राय :** आप बताइए कि उन्होंने मंत्रीमण्डल से क्यों इस्तीफा दिया था? … (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** रिकॉर्ड बाद में देख लेंगे। … (व्यवधान)

सर, मुझे यह कहना है कि अमित शाह जी पहले से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के तीन नारे थे – राम मंदिर, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट। पहला – राम मंदिर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है, वह बन रहा है।

कश्मीर में भी आप अपना काम कर पाए हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी करेंगे। यही बीजेपी का कम्यूनल, सांप्रदायिक और डिवाइसिव एजेंडा है। हम इसके खिलाफ हैं। हम अकेले भी रहेंगे तो भी इसके खिलाफ बोलेंगे।… (व्यवधान)

सर, हमें बोलने दिया जाए।… (व्यवधान)

**श्री अमित शाह:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन वह क्या बोल रहे हैं**?** हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स में रखी हुई बात है। आप जिसको भगवान मानते हैं, उसे जवाहर लाल नेहरू ने हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा है। उसे हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा है कि आने वाले दिनों में देश के विधान मंडल और संसद किस दिशा में चलनी चाहिए।… (व्यवधान) इनको मालूम नहीं है कि वह क्या बोल रहे हैं।

महोदय**,** अगर इसी प्रकार से बात करनी है और आप इस विषय को अनुमति देते हैं तो मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। अगर इसी तरह से बात करनी है तो जिन्होंने भारत को तोड़ा, वह मोहम्मद अली जिन्ना किस पार्टी के नेता थे।? … (व्यवधान) किस पार्टी के नेता थे… (व्यवधान)

मान्यवर, आज इनको मालूम नहीं है। अगर श्यामा प्रसाद बाबू न होते, उन्होंने बंग-भंग न किया होता तो आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा न होता। … (व्यवधान) कांग्रेस की डिजाइन से तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में चला गया होता, पाकिस्तान में चला गया होता।… (व्यवधान) श्यामा प्रसाद बाबू थे, जिन्होंने बंग भंग किया। इसके कारण आज बचा हुआ बंगाल भारत का हिस्सा है। यह क्या इतिहास पढ़ा रहे हैं? मैंने इतनी विकृत दृष्टि से इतिहास का इंटरप्रिटेशन नहीं देखा है।… (व्यवधान) दूसरा बंग भंग केवल और केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण हुआ।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री ए. राजा जी।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** सौगत राय जी, आप महिला आरक्षण बिल पर बोलिए।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** सौगत राय जी, आपको महिला आरक्षण बिल पर बोलना है, लेकिन आप कहां की डिबेट कहां ले जा रहे हैं।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप महिला आरक्षण बिल के आसपास बोलिए। आप कहीं का डिबेट कहीं ले जा रहे हैं। आप सीनियर मेंम्बर हैं।

… (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** सर, भारत में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर सियासती झगड़ा है।… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** नो, यह गलत है।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** क्या महिला आरक्षण बिल सियासती झगड़ा है?

… (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** सर, मैंने कहां गलत बोला? … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप कहां का इतिहास कहां ले जा रहे हैं।

… (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** सर, आप बताइए।… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं यह नहीं कह रहा हूं। आज महिला बिल पर चर्चा हो रही है, उस पर आप बोलिए

… (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** सर, मैं अपनी बात खत्म करने वाला हूं। मैं बहुत खुश हूं।… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अब आप आगे बात मत कीजिए।

… (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** सर, मैं खुश हूं। मैं एक सामान्य सदस्य हूं। मेरी बात पर इतने बड़े मंत्री ने बार-बार मुझे टोका है। इससे मैं खुश हूं। इससे मेरी मर्यादा और गरिमा बढ़ गई है।… (व्यवधान)

**श्री अमित शाह:** दादा, आप जरा भी ऐसा इंटरप्रेटेशन मत कीजिए कि मैं आपको टोक रहा हूं। मैं इस महान सदन में झूठ बोलने वाले व्यक्ति को टोक रहा हूं।… (व्यवधान)

मान्यवर, इन्होंने तीन मुद्दों को कम्यूनल कहा – राम मंदिर, आर्टिकल 370 को हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड।… (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** मैंने कहा कि यह बीजेपी का एजेंडा है।… (व्यवधान)

**श्री अमित शाह:** दादा, आपने कम्यूनल कहा।… (व्यवधान)

मान्यवर, राम मंदिर बनाने का फैसला इस देश का सर्वोच्च अदालत ने दिया है। हमारे माननीय संसद सदस्य क्या यह कहना चाहते हैं कि इस देश की सर्वोच्च अदालत कम्यूनल फैसले करती है? आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला है, इसका संपूर्ण अनुमोदन भारत की सर्वोच्च अदालत ने किया है। क्या आप कहना चाहते हैं कि उसने कम्यूनल फैसले का अनुमोदन किया है?

तीसरा, संविधान सभा ने हमारे सामने एक डायरेक्टिव रखा है कि इस देश में कभी न कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या आप कहते हैं कि राजेन्द्र बाबू की अध्यक्षता में जो संविधान सभा बैठी थी, वह कम्यूनल डायरेक्शन देती थी? … (व्यवधान)

दादा, आपकी आयु हो गई है, और कुछ नहीं है।… (व्यवधान)

**प्रो. सौगत राय :** सर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुझे यह बोलना है कि मैं सामान्य सदस्य हूं। वह बहुत कुछ बातें बताई हैं, लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट की राय माननी पड़ेगी। I can be disappointed. इस लोकतंत्र में यह हमारा अधिकार है। मैं हताश हूं। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, मैं डिसपॉइन्टिड था। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, उससे मैं डिसपॉइन्टिड था। यह हमारा अधिकार है।… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अनुच्छेद 370 तो सदन में भी आया।

**प्रो. सौगत राय :** लास्टली, अमित शाह जी, मैं नहीं जानता हूं कि आपके पास किताब पढ़ने के लिए टाइम होता है या नहीं। जोया चटर्जी की लिखी हुई एक किताब 'बंगाल डिवाइडेड' है। आप उसको ठीक से पढ़कर देखिए। श्यामा प्रसाद बाबू नहीं रहते, तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में चला जाता, यह गलत है, सही नहीं है। … (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री ए. राजा जी।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** इनका कुछ रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

… (व्यवधान)… *

**माननीय अध्यक्ष :** मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि जिस विषय पर हम यह बिल ला रहे हैं, उस विषय पर चर्चा करें। भारत की संसद में हम अगर इतिहास और अन्य चर्चा करने लगेंगे तो उचित नहीं है। इस सबका आपस में जवाब देना पड़ता है। आप इस बिल से संबंधित बात करें।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप उनकी पैरवी मत करिए। मैंने ए. राजा जी को बुलाया है।

**SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR):** Sir, I have a Point of Order.

**माननीय अध्यक्ष :** मैंने पॉइंट ऑफ आर्डर नहीं दिया है। आपको बोलने के लिए कहा है।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप बड़े सीनियर हैं। विधेयक के बीच में पॉइंट ऑफ आर्डर नहीं आता है।

श्री ए. राजा जी, आप बोलिए।

---

* Not recorded.

**SHRI A. RAJA (NILGIRIS):** Mr. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to comment upon the two Bills on Jammu and Kashmir.

In 2019, Article 370 was abrogated. A lengthy argument had taken place in this House from both sides. In consequence to the abrogation of Article 370, these Bills are being piloted by the hon. Home Minister. All the subsequent Bills which are being passed by the Parliament are subject to ifs and buts like if this happens, then this will be the situation. There are some hypothetical measures. But it has to be discussed in the House with some positive sense.

Sir, I patiently heard the argument of the hon. Home Minister both during the discussion on Article 370 and the two Bills which had been passed in this House. The hon. Home Minister spoke much about the history of Jammu and Kashmir, as to how Article 370 came into existence, how it was looked by the other parties, etc.

Before beginning my argument, my only humble prayer is let us have discussion on Jammu and Kashmir with convincing evidence and certainly not go by emotions. A lot of things had been spoken in both the Houses. Whatever decision or whatever party line we took earlier before the Supreme Court judgement is altogether different now.

Now, the judgement of the Supreme Court has come. Of course, the judgement of the apex Court gives not only a political encouragement to the ruling party but a judicial endorsement to the Act which was passed in this House for abrogation of Article 370.

I do not comment on the judgement of the Supreme Court on Article 370. The judgement given by the Supreme Court is the law of the land. But – I am saying this with due respect to the Supreme Court and this hon. House – remember the words often used by Justice Krishna Iyer quoting the Anglo-Saxon Jurisprudence. “We are Supreme Court judges sitting here. We are final. That does not mean we are infallible.” This should be kept in mind when a healthy discussion takes place in the House.

Sir, one senior Member spoke about something with humour. He mentioned one point that when 42nd Amendment was brought in this House, the then Congress Government did a mistake by saying that the Parliament has the omnipotent power and it cannot be questioned by the judiciary.

That was struck down by the subsequent Government. Such a situation should not prevail again by virtue of the Supreme Court. What is missing in this Judgement is that. … (*Interruptions*) Sir, I am not yielding.… (*Interruptions*). I will come to that later on. Please, let us have a healthy discussion. … (*Interruptions*)

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH):** You can continue. I am just making a point here that it was not only struck down but it was brought back. There were 45 or 46 amendments subsequently which the Janta Party Government headed by Morarji brought to reverse that. So, the amendment brought by one Parliament was reversed by the next Parliament. So, it is not that the Court struck it and so it happened. Actually, the Parliament has done it.

**SHRI A. RAJA:** No, it has been reversed but the apprehension in the minds of the people is that it should come into existence in the form of 42nd Amendment again.

**DR. JITENDRA SINGH:** So, the Parliament had done it and in the same way here also.

**SHRI A. RAJA:** No problem. My only apprehension is that it is correct that 42nd Amendment has been taken away by virtue of the Supreme Court Judgement and the learned advocates are discussing that again 42nd Amendment may come but that should not happen further. That is all. That is my prayer.

Sir, we respect the Judgement of the Supreme Court but what we are missing is that historical obligations were owned and promises were made by the Constitutional functionaries when Article 370 was abrogated in this Parliament. Even, before also, in the conversations between Kashmir and the Government of India such promises and historical obligations had taken place. But, now, they are hanging in the air. Of course, one thing is a matter of solace that the Solicitor General before the Supreme Court gave a categorical assurance that the statehood will be revived as soon as possible and the elections will be held on time. I am very happy along with other Members that by virtue of the Supreme Court the sovereign power of Kashmir has been assimilated with the sovereign power of India. I am okay with the sovereign power but, what about the federalism and democratic values? They are still hanging in the air.

Sir, by placing this small introduction, I would like to quote a few things because we have to correct the history. Today, all newspapers have carried an article of the Prime Minister where he says: "I belong to the ideological framework where Jammu and Kashmir was not merely a political issue but it was about addressing the aspiration of the society". I am not able to understand the observation made by the Prime Minister. "Ideological framework where Jammu and Kashmir was not merely a political issue but it was about addressing the aspiration of the society". Which society is he talking about? That is the question. "The aspiration of the society must be addressed properly", these are the key words. Starting from 1946-47, I would

like to know whether the consensus of the people of Jammu and Kashmir or the political will of the people of Jammu and Kashmir has been taken into consideration by us. Was it not prevailing at that time? I am relying upon the Prime Minister's book, the First Prime Minister of Kashmir, and its title is 'Looking Back'. The then Prime Minister of Kashmir was Mehr Chand Mahajan. We want to correct the history. Let us make it correct. The only thing is that we should not wrongly understand the history and wrongly interpret it.

**माननीय अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप विधेयक पर बोलें, इस पर लंबी डिबेट हो चुकी है।

**SHRI A. RAJA:** I am coming to that, Sir. It is a very important point. Now, one accusation has been made frequently. Had the Jammu and Kashmir issue been taken up by Sardar Patel instead of Nehru, the decision or the result would have been impeccable. I am coming to that. I want to say that Sardar Patel was part and parcel of all the decisions taken by the Cabinet headed by Jawaharlal Nehru. That is all. I am not shifting the burden to anybody and for that I am quoting a few lines.

Sir, looking back, the then Prime Minister of Jammu and Kashmir says:

> "On midnight of 10th October, 1947 when I had retired to bed, an urgent telephone call came from Sardar Patel asking me why I was not proceeding to Srinagar and telling me that I should do so at once. I told him that I had received no orders from the Governor either about my leave or about the permission to serve elsewhere. It seems that Sardar Patel immediately rang up the Governor asking him to grant

me leave and permission to serve elsewhere. Sardar Patel again rang me up at about 1 am in the morning asking me to come immediately to Delhi in the plane of Lady Mountbatten who was in Amritsar that day.”

**माननीय अध्यक्ष:** इसके लिए तो अनुच्छेद 370 पर डिबेट होगी।

… (व्यवधान)

**SHRI A. RAJA:** Sir, the first Prime Minister of Jammu and Kashmir deputed for this purpose was called by Sardar Patel and not by Jawaharlal Nehru. Ultimately, the Prime Minister went there and the discussion took place between Sardar Patel, Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi and Lord Mountbatten. Thereafter, what happens is this. … (*Interruptions*) Sir, this is history. … (*Interruptions*)

**HON. SPEAKER:** Okay. Now, Shrimati Chinta Anuradha.

… (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** क्या इतिहास पर डिबेट हो रही है?

… (व्यवधान)

**SHRI A. RAJA:** Sir, the Home Minister spoke much.… (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** आप बोलेंगे तो वह ज़वाब दे देंगे।

… (व्यवधान)

**SHRI A. RAJA:** Sir, then, the Prime Minister asked for the troops for Kashmir which were sent by Sardar Patel and Nehru. … (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** आप इतिहास की बात छोड़िए।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** निशिकांत जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप इनके बाद बोलिएगा।

… (व्यवधान)

**SHRI A. RAJA:** Hon. Minister, please do not take my time. … (*Interruptions*) Sir, let us have a healthy discussion. I am not accusing anyone. … (*Interruptions*) I will have a good prayer for them.

Sir, on the same evening, the Prime Minister requested that the troops must be given to Jammu and Kashmir. Sardar Patel and Jawaharlal Nehru gave it. On the same day, the Cabinet Committee approved that. It was agreed to accept the accession subject to the proviso that a plebiscite would be held in Kashmir when the law and order situation allows. Then, it was approved that the troops should go. Ultimately, they went. We got the Jammu and Kashmir. Thereafter, an assurance was given to the United Nations, to the Parliament, and also to the people that plebiscite will be conducted. The will of the people of Jammu and Kashmir will be taken into consideration to scrap Article 370. … (*Interruptions*) Sir, what happened in 1953 is this. It is very important. … (*Interruptions*)

**HON. SPEAKER:** No.

… (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** आप तो संविधान पर डिबेट करने लग गए।

श्रीमती चिंता अनुराधा।

… (व्यवधान)

**SHRI A. RAJA:** Sir, please give me two minutes. … (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** आप तो संविधान पर डिबेट कर रहे हैं। आप बिल पर डिबेट करें। महिला आरक्षण पर आपका एक पक्ष खिलाफ है, आप यह बोलिए।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप तो संविधान पर डिबेट कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

**SHRI A. RAJA:** Sir, I am supporting this. … (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** बालू जी, यह गलत तरीका है।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अगर सपोर्ट करना है तो भी नहीं बोलने दूंगा। मैं थोड़े कहूंगा कि आप खिलाफ मत बोलिए या सपोर्ट में मत बोलिए। यह आपका अधिकार है कि किस पर बोल रहे हैं।

… (व्यवधान)

**SHRI A. RAJA:** Sir, please give me two minutes. … (*Interruptions*) On 29th June, 1953, Nehru writes:

> "The position now is that if there was a plebiscite, a great majority of Muslims in Kashmir would go against this. They want to go to Pakistan for which I want to postpone the plebiscite."

This was said by Nehru in 1953. In 1964, the then Education Minister, Shri M.C. Chagla, on behalf of India, went to the United Nations. … (*Interruptions*) What he said is this. … (*Interruptions*)

**HON. SPEAKER:** No.

… (*Interruptions*)

**HON. SPEAKER:** Now, Shrimati Chinta Anuradha.

… (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** आप रुक जाएं, माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे।

… (व्यवधान)

**SHRI A. RAJA:** Sir, I am just concluding. … (*Interruptions*)

**HON. SPEAKER:** No.

… (*Interruptions*)

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती चिंता अनुराधा की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

… (व्यवधान) …*

**HON. SPEAKER:** No.

*… (Interruptions) …**

**माननीय अध्यक्ष:** आसन ने जो कह दिया तो कह दिया।

श्रीमती चिंता अनुराधा।

… (व्यवधान) …*

**माननीय अध्यक्ष:** श्रीमती चिंता अनुराधा जी, क्या आप बोलना चाहती हैं?

**SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM):** Thank you, Speaker Sir, for giving me this opportunity. *… (Interruptions)*

**HON. SPEAKER**: No.

*… (Interruptions) …**

---

* Not recorded.

**HON. SPEAKER:** Order is an order. आसन ने व्यवस्था दे दी है, आप सुनें तो ठीक, नहीं सुनें तो ठीक।

श्रीमती चिंता अनुराधा ।

… (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष** : व्यवस्था नहीं बदली जाएगी।

श्रीमती चिंता अनुराधा ।

… (*Interruptions*)

**HON. SPEAKER:** There is no question of senior or junior.

Now, Shrimati Chinta Anuradha. क्या आप नहीं बोलना चाहतीं? आप बोलिए।

**SHRIMATI CHINTA ANURADHA :** Thank you, Speaker Sir, for giving me the opportunity to participate in this discussion on the Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Bill, 2023.

I would also take this moment to highlight the issues that are related to the subject matter of this Bill. … (*Interruptions*) Sir, as Nelson Mandela aptly said, "Freedom cannot be achieved unless women have been emancipated from all forms of oppression."

The proposed Bill advocates the allocation of precisely 33 per cent of seats in the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir, exclusively for women. The reservation quota represents a vital form of affirmative action, designed to rectify the historical gender disparities in political representation. It serves as a beacon, guaranteeing that women assume a substantial role in the critical sphere of decision-making, thus fostering gender parity and empowering women to become formidable forces in the realm of politics. … (*Interruptions*)

**16.51 hrs**

*At this stage, Shri T.R. Baalu, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri N.K. Premachandran and some other hon. Members left the House.*

**SHRIMATI CHINTA ANURADHA:** Beyond being a legislative milestone, the Bill ardently addresses the historical gender imbalance that has plagued the political landscape of our country. To bridge the gender gap prevalent in political decision-making, it becomes imperative for female leaders to augment

their ranks. Their presence not only holds the power to inspire young women but also to galvanise their involvement in the noble task of nation building.

**<u>16.52 hrs</u>** (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

Greater female representation can lead to policy reforms that address the specific needs and concerns of women promoting gender equality across the various sectors. A heightened presence of women in our decision-making bodies holds the potential to catalyse more robust and effective discussions on matters that pertain to the fairer gender. This assumes significance in a nation where women continue to grapple with disparities when compared to their male counterparts across various facets of life. India currently holds the 127th position out of 146 nations on the Global Gender Gap Index for the year 2023. This placement poignantly underscores the considerable chasm that persists on the path to gender equality. India ranks 48th out of 146 in political empowerment, scoring 0.267 in Global Gender Gap Report 2022. In contrast, Iceland and Bangladesh score significantly higher. According to the Inter-Parliamentary Union's Report, India ranks 144 out of 193 countries in women's representation in Parliament.

When it comes to the Union Territory (Amendment) Bill, 2023, it is a bold and a necessary step towards achieving gender equality in the political sphere by reserving seats for women in Puducherry Legislative Assembly. It paves the way for a more inclusive and representative democracy. While further improvements can be made, this landmark legislation is a significant victory for the women's rights and a beacon of hope for a more just and equitable future.

As we strive to build a better tomorrow, let us embrace this opportunity to empower women and ensure their voices are heard in the halls of power. When it comes to my State Andhra Pradesh, the Andhra Pradesh Government has set a commendable example in promoting gender inclusivity in governance. Under the leadership of our hon. Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy, 50 per cent of the nominated seats have been allocated to women. This step demonstrates a commitment to women's active participation in decision-making, setting a progressive precedent for the rest of the nation to follow. Achieving progress necessitates consensus building among diverse political entities, involving negotiations, compromises, and substantive discussions to address the stakeholders' concern and interests. Increasing public awareness through campaigns, seminars, workshops, and social media initiatives is crucial, highlighting the positive impact of greater female representation in politics.

Reserving seats for women in local bodies and legislative assemblies has successfully increased their political representation. Creating awareness among women about their rights and the importance of political participation is essential. Policy and legal measures can combat gender-based violence and harassment, creating a safer environment for women in politics. Reforms like proportional representation and preferential voting can enhance women's representation in politics. I would request the Minister to address these issues raised by me on behalf of my party, and incorporate the solutions presented. Such measures would serve to fortify the foundation of democracy in the

country and ensure that electoral process remains a cornerstone of trust and credibility.

With this, YSR Congress Party supports this Bill. Thank you.

**श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक):** धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा पेश किए गए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 का अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूँ।

महोदय, कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35(A) का सर्वाधिक फायदा कश्मीरी और पाकिस्तानी विघटनकारी शक्तियों ने उठाया है। विशेषाधिकारों का फायदा जहाँ वहाँ बसने वाले गरीब एवं सर्वहारा वर्ग के कश्मीरी नागरिकों को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। पाकिस्तान की शह पर लगातार बढ़ते हुए आतंकवाद ने कश्मीरी पर्यटन को बुरी तरह से प्रभावित किया। उसका नतीजा यह निकला कि पर्यटकों पर आधारित अनेक व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होने के कारण बड़ी तादाद में विभिन्न पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए स्थानीय श्रमिकों को जम्मू, हिमाचल और दिल्ली की ओर रोजगार के लिए पलायन करना पड़ा।

महोदय, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की मांग हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने की थी। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बने, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे और देश में यूनिफार्म सिविल कोड लागू हो। आज आदरणीय मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार में हमारी दो मांगें पूरी हो चुकी हैं। लेकिन, यूनिफार्म सिविल कोड की मांग पूरे देश की तरफ से आगे आ रही है। सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है और सभी लोग चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आदरणीय मोदी साहब ये काम भी जल्द से जल्द करेंगे।

सभापति महोदय, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था। पूरा देश चाहता था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया है। कल आए हुए इस निर्णय ने उसके ऊपर शिक्कामोर्तब किया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी को बधाई देता हूं।

महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के विकास का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह साफ हो गया है कि अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से कभी कोई पार्टी चाहे तो भी नहीं आ सकती है। इससे अखंड भारत का, हमारे देश का सपना पूरा हो सकेगा। बहुत जल्द पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा, ऐसी मुझे पूरी अपेक्षा है।

महोदय, पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के संवैधानिक परिवर्तन और पुनर्गठन के बाद, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से राष्ट्र की मुख्यधारा में एकीकृत हो गए हैं। परिणामस्वरूप, भारत के संविधान में निहित सभी अधिकार और सभी केंद्रीय कानूनों का लाभ जो देश के अन्य नागरिकों को मिल रहा था, अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों को भी उपलब्ध होगा।

महोदय, इस बदलाव से दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों, यानी जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सामाजिक-आर्थिक विकास हुआ है। लोगों का सशक्तिकरण, अन्यायपूर्ण कानूनों को हटाना, सदियों से भेदभाव झेल रहे लोगों के लिए समता और निष्पक्षता लाना, जिन्हें अब व्यापक विकास के साथ-साथ उनका हक भी मिल रहा है।

**17.00 hrs**

ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं, जो कि दोनों नए केन्द्रशासित प्रदेशों को शांति और प्रगति की ओर ले जा रहे हैं।

सभापति जी, धारा 370 हटाने के बाद वहां पर वन अधिकार कानून लागू हुआ है, जिससे अब हमारे आदिवासी भाइयों को भी उसका लाभ मिलने लगा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि केन्द्र सरकार ने हाल ही में संसद में एक बिल पेश किया था, जिसमें जम्मू-कश्मीर विधान सभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी गई है। जिस तरह से हमारे देश के सभी राज्यों में महिलाओं को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है, उसी तरह से इस निर्णय के बाद जम्मू-कश्मीर की महिलाओं को सही मायने में न्याय मिलने वाला है। वहां की महिलाएं कभी बाहर नहीं जाया

करती थीं। अब जम्मू-कश्मीर की भी महिलाएं बाहर निकलकर हमारी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी बनेंगी, जिससे इस राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान मिलने वाला है।

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद काफी बड़े पैमाने पर निवेश भी आ रहा है। जब से धारा 370 हटी है, मेरे ख्याल से जम्मू-कश्मीर से तब से लेकर अभी तक 90,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आया है। इससे वहां के जो युवा बेरोजगार थे, जो पत्थर लेकर लाल चौक पर खड़े रहते थे, अब उनको काम मिला है और वे अपना परिवार बहुत अच्छी तरह से चलाने का काम कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के इतिहास में यह सबसे बड़ी औद्योगिक क्रांति का गवाह बन रहा है। अनुच्छेद 370 और 35 (ए) के निष्क्रिय होने एवं जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद प्रदेश में उल्लेखनीय विकास कार्यों ने नई पीढ़ी के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं, जिससे उद्यमिता से लेकर रोजगार सृजन की नई संभावनाएं उभरकर सामने आई हैं। केन्द्र सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने से औद्योगिक विकास में गति आएगी और इससे हमारा राज्य आगे बढ़ेगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि धारा 370 हटाने के दौरान कहा गया था कि दूसरे देशों की कश्मीर को लेकर दी गई निगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी हटाई जाएगी, लेकिन आज भी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस और इजराइल समेत कई यूरोपीय देशों की निगेटिव एडवाइजरी बनी हुई है। मेरा आदरणीय गृह मंत्री जी से यह अनुरोध है कि इस संदर्भ में कार्य करने की जरूरत है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में पंचों, सरपंचों, ब्लॉक विकास परिषदों और जिला विकास परिषदों जैसे पंचायती राज संस्थानों के चुनावों में संचालन के साथ अब जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतंत्र की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित हो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :** सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 की चर्चा में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर अधिनियम, 2019 की धारा 14 में 14 (क) जोड़ा जा रहा है जिसके तहत वहां की विधान सभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करेंगे, जिससे जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में कुल स्थानों के निकटतम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

महोदय, मेरा इसमें सुझाव है कि बिहार की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। जिस तरीके से वहां पंचायती राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत आरक्षण है, तो वहां भी 50 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। बिहार में महिलाओं को नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण मिला है। मेरा एक सुझाव है कि जम्मू-कश्मीर की महिलाओं को भी नौकरियों में लाभ मिल सके, इसलिए वहां भी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण लागू होना चाहिए।

बिहार में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा में भी 35 प्रतिशत आरक्षण है। उच्च शिक्षा यानी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पीएचडी, पीजी, इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरीके से बिहार में जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, उनको वहां वृद्धा पेंशन मिलती है। पहले बीपीएल परिवार, जो गरीबी रेखा से नीचे होते थे, उनको मिलती था। वैसे ही जम्मू-कश्मीर में भी यह लागू होनी चाहिए कि जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, सबको पेंशन मिले। इसका भी उपाय होना चाहिए।

सभापति महोदय, हम लोग बिहार से आते हैं तो खासकर बिहार की बात करते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 370 का जो फैसला दिया है और हम लोगों ने भी पिछली चर्चा में भाग लिया था तो उस समय भी बात रखी थी कि वहां चुनाव होना चाहिए, तभी लोकतंत्र बहाल होगा। अब जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल हो जाए और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि सरकार चुनें। जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के प्रजातांत्रिक अधिकार को बहाल करना अति आवश्यक है। जम्मू कश्मीर में अधिक समय तक केन्द्र सरकार का शासन उचित नहीं होगा। आज जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और

आतंकी घटनाएं भी घट रही हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मेरा मानना है कि सरकार को लद्दाख को भी स्टेटहुड का दर्जा देना चाहिए, जिससे वहां की जनता को भी अपनी सरकार चुनने का मौका मिल सके। आशा है कि केन्द्र सरकार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने में सफल होगी और वहां अगले वर्ष होने वाले देश के आम चुनाव के साथ-साथ राज्य का भी चुनाव हो, यह मेरा प्रस्ताव है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** Sir, before I deliberate on these two Bills, I would just seek a clarification because the Business Advisory Committee has allotted two hours each for these two Bills. Does it mean that four hours are for these two Bills?

**HON. CHAIRPERSON:** Yes, for both Bills.

**श्री भर्तृहरि महताब :** क्या दो बिलों के लिए चार घण्टे हैं?

**माननीय सभापति :** जी, हां और फाइनली जैसा हाउस डिसाइड करे। यह बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं।

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB:** Thank you for the clarification, Sir.

Reservation has always played a greater role in empowerment of dispossessed or depressed section of our society, not only in India but throughout the world. Recognition of women's empowerment has been a point of priority of Government. Making women financially strong has been going on for quite some time. I remember and recollect reading the books relating to the pre-Independence period of the freedom struggle when propagation of khadi was one of the major components of empowerment of women during the freedom struggle. During the freedom struggle also, women of India fought against the British empire peacefully under the leadership of Mahatma Gandhi.

They fought in step with the men folk. That is the main reason why when the Constitution was being framed, women never demonstrated outside the Parliament to have their voting rights, rather they were a part of the Constituent Assembly and they participated from the very first elections in 1952 through adult franchise, which did not happen in most of the so-called modern western countries, even in the United States or in the United Kingdom.

The first change that came which revolutionised the political system was this. The responsibility in a greater way came in the 1990s when 33 per cent or one-third reservation was provided in the Panchayati Raj Institutions and the urban local bodies. But before that, our late lamented leader, Mr. Biju Patnaik had reserved more than one-third seats for women in urban bodies and also in Panchayati Raj Institutions. Subsequently, during Navin *babu's* regime in the last 20-24 years, this reservation has gone up to 50 per cent before Bihar did it. Therefore, the moot point of these two Bills that have been moved in this House providing reservation for women in Jammu and Kashmir and Puducherry is this. With the passing of these Bills, actually a small correction is being made that had occurred when the 106$^{th}$ amendment was passed in this House during the Special Session. But we have to wait for some more years till the next Delimitation Commission redraws the constituencies.

Whenever we discuss J&K, discussion on PoK creeps in. This House has resolved earlier to retrieve every inch of the land that has been occupied by Pakistan and by our neighbours also – China. But when we talk about PoK, we should not forget that Gilgit and Baltistan are different regions altogether.

When we talk about PoK, most of the time, we forget about Gilgit and Baltistan which got annexed to Pakistan before Maharaja Hari Singh signed the Instrument of Accession with India. In that respect, when we talk of PoK, we should also always talk of Gilgit and Baltistan which was part of Jammu and Kashmir and that is now occupied by Pakistan.

I would just like to mention here, history is witness to it, that when the Constitution was in the making, a decision was taken consciously and two seats were left vacant for those areas. What we have done recently is providing reservation for those who have migrated and who have been ousted. But keeping Gilgit, Baltistan, Muzaffarabad and all those PoK areas, two seats were reserved for those areas in case they come back to us. So, this also should be borne in mind. What will happen will happen. The moot point is that only two neighbouring countries which have boundary dispute with us have criticised the Supreme Court order that came yesterday, only two countries. This demonstrates our clout in the world. This demonstrates that Jammu and Kashmir have been recognised by the global community as an integral part of India.

Sir, empowerment of women in participative politics has got an impetus through reservation for women in Panchayati Raj Institutions and in urban bodies also. Odisha under Naveen babu, as I stated earlier, has provided 50 per cent reservation in Panchayati Raj Institutions and urban bodies. The next point is that in 2019 election, one-third women candidates contested for Lok Sabha Elections and out of those, five lady members got elected. Without

waiting for reservation, Biju Janta Dal has already done it. Mission Shakti is doing wonders. Now, the women groups are not only providing employment but strengthening the economy also. This is happening in Odisha. Reservation for women has been there for more than thirty years. If reservation has been there throughout the country since 1992-93, we are already in the $30^{th}$ year, which means, already, the second generation of women leaders have come. Keeping that in mind, it is necessary that instead of criticising what a woman will do if she is empowered, this is demonstrated here. I would ask to provide reservation which was not there in the previous $106^{th}$ Amendment that was passed in this House. Jammu and Kashmir deserves it, their women folk also deserve it and so does the Union Territory of Puducherry.

A question has always been discussed in the corridors that when you are not providing statehood to Jammu and Kashmir, what best can be given to the women when we have this reservation now? Delhi is a Union Territory, and Puducherry is a Union Territory and they have an assembly. Similarly, whenever the statehood will come, it will come, but Jammu & Kashmir is a Union Territory and it will have an Assembly now. In that Assembly, reservation will be there. I support this Bill.

**श्री मलूक नागर (बिजनौर):** सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

कई लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात आते ही मलूक नागर खड़ा हो जाता है और गुर्जरों की बात करता है। मेरे जानने से पहले उन लोगों को जम्मू कश्मीर की भौगोलिक संरचना और जातीय संरचना जाननी पड़ेगी। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की बाउंड्री पर जितने भी लोग हैं और जो बगैर तनख्वाह लिए हुए देश के लिए लड़ते हैं और मरते हैं, वे पहले कभी पौराणिक समय में यहीं के गुर्जर थे, लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद वे गुर्जर मुसलमान बन गए और गुर्जर मुसलमानों में जो गाय, भैंस, बकरी और खासकर पहाड़ों में जो लोग बकरियां रखते हैं, उनको गुर्जर बकरवाल कहा जाने लगा। जब वहां की बात आएगी, हमारे देश की बात आएगी और पाकिस्तान-हिन्दुस्तान की सीमा की बात आएगी, हमारे पिछड़े और दलितों की बात आएगी तो मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा, क्योंकि कुमारी बहन मायावती जी पिछड़ों और दलितों की हमेशा पक्षधर रही हैं, उनकी बात करती रही हैं।

मैं इस सदन में बैठा हूँ और काफी देर से देख और सुन रहा हूँ कि अभी भी लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी कन्फ्यूज हैं। अभी भी अनुच्छेद 370 की बात कर रहे हैं। उसमें कमी निकाल रहे हैं। आप सीधे-सीधे बताओ, मान लिया कल आपके हाथों में पावर आ जाए तो क्या आप दोबारा अनुच्छेद 370 लगाएंगे? क्या आप में हिम्मत है? अगर नहीं है तो फिर बिना मतलब का विरोध क्यों कर रहे हैं, शोर क्यों मचा रहे हैं? अगर वहां पर लोगों को हक मिला है, वहां गुर्जर बकरवालों को, गुर्जर मुसलमानों को हक मिला है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद उन्होंने मिठाइयां बाँटी है तो क्या गलत है? यहां के मुसलमानों को जो लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं, वे बिल्कुल अलग हैं। वहां पर उनकी सांस घुट रही थी, उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा था, आज उनको आजादी मिली है। आज उनको रिजर्वेशन मिला है। अभी कश्मीर से 10 एमएलए गुर्जर मुसलमान बनकर आएंगे, उनके बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। अब से पहले कांग्रेस ने उनसे वोट ले लिया। उनका शोषण होता रहा, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया। यहां

नेशनल कांफ्रेंस पार्टी के सदस्य हसनैन मसूदी जी बैठे हैं। तीन-तीन पीढ़ियों ने उनसे रिश्तेदारियां तो कर लीं, लेकिन उनको देने के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आज मिल रहा है तो खुलकर कहिए कि यह देश के लिए अच्छी बात है, गुर्जर मुसलमानों के लिए अच्छी बात है। गुर्जर बकरवालों के लिए भी अच्छी बात है। सभापति महोदय, आज का जो बिल है, जो महिलाओं से संबंधित है। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। मैं कांग्रेसियों को जानता हूँ। मैं कांग्रेस में विधायक रहा हूँ और एक समय में हम तीन सगे भाई हैं, जो एआईसीसी मैम्बर थे। मैं अच्छे से जानता हूँ, यहां हमारे साथी बैठे हैं। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। उस समय खूब आवाज उठी। हमारी पार्टी ने, कुमारी बहन मायावती जी ने उस समय महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात रखी थी, लेकिन वह बिल कांग्रेस के कार्यकाल में पेंडिंग रह गया। वह उस समय पास नहीं हुआ। तब सरकार तो चली, लेकिन वह बिल पास नहीं हुआ तो कांग्रेस यह साफ-साफ बताए कि उस समय इन्होंने जानबूझकर बिल पास क्यों नहीं करवाया? आज इनके बड़े नेता आकर पिछड़ों की बात करते हैं तो उन्हें पहले जाकर पीछे भी देखना चाहिए कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच में जो था, वह क्या था? एक बात होती है, आजकल जो टेलीविजन पर चलती रहती है कि भारत सरकार में पिछड़े वर्ग के सिर्फ तीन लोग हैं। अरे, सेक्रेटरी बनने के लिए कम से कम 28 से 30 साल लगते हैं। 28 से 30 साल पहले किसकी सरकार थी? क्या उस समय पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन था? अगर था तो फिर उस समय के लोग जो अब सेक्रेटरी तक पहुंचे होंगे, वे कहां पर हैं? इस पर भी सोचना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहकर अपने भाषण को पूरा करूंगा। आप जल्दी मत कर देना। आपका चेहरा देखते ही डर लगने लगता है कि मेरा भाषण कटने वाला है। आप जब सामने होते हैं तो आधा भाषण तो मैं भूल जाता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, नेशनल कांफ्रेंस की तीन पीढ़ियों ने उनसे रिश्तेदारी कर ली, लेकिन क्या कभी किसी प्लेटफार्म पर आकर या क्या कभी देश की संसद में आकर वहां के गुर्जर मुसलमानों के बारे में, गुर्जर बकरवालों के बारे में इन्होंने संसद में मांग रखी? अगर नहीं रखी तो क्यों नहीं रखी? विरोध करने के बजाय

इस बारे में बताएं? अगर आज देश के प्रधान मंत्री कहीं जाते हैं और देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर गुर्जरों के बारे में, गुर्जर बकरवालों के बारे में बोलते हैं तो इनको दिक्कत होती है और जब हम इनकी बात करते हैं तो ये हमें कहते हैं कि ये बीजेपी में गए, बीजेपी से मिल गए, बीजेपी से डर रहे हैं, ईडी आ गई, इनकम टैक्स वाले आ गए।

आज तक वह नहीं आई है, पता नहीं वह कब आएगी। हां, आपकी सरकार के समय में जरूर आय से अधिक संपत्ति के केस लगाए गए थे।…(व्यवधान) इस तरह के केस पहले जरूर लगे हैं। बहन, कुमारी मायावती किसी से नहीं डरती हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि कुमारी, बहन मायावती हमेशा पिछड़ों और दलितों के लिए आगे आती रही है और उनको देश सबसे पहले दिखता है एवं देश के लोग सबसे पहले दिखते हैं। जहां भी पिछड़ों की बात आती है, जहां भी दलितों की बात आती है, हम हमेशा आगे बढ़ कर पिछड़ों के लिए खड़े रहते हैं। अब इन्होंने कुछ नहीं किया? गलत भी इन्होंने किया और बदनाम भी यही कर रहे हैं, ईडी की बात भी यही फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो अच्छा लगता है, वह करते हैं। …(व्यवधान) पिछले दिनों जब पिछड़ों की बात आई।…(व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरी पार्टी है, दस माननीय एमपीज हैं। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।… (व्यवधान) आज जब पिछड़ों की बात आ रही है। कहीं पिछड़े मुख्य मंत्री बन रहे हैं, कहीं दलित बन रहे हैं। एक बढ़िया-सी लहर जा रही है। आज सभी की मजबूरी है कि पिछड़ों की बात करनी ही पड़ेगी और इनका हक भी बैठता है। इनको पिछले 68-70 सालों में जो नहीं मिला, वह इनको हक मिलना चाहिए। मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की बाउंड्री पर बगैर तनख्वाह के लोग उग्रवादियों और वहां की फौज से लड़ते हैं, उनके लिए उनकी लेडीज, लड़कियों, बहनों और बेटियों के लिए पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की बाउंड्री से नजदीकी एरिया में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, उनके लिए कॉलेज बनाया जाए और एक एसईजेड बनाया जाए, जहां लोगों को रोजगार और नौकरियां मिल सकें। धन्यवाद।

**SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):** Thank you, Sir. I stand here on behalf of the Nationalist Congress Party in support of this Bill. I would like to take this opportunity to congratulate the Government on bringing the Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Bill and the Government of Union Territories (Amendment) Bill which is long overdue. I would like to quote hon. B.R. Ambedkar ji who said: “I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved.” This is something he said way back in 1927. I think, this is a very good step forward and the entire House is clearly supporting this progressive Bill.

Fortunately, I come from a State where women over the last one century have really contributed to my State Maharashtra’s growth and India’s growth starting from Jijau Mata to Ahilya Bai Holkar to Savitribai Phule, then to the tall leaders of India like Sarojini Naidu, Aruna Asaf Ali, Anandi Gopal Joshi, Sucheta Kripalani, Muthulakshmi Reddy, and Ahilya Rangnekar, who was one of the finest MLAs Maharashtra had. I am lucky enough to be a part of the history that will be written about this country with the first woman President of India Pratibha Patil, then the first woman Speaker Meira Kumar and Indira ji as the first woman Prime Minister. Fortunately, you and I have the opportunity to see Pratibha Patil ji and Meira Kumar ji. So, we are both lucky enough to be a part of that history. Indira ji was the first woman Prime Minster. I think, we are generally a very progressive country which has given a lot of respect to women and we have them in decision-making. The Present President Draupadi Murmu ji is also a woman. So, I think, the sense of the House is that in the growth

story of India, women are equal partners. I think, the present Government is recognising them. I would compliment them for what they are bringing in today. So, it is a happy moment that we are complimenting each other. माहौल थोड़ अच्छा हो रहा है। But there are a couple of questions I would like to raise because after the debate which we had last week, a lot has been said about history. I am not judging anybody. Let history judge what has happened. The ship has sailed now. So, history will judge whether it was a right decision, non-decision, whatever. अगर हम पांच-दस साल पलट कर देखेंगे, तो पता चलेगा कि सही रहा या गलत। So, I am not getting into the merits of this right now. But I have a few questions to ask the hon. Minister. The hon. Supreme Court very categorically said yesterday, and I quote the CJ's ruling: "This Court is alive to the security concerns in the territory. Direct elections to the Legislative Assemblies which is one of the paramount features of representative democracy in India cannot be put on hold until statehood is restored". The second part of his ruling was that the election must be held in the next 11 months.

So, what is the plan with dates? Last time, the hon. Home Minister to a reply to Prof. Sougata Ray said कि मैं भाषण के अंत में आपको तारीख बता दूंगा। But, we have not heard that date. This is just a concern. By when will there be the Statehood restored? This is my first pointed question. My second question is this. When will you hold fair elections in Jammu and Kashmir? This is really critical for the situation because we live in a democracy.

The other question which I would like to raise in this House just out of my academic interest is about reservation, delimitation, and caste census. In

this august House, we have unanimously passed the Mahila Aarakshan Bill. जब महिला आरक्षण बिल आया था, तो हमें लगा कि वर्ष 2024 में आ रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि शायद वर्ष 2029 में आएगा या 2034 में आएगा। पता नहीं कब आएगा? There is no date given to it. Unless we have the caste census and delimitation, we will not have Mahila Aarakshan Bill. महिला आरक्षण बिल इस देश में कभी होगा ही नहीं।

Kindly see the point relating to 'rotation'. In 14 (b), point no. 3, it is written that the rotation of seats reserved for women in the Legislative Assembly will be determined after the delimitation as Parliament may by law determine. So, if Parliament is going to decide that, even about rotation, how will we have a clarity on this? I am not mistrusting the intention of the Government. But we need to have a clarity of when you will take this decision of rotation because it is dependent on Parliament's laws on which we have no clarity. पता नहीं कब होगा?

The other question which I would like to ask this Government is this. A very good point was made in the Ruling yesterday. Justice Kaul talked about Truth and Reconciliation Commission. A lot has been said by this Government. The Truth and Reconciliation Commission is going to be very, very critical for us to hold fair elections. So, what is the commitment that you are giving to this nation for the Truth and Reconciliation Commission because we do not want to go back to what happened in Jammu and Kashmir? What you are saying is that the whole intention of the Government is to have a very peaceful and progressive Jammu and Kashmir in the future. So, I think, it is a very good

suggestion that has come yesterday about the Truth and Reconciliation Commission. I hope you are going to do something about it.

Now, there are two small concerns which have come across because a lot has been said about yesterday's Order. There is one small clarification which I am asking. There is an Article 3 in which there is a lot of confusion and the same is required to be put to rest by the Government because it has come out a lot in the media. आपने एक राज्य के लिए प्रेजीडेंट रूल करवाया, उसके बाद आपने एक निर्णय यहां से लिया और उसके बाद आप कोर्ट में गए। That State has been split or a UT has been created. Whatever decision you have taken -- whether right or wrong -- history will judge it. But the way it has been done, can the same model be applied to other States or can it not be applied? But otherwise, who has the supreme power in Delhi? आज यहां बैठे हैं, कल हम वहां बैठ सकते हैं। So, I think, we must have good precedents which will take care of India's freedom movement and its democracy, not for the next decade but for the next century. The whole thing is that our Constitution is the finest Constitution. So, kindly clarify Article 3 to the nation because a lot of newspapers today have shown concern about it, which is my concern as a citizen as well.

My last point is this. Hon. Member Jugal Kishore ji talked a lot about the investments in Jammu and Kashmir which is a welcome step. I am sure that tourism has gone up. But there are issues relating to electricity and many other things, which I have also spoken last time. The Government is saying that Rs. 84,544 crore of investments have come into the State. But the ground reality is

that only Rs. 2,518 crore has come. So, these are all alarming issues. It is too early to celebrate as yet.

I would just like to say to this Government that there is nothing to celebrate as yet because we really need to put all our energies together to make sure that Kashmir reaches where it deserves to be. My only concern is that we should not undermine federalism, and democratic processes always must be respected.

So, I would just like to humbly request this Government to please go by the Constitution, and make sure that democracy prevails. Whatever judgment has come, we support you completely in this progressive decision which you have taken. Please be progressive, fair, and democratic in every decision that you take.

**श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण):** माननीय चेयरमैन सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाला जो विधेयक आया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले महिलाओं के बारे में इस देश में संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे महात्मा फुले जी ने खोले थे।

महात्मा फुले जी के बाद हम देख रहे हैं कि आज महिलाओं को 50 परसेंट आरक्षण दिया गया है। वैसे जनसंख्या में भी हम देखेंगे, तो 50 परसेंट महिलाएं हैं। नीचे की सारी संस्थाओं में, नगर निगम और महापालिकाओं से लेकर जिला परिषद तक में आरक्षण लाया गया और अब कश्मीर के लिए लाया गया है। यह एक ऐसा राज्य था, जहाँ दो महिलाएं नॉमिनेट होती थीं। वर्ष 2009 और वर्ष 2014 के चुनाव में 30 आरक्षित जगहें थीं, उनमें से दो महिलाएं चुनकर आई थीं। वर्ष 2014 में 64 बढ़े, तो उनमें 3 महिलाएं चुनकर आईं। उनकी संख्या घटती गई। इसके कारण आज सरकार यह विधेयक लेकर आई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ क्योंकि यह उसके विरोध में जाएगा और महिलाओं को न्याय दिलाएगा।

मैं इसमें एक सुधार चाहता हूँ। इस विधेयक में 14क और धारा 2 में लिखा हुआ है : "धारा 14 की उपधारा 7 के अधीन आरक्षित कुल स्थानों के यथा निकटतम एक-तिहाई स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों... ।" यहाँ "या" लिखा। फिर शेड्युल कास्ट "और" शेड्युल ट्राइब लिखा। नीचे बराबर लिखा है- शेड्युल कास्ट "और" शेड्युल ट्राइब। यहाँ तो "or" लिखा है, उसे निकालना चाहिए and you have to write "और"।

इसके आगे मैं एक और सुझाव देना चाहता हूँ कि उसमें ओबीसी भी होना चाहिए। अगर इस तरह से आरक्षण रहेगा, तो समाधान मिलेगा।

किसी ने स्वच्छता का जिक्र किया था, इस संबंध में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1995 में हमारी गठबंधन की सरकार थी, उस वक्त श्री मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री थे। उस वक्त संत गाडगे महाराज के नाम से स्वच्छता अभियान चलाया और घर-घर में टॉयलेट बनाने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू किया था। आज मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, इसलिए मैं थोड़ी अधिक जानकारी दे रहा हूँ।

इतना सब करने के बाद, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छा निर्णय दिया। उसने अनुच्छेद 370 का समर्थन किया। उससे आपके इस बिल को ज्यादा शक्ति मिली है, नहीं तो इसके ऊपर भी दोबारा बहस हो सकती थी। इस प्रकार से, यह शक्ति तो मिल गई है। इतना आरक्षण देने के बाद सच पूछिए, तो क्या चाहिए? यह चाहिए कि हम पिछले छ: साल में चुनाव नहीं करा पाए, यह पहली बात है। फिर कल सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव करा लें। उसने सितम्बर, 2024 के पहले वहाँ सरकार का गठन कराने को कहा। मैं प्रार्थना करता हूँ, यह बात ठीक है कि उन्होंने अंतिम तारीख दे दी है, लेकिन उसके लिए हम क्यों इंतजार करें? हम जल्दी से जल्दी वहाँ चुनाव कराएं और चुनाव कराकर वहाँ आरक्षण लाएं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ 24 सीटों में भी आरक्षण दिया हुआ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी आरक्षण की आवश्यकता होगी।

आज तक जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है, इसका कंसर्न है, जिससे मैं व्यथित हूँ। हम हमारे हिन्दू पंडितों का पुनर्वसन नहीं कर पाए हैं। बाद में होने वाले चुनाव के लिए व्यवस्था कर दी कि दो पंडितों के लिए हम नॉमिनेटेड सीट देंगे। इसका मतलब है कि हमें उस नॉमिनेशन पर नहीं रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि वे आएं, वे चुनाव में खड़े रहें और वे चुनकर वापस आएं ताकि उनकी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए सही मायने में उनका प्रतिनिधि विधान सभा में होगा, जो उनकी समस्या का निराकरण करेगा। इसलिए मेरी खास करके विनती है कि उसमें पंडितों का पुनर्वसन जल्द से जल्द हो। जो काम सरकार कर सकती है, मैं उसके लिख विशेष शुभकामनाएं देता हूँ। अगर वह हो गया, तो इस बिल का सामर्थ्य और ताकत और बढ़ेगी। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर)** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर (दूसरा संशोधन) विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

जब से अनुच्छेद 370 हटी है, उसके अगेंस्ट जो बिल लाया गया है, जो बिल पास हुआ है तब से वहाँ जो लोग रह रहे हैं, सरकार बता रही है कि बहुत अच्छा है और बहुत शांति से सबकुछ चल रहा है। लेकिन छः साल तक वहाँ चुनाव नहीं हुए, यह वहाँ के हालात को बयान करता है।

सर, मैं उसको समझ सकता हूं, क्योंकि पंजाब के हालात और जम्मू-कश्मीर के हालात में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पंजाब ने भी आतंकवाद झेला है और कश्मीर में भी वही हालात हैं। पंजाब का कश्मीर के साथ पुराना रिश्ता है। वहां आतंकवाद के जो हालात हैं, जब आतंकवादी आते हैं और जब वे चले जाते हैं, तो उसके बाद फोर्सेज आती हैं। उससे सबसे ज्यादा परेशानियां घरों की माताओं, बेटियों और बहुओं को होती है। वहां ये हालात हैं। वहां छः सालों में आपके द्वारा फोर्सेज लगाकर जो भी हुआ है, अब शांति है। वहां टूरिज्म बढ़ रहा है, जैसा कि मंत्री जी बता रहे हैं। यह बात हम मान सकते हैं।

सर, जब इलेक्शन होंगे, तब आपको पता चलेगा। जब आप लोकतंत्र बहाल करेंगे, तब आपको पता चलेगा। कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी फैसला आया कि सितंबर, 2024 तक आप इलेक्शंस कराइए। जो रिजर्वेशन आप कर रहे हैं, Reservation for women in Legislative Assembly, Reservation for women of Scheduled Castes and Tribes (Federation and Rotation). ये तब हो पाएंगे, जब इलेक्शंस होंगे। जो आपकी बात है, यह 2026 के बाद होगी, क्योंकि डीलिमिटेशन 2026 से पहले नहीं हो सकती। सेंसेस होना है, उसके बाद यह होना है। इलेक्शन की डेट तो वर्ष 2024 में आ रही है। हमारा मानना है कि यदि उनको रिजर्वेशन देनी है, तो आपको पहले भी उनका ध्यान रखना चाहिए। हम लोग तो अब कानून पास कर रहे हैं, लेकिन गुरू नानक देव जी ने हमें पहले ही हमारी बानी में शिक्षा दे रखी है –

*..."Do not speak ill of them
Who give birth to kings...*

गुरू तेग बहादुर जी, हिन्द की चादर, उनकी पत्नी माता गुजरी कौर जी की एक कविता आपके समक्ष बयान करना चाहता हूं, जिसमें रिजर्वेशन का सारा इतिहास है और जो पीड़ा सहन होती है, वह भी उसमें है।

*"Devotees, my name is Gujri

I am the mother of Gobind Singh

I have experienced a lot of death in life

Devotees, my name is Gujri.*

जो गुजर जाता है, जो समय बीत जाता है, जिसकी मौत हो जाती है, उसको हम 'गुजर जाना' कहते हैं।

*I had a nine year old son

My husband went to foreign place*

जब औरंगजेब का राज था, तब गुरू तेग बहादुर जी उसके लिए लड़ाई लड़ने गए थे।

*These were roads of Delhi city

He went to protect the religion

When he was beheaded

I died at that moment too.*

जब उनका शीश धड़ से अलग हुआ, शीशगंज गुरुद्वारा और रकाबगंज गुरुद्वारा है, जहां उनका संस्कार हुआ, वे बोलती हैं कि मैं उस समय भी गुजर गई। फिर बोलीं,

*My elder grandsons fought

In the battle of Chamkaur

---

*.....* English translation of this part of the Speech originally delivered in Punjabi.

And attained martyrdom

They were thirsty but

No one gave them even two drops of water*

वे चमकौर की गली में इतनी प्यास में भी लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन उन्हें पानी तक नहीं नसीब हुआ।

*These Children would never come back

I died even then*

वह ऐसा परशावां था, जो बच्चे घर से चले गए, वे दोबारा नहीं आने, तब भी मैं गुजर गई। अभी शहीदों का दिन फतेहगढ़ साहब में मनाया जा रहा है, उनको शहीद किया गया था।

*I told my younger grandsons

Never to bow before tyranny.*

जब औरंगजेब का जुल्म था,

*Never to bow before tyranny.

I died then too

When my grandsons died.*

मैं तब गुजरी, जब मेरे पोते भी शहीद हो गए।

सर, मैं कहना चाहता हूं कि हम रिजर्वेशन के नाम पर बिल लेकर आते हैं, सब कुछ करते हैं। इतिहास में देखेंगे कि मां का दर्जा बहुत ऊंचा है, पत्नी का दर्जा बहुत ऊंचा है, बेटी का दर्जा बहुत ऊंचा है। यह कहने की बात है कि बिल आ जाते हैं, कई बार ऐसे इंसिडेंट्स भी देश में होते हैं, जब हम औरतों को न्याय नहीं देते हैं। जहां हमारी पहलवान बेटियां कितनी देर तक तरसती रहीं, उनके ऊपर अत्याचार भी हुए, लेकिन हमने क्या किया?

---

*....* English translation of this part of the Speech originally delivered in Punjabi.

सर, आप बिल लेकर आते हैं, यह अच्छी बात है। आप रिजर्वेशन बिल लेकर आइए, लेकिन उसके साथ-साथ जो लोग, जो बच्चे हैं, उनको हकीकत में भी आपकी छाया, आपकी हिम्मत और आपकी संरक्षण मिलना चाहिए।

सर, हमारा बॉर्डर एरिया है। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए है। डेली ड्रोन्स आ रहे हैं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? जब कोई लड़का पकड़ा जाता है, जब वह किसी को मार देता है, तो सबसे ज्यादा दुख उसकी मां को, उसकी बहन को, उसकी पत्नी को होता है। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आएगी, तो जो ड्रोन्स आ रहे हैं, जो ड्रग्स आ रहे हैं, उनको हम कैसे रोकेंगे? पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, उसको तो सब कुछ करना है। … (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** अब आप समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

**श्री गुरजीत सिंह औजला :** सर, मुझे बस एक मिनट दीजिए। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं, जो जमीन की हकीकत से जुड़ी हुई चीज है, उसको भी हमें समझना चाहिए।

जो पाकिस्तान है, वह तो सब कुछ करेगा। पीओके के लिए हम कहते हैं कि उसे हमें अपने साथ मिलाना है। मिलाना है, नहीं मिलाना है, कब मिलेगा, वह अलग बात है, लेकिन उससे पहले हमें अपने घर को सुरक्षित करना चाहिए ताकि माँ-बहन के लिए जो आरक्षण बिल आप लेकर आ रहे हो, उनका घर भी तो सुरक्षित होना चाहिए। वहाँ गलीचे का काम है, शाल का काम है, सारी बहू-बेटियाँ वहाँ काम करती हैं। यह आप सोचिए कि उनको कैसे आरक्षण देना है और उन्हें कैसे सुरक्षित करना है?

मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और हम इसका समर्थन करते हैं।

**श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग):** जनाब, दी जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन (दूसरा अमेंडमेंट) बिल 2023 पर आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।

ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, अव्वल तो हमारी जम्मू-कश्मीर रियासत की पॉलिटिकल फिलॉस्फी का रोज़-ए-अव्वल से ही यह किस्सा रहा है। जब जम्मू-कश्मीर बाबा एकोम की रहनुमाई में शख्सीराज के खिलाफ झिज्जा में मसरूफ था, तो 1944 में हमने एक मंशूर बनाया, जिसे नया कश्मीर का मंशूर बुलाते हैं। इसमें हमने यह कल्पना की कि जम्मू-कश्मीर की ख़वातीन के लिए एक अलेहदा चैप्टर हो। हकूक के हवाले से सियासत का क्या तर्ज होगा, उसके बारे में बात हुई।

जनाब, इस पस-मंजर में यह कोई नई बात नहीं है, जो यह बिल लाया जा रहा है और इसमें ख़वातीन के बारे में 35 फीसदी रिजर्वेशन का एक प्रोविजन है। जनाब, जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस का हमेशा यह मौकिफ रहा है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जाए और जिंदगी के हर शोबे में ख़वातीन की बराबरी हो, ख़वातीन की तालीम या तालीम-ए-निस्वाँ पर नये कश्मीर का फोकस है। जम्मू-कश्मीर वाहिद रियासत है, जिसमें असेंबली में अगर ख़वातीन की नुमांइदगी न हो, तो हमारे आईन के तहत वहां दो ख़वातीन को नॉमिनेट करने का प्रोविजन था, बाकी देश में कहीं ऐसा नहीं था। हमारा यह आईन था, आईन में जो हमें यकीनी हिदायत दी गई थीं, कांस्टीट्यूशनल गारंटीज़ दी गई थीं, उसी के तहत बना, जैसा कि आप जानते हैं। जम्मू-कश्मीर वाहिद रियासत थी, जहां पर 35 फीसदी पंचायत में ख़वातीन के लिए मख्सूस की गई। 5 अगस्त, 2019 को जब यह एक नया सिलसिला शुरू हो गया, तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि वहां कुछ भी नहीं था। जनाब, जम्मू-कश्मीर वह रियासत है, जहां पर हमारे मेडिकल कॉलेज में 50 फीसदी सीटें ख़वातीन के लिए मख्सूस हैं। यह सारी की सारी की सहूलियतें उनको हैं। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी ऐसा 50 पर्सेंट रिजर्वेशन हमारी फीमेल कंडीडेट्स के लिए है।

जनाब, जहाँ तक इस बिल के कन्टेंट का सवाल है, हम इसके साथ हैं, क्योंकि हमारा मौकिफ रोज़-ए-अव्वल से ही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है, उनको एम्पॉवर करना है। मेरा एक ऐतराज पैदा हो चुका है। आप क्यों यह पीसमील लेजिस्लेशन लाते हैं? अगर आपने 5 साल

पहले बड़े ही साफ अल्फाज में यहाँ पर यह वादा दिया कि यह जो स्टेट के विभाजन करने का मामला है, हम वचनबद्ध हैं, हमारा आपके साथ यह वादा है कि यह स्टेट रिस्टोर हो जाएगी। कानून जो आने वाला था, जो आना चाहिए, वह स्टेट के हवाले से होना चाहिए। आप यू.टी. के हवाले यह कानून ला रहे हैं। देखिए, यह तो सत्य है और आप कहते हैं कि सत्य की विजय होगी। आपने यहाँ कहा है। पहला तो मेरा यह ऐतराज है।

दूसरी बात यह है कि कल ही फैसला आ गया। जो फैसला आ गया है, हम उस पर तबसरा नहीं करेंगे, क्योंकि परम्परा नहीं है, नॉर्म नहीं है कि हम यहाँ पर तबसरा करें। जहाँ पर हमें तबसरा करना होगा, वहाँ पर हम तबसरा करेंगे और जो भी हमें रास्ता इख्तियार करना होगा, उस पर हम उस जजमेंट का तबसरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको कहा कि स्टेट रिस्टोर कीजिए। क्या जरूरत है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया कि सुप्रीम कोर्ट आपको एक ऐसी डायरेक्शन देता है। अब अगर कल आप सेलिब्रेट कर रहे थे, मैंने कहा कि हम इतना तबसरा कर सकते हैं, हमें मायूसी हुई, सारे जम्मू-कश्मीर को उस फैसले से मायूसी हुई है। वह अलग बात है। हम विस्तार से, हम वजाहत के साथ उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या वजह है कि आप सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी कर रहे हैं। मैं पहले संवैधानिक नैतिकता की बात कर रहा था। जनाब, अब राजनीतिक नैतिकता की बात है। कल ही एक बात आ गई। आपको कहा, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे मौकिफ की ताईद की। वह अलग बात है कि हमारी नजर में क्या है, वह तबसरा मैं नहीं करूँगा, लेकिन बात यह है कि अगर कल ही यह बात कही गई, तो आज आप यह क्या आरक्षण बिल ले आए, जो यू.टी. के बारे में है।

यह आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन की बात है। क्या वजह है कि जो आपने वायदा किया था कि इलेक्शन होगा, लेकिन नहीं हुआ? डेढ़ करोड़ लोगों पर एक नुमाइंदा होता है, लेकिन लोगों को बिना असेम्बली के रखा गया। जब आप सारे मुल्क की जमहूरियत की बात करते हैं और कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रसी है, तो क्या वजह है कि डेढ़ करोड़ लोग पिछले छह साल से बगैर नुमाइंदे, बिना असेम्बली के रह रहे हैं। आपने जम्मू-कश्मीर को अफसरशाही के हवाले किया है और यूटी को

चार या दस आफिसर्स चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज उस अफसरशाही का क्या नतीजा निकल रहा है? यदि अफसरशाही ही सही है तो सारे मुल्क में लागू क्यों नहीं की जाती है? यदि सब ठीक है तो क्या कारण है कि कल फैसले के दिन दो फार्मर चीफ मिनिस्टर्स को नजरबंद करते हैं? … (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** मंत्री जी, जब आप रिप्लाई देंगे, तब कह दीजिएगा।

… (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** मसूदी जी, आप एक मिनट बैठ जाइए। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

**श्री नित्यानन्द राय :** महोदय, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई नजरबंद नहीं है और कोई हाउस अरेस्ट नहीं है। जो जहां जाना चाहे, वहां जाए और यदि उन्हें सुरक्षा भी चाहिए, तो वह भी देंगे। इस बात को बार-बार कहने का कोई मतलब नहीं है।

**श्री हसनैन मसूदी :** आप स्थिति नार्मल होने की बात कह रहे हैं कि इतने टूरिस्ट्स आ गए। आप कहते हैं कि टूरिज्म की बात है और सब ठीक है। You know, half-truth can be dangerous than untruth. आप यह नहीं कह रहे हैं कि कितने नौजवान अभी भी पब्लिक सेफ्टी में जम्मू-कश्मीर से बाहर आगरा में, अम्बेडकर नगर और दूसरी जगहों पर कैद हैं, नजरबंद हैं।… (व्यवधान) यह नाजायज सिलसिला शुरू हुआ है।… (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** जम्मू-कश्मीर काफी डिस्कस हो चुका है। जम्मू-कश्मीर पर पूरा डिस्कशन हो गया और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया। आप महिलाओं के लिए आरक्षण विषय पर लाए बिल के बारे में बोलिए। The issue of Jammu and Kashmir has already been discussed at length.

… (व्यवधान)

**श्री हसनैन मसूदी :** महोदय, फंडामेंटल राइट है… (व्यवधान) यदि बोलने नहीं देंगे, तो न करने दीजिए। हम बात ही नहीं करेंगे, फिर क्या मतलब है हाउस में खड़े होने का? … (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** मंत्री जी, आप रिप्लाई के समय बोल लीजिएगा।

मसूदी जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए और कृपया बिल तक सीमित रखिए। आपने भी चर्चा में भाग लिया था।

... (व्यवधान)

**श्री हसनैन मसूदी :** महोदय, मंत्री जी गृह राज्य मंत्री हैं।... (व्यवधान) यह मालूम है कि अंडर ट्रायल हैं।... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** नहीं, नहीं। आप बैठ जाएं।

श्रीमती जसकौर मीना जी।

... (*Interruptions*)

**श्री हसनैन मसूदी :** महोदय, बात यह है कि आप इलेक्शन कराने से क्यों कतराते हैं?

[جناب حسنین مسعودی صاحب (اننت ناگ): جناب، مجھے جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن (دوسری ترمیم) بل 2023 پر بولنے کی اجازت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین کو خود مختار بنانا روزِ اول سے ہماری ریاست جموں و کشمیر کے سیاسی فلسفے کا شروع سے ہی ایک حصہ رہا ہے۔ جب جموں و
کشمیر بابائے قوم کی قیادت میں شخصی راج کے خلاف جھجا میں مصروف تھا چنانچہ 1944 میں ہم نے ایک منشور بنایا جسے نیا کشمیر کا منشور کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم نے تصور کیا کہ جموں و کشمیر کی خواتین کے لیے ایک علیحدہ چیپٹر ہونا چاہیے۔ حقوق کے حوالے سے سیاست کا کیا طرز ہو گا اس کے بارے میں بات ہوئی۔

جناب، اس پس منظر میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو یہ بل لایا جا رہا ہے اور اس میں خواتین کے لیے 35 فیصد ریزرویشن کا پرووژن ہے۔ جناب،

جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ خواتین کو خود مختار بنایا جائے۔ اور خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں برابری ملنی چاہیے۔ خواتین کی تعلیم نسوان پر نئے کشمیر کا فوکس ہے۔ جموں و کشمیر ایک واحد ریاست ہے، جس کی اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی نہ ہو، تو ہمارے آئین کے تحت وہاں دو خواتین کو نامزد کرنے کا بندوبست تھا، ملک میں کہیں اور ایسا نہیں تھا۔ یہ ہماری آئین تھا ، وہ آئین میں جو ہمیں یقینی ہدایات دی گئیں تھی ، آئینی ضمانتیں دی گئیں تھیں، اسی کے تحت بنا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ جموں و کشمیر ایک واحد ریاست تھی، جہاں پنچایت کی 35 فیصد نشستیں خواتین کے لیے مخصوص تھیں۔ 5 اگست 2019 کو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا تو ایک نیریٹیو بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جناب، جموں و کشمیر وہ ریاست ہے جہاں ہمارے میڈیکل کالجوں میں 50 فیصد نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہیں ۔ انہیں یہ تمام سہولیات میسر ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پر بھی ایسا 50 فیصد ریزرویشن ہماری خواتین امیدواروں کے لیے ہے۔

جناب، جہاں تک اس بل کے مواد کا تعلق ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارا موقف روزِ اول سے ہی خواتین کو بااختیار بنانا ہے۔ میرا ایک اعتراض پیدا ہوچکا ہے۔ آپ کیوں یہ پیسمیل لیجسلیشن لاتے ہیں ؟ اگر آپ نے 5 سال پہلے بڑے ہی صاف الفاظ میں یہاں پر یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جو ریاست کی تقسیم کا معاملہ ہے، ہم پرعزم ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ یہ ریاست بحال ری اسٹور ہو جائے گی۔ جو قانون آنے والا تھا، جو آنا چاہیے، وہ ریاست کے حوالے سے ہونا چاہئیے ۔ آپ U.T کے حوالے یہ قانون لا رہے ہیں،

دیکھئے یہ سچ ہے اور آپ کہتے ہو کہ سچ کی جیت ہوگی ۔ آپ نے یہاں کہا ہے۔ اول تو یہ میرا

اعتراض ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کل ہی فیصلہ آ گیا۔ جو فیصلہ آ گیا ہے ہم اس پر تبصرہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ روایت یا معمول نہیں ہے کہ ہم یہاں پر تبصرہ کریں۔ جہاں ہمیں تبصرہ کرنا ہوگا وہاں پر ہم تبصرہ کریں گے اور جو بھی راستہ اختیار کرنا ہوگا، اس پر ہم اس فیصلے کا تبصرہ کریں گی ۔ سپریم کورٹ نے بھی آپ کو کہا کہ ریاست بحال کرو۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو ایسی ہدایت دینے پر مجبور کریں۔ اب اگر آپ کل آپ سلیبریٹ کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ ہم اتنا تبصرہ کر سکتے ہیں، ہمیں مایوسی ہوئی، پورے جموں و کشمیر کو اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے۔ وہ الگ بات ہے. ہم اس پر تفصیل سے وضاحت کے ساتھ اس بارے میں بات نہیں کریں گے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ میں پہلے آئینی اخلاقیات کی بات کر رہا تھا۔ جناب اب سیاسی اخلاقیات کی بات ہے۔ کل ہی ایک بات آئی۔ آپ کو کہا، آپ جشن منا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی ہمارے موقف کی تائید کی ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے خیال میں کیا ہے، میں اس پر دوبارہ بحث نہیں کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ بات کل ہی یہ بات کہی گئی ، تو آج آپ یہ ریزیرویشن بِل لے آئے

، جو U.T. کے بارے میں ہے.

یہ آپ کے لئے انٹرواسپیکشن کی بات ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ الیکشن ہوگا، لیکن نہیں ہوا؟ ڈیڑ کروڑ لوگوں پر ایک نمائندہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو بنا اسمبلی کے رکھا گیا۔ جب آپ سارے ملک کی

جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدر آف ڈیموکریسی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ڈیڑھ کروڑ لوگ پچھلے 6 سال سے بغیر نمائندے، بنا اسمبلی کےرہ رہے ہیں۔ آپ نے جموں کشمیر کو افسر شاہی کے حوالے کیا ہے اور یو۔ٹی۔ کو چار یا دس افسران چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اس افسر شاہی کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ اگر افسر شاہی ہی سہی ہے تو سارے ملک میں لاگو کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ اگر سب ٹھیک ہے تو کیا وجوہات ہیں کہ کل فیصلے کے دن سابق چیف منسٹرس کو نظر بند کرتے ہیں؟

آپ حالات نارمل ہونے کی بات کہہ رہے ہیں کہ اتنے ٹورسٹس آ گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹورزم کی بات ہے اور سب ٹھیک ہے۔ you know, half truth can be dangerous than untruth. اگر آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کتنے نوجوان ابھی بھی پبلک سیفٹی میں جموں کشمیر سے باہر آگرہ میں امبیڈ کر نگر اور دوسری جگہوں پر قید ہیں، نظر بند ہیں۔ (مداخلت) یہ ناجائز سلسلہ شروع ہوا ہے۔ (مداخلت)

جناب، فنڈا مینٹل رائٹ ہے (مداخلت) اگر بولنے نہیں دیں گے، تو نہ کرنے دیجیئے۔ ہم بات ہی نہیں کریں گے، پھر کیا مطلب ہے ہاؤس میں کھڑے ہونے کا؟ (مداخلت)

جناب، منتری جی وزیرِ داخلہ برائے ریاست ہیں (مداخلت)۔ یہ معلون ہے کہ انڈر ٹرائل ہے۔ (مداخلت) جناب، بات یہ ہے کہ آپ الیکشن کرانے سے کیوں کتراتے ہیں؟

[(ختم شد)]

**HON. CHAIRPERSON:** You have already taken much time.

… (व्यवधान)… *

**माननीय सभापति :** श्रीमती जसकौर मीना जी। आप दो-तीन मिनट में अपनी बात रखें।

* Not recorded.

**श्रीमती जसकौर मीना (दौसा):** सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे महिलाओं के आरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिल जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा) विधेयक संशोधन, 2023 पर बोलने का मौका दिया।… (व्यवधान) पूर्ववक्ताओं को जिस तरह से इस बिल के संदर्भ में अपना वक्तव्य देना चाहिए था, लेकिन वे अपने-अपने स्वार्थ में वक्तव्य दे रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के साथ-साथ महिलाओं के लिए आरक्षण पर बात करनी चाहिए।… (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** मसूदी जी, आप बैठ जाएं। आपने अपनी बात कह दी है। आप माननीय सदस्या की बात सुनिए।

… (व्यवधान)

**श्रीमती जसकौर मीना :** महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय, सम्माननीय एमपी साहब को भी इशारा करना चाहूंगी कि 'जाके पांव न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।' इन्होंने जम्मू-कश्मीर का दोहन किया।… (व्यवधान) जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ अन्याय किया। हमारी भारत की सरकार, हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे प्रधान मंत्री जी ने अनुच्छेद 370 और 35(a) नहीं हटाई होती, तो मैं समझती हूं कि महिलाओं के आरक्षण की कोई बात भी नहीं करता।

महोदय, जिस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग की हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार होता था।… (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** मीना जी, एक मिनट रुकिए।

मसूदी साहब, पार्लियामेंट ने अपना डिसीजन दे दिया, अंतहीन बात नहीं हो सकती। The Parliament has given its decision. The Supreme Court has endorsed that. बात खत्म हो गयी। Now, you please sit down.

… (*Interruptions*)

**माननीय सभापति :** मीणा जी, आप अपनी बात कहिए।

… (व्यवधान)

**श्रीमती जसकौर मीना :** महोदय, एक वरिष्ठ वकील होने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी ये अपनी बातें इस सम्माननीय सदन में कह रहे हैं, इस पर जनता विश्वास नहीं करेगी।

**माननीय सभापति :** आप अपनी बात कहिए।

**श्रीमती जसकौर मीना :** महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर अनुच्छेद-370 नहीं हटता, 35-ए नहीं हटता, तो जम्मू-कश्मीर की बहनें अगर दूसरे राज्यों में विवाह करके चली जातीं तो ये जिस तरह से पहले उन्हें मक्खी की तरह निकाल कर फेंकते थे, वैसा ही होता। इसके विरुद्ध अधिकार अब उन बहनों को मिला है।

महोदय, इस विधेयक के माध्यम से मैं कहूंगी कि 14(क) के अन्तर्गत महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। धारा 14 की उप-धारा 7 के अधीन आरक्षित कुल स्थानों के यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं को मिलेगा। इनका यह दर्द है कि महिलाओं को यह क्यों मिल रहा है? उनका नॉमिनेशन करके, उन्हें केवल अपने हाथों की कठपुतली बनाकर डिसीजन-मेकिंग में उन्हें साथ न लेना, यह इनकी फितरत रही है।

महोदय, आज जो यह बिल हम यहां चर्चा के लिए लाए हैं, इसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहती हूं कि जब हमारे सामने जनगणना के सुसंगत आंकड़े आएंगे, प्रकाशित किए जाएंगे, तत्पश्चात् इस परियोजना के लिए परिसीमन का कार्य चालू होगा और उसके उपरांत जम्मू-कश्मीर में यह महिला आरक्षण बिल लागू होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि आज जो इनकी नीयत है, हमारे जम्मू-कश्मीर में जिन्होंने हुकूमत की, उनकी यह नीयत थी कि वे कभी भी समानता नहीं लाना चाहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था –

मिटे विषम समरसता लय हो,
अरमानों के नए क्षितिज पर,
भेदभाव का द्वन्द्व विलय हो।… (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** मसूदी जी, आप बैठ जाइए। आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत प्रतिष्ठित सांसद हैं। No, it cannot be permitted now. Please sit down. Please do not insist. It cannot be permitted now. The Jammu and Kashmir issue has already been discussed very well.

Now, Shri Navaskani. You please conclude it in 2-3 minutes.

*__SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM):__ Hon. Chairman, Sir, Vanakkam. Thank you for allowing me to take part in the discussion on the Jammu & Kashmir (Second) Amendment Bill, 2023. I welcome this Bill which provides 33 per cent reservation to women of Jammu and Kashmir. Most importantly, I welcome this Bill which aims to provide one-third of the internal allocation among this 33 per cent reservation to the SC and ST women. We oppose for one reason that the Parliament should not only be the deciding factor on this reservation. Because this is against the self-rule in the States. It would be apt only after conducting elections in the State and on the basis of the motion moved in the State Assembly, such Bills should have been brought in Parliament for discussion and passing. Respecting the sentiments of the people of that State, this Bill should have been passed first in the State Assembly which has the proportionate representation of people. But I should say it is unfortunate that you are passing this Bill in this House where the people of that State have less number of representatives.

Yesterday the Hon Supreme Court has upheld the abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir. Hon Judges of Supreme Court have raised very

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

important questions like when will the elections be held in Jammu and Kashmir and when will the statehood be reinstated. Only after conducting the elections in Jammu and Kashmir, such Bills should have been passed. Since BJP is not having a foothold in Jammu & Kashmir they are just postponing and not conducting elections there. Elections were not held in Jammu and Kashmir for the last four years. BJP cannot have a foothold there. Even after passing legislations like this by misleading the people of Jammu and Kashmir, BJP would not be able to make their strong footing in Jammu & Kashmir. Hon. Supreme Court has directed the Election Commission to conduct elections for the Jammu Kashmir Legislative Assembly by September, 2024. Sir I hope elections will be held soon. Thank you.

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Thank you very much, Mr. Chairman, Sir. I rise to fully support the two Bills - one is regarding reservation of one-third of total Legislative Assembly seats of the Union Territory of Jammu and Kashmir and the other one is with regard to the Puducherry Legislative Assembly.

Sir, I would like to seek a clarification from the hon. Minister because this House has passed the $106^{th}$ Amendment Act of 2023 to pave way for reservation of one-third of total number of seats for women in the House of the People, Legislative Assembly of every State and Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. I would like to know from the hon. Minster when we have already passed this Bill, why we do not incorporate the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Puducherry in the same Bill which are absolutely within the purview of the $106^{th}$ Amendment Act. Multiplicity of legislations is not good for a parliamentary democracy. You have incorporated the Union Territory of Delhi in the original Bill that has been amended, passed and that Act has come into force. But instead of incorporating Jammu and Kashmir State Legislative Assembly as well as Puducherry Legislative Assembly in that legislation, now two separate Bills have been piloted. I would like to know the reason why these two Bills have been brought separately. So, multiplicity of legislations should be avoided. That is the first point which I wanted to make.

My second point is with regard to the Supreme Court's five-judges bench judgement which came yesterday. I still remember that on $5^{th}$ August, 2019 we

had raised a strong objection to the Presidential Constitutional Order amending Article 367, and incorporation of a new clause by which the President had issued a Proclamation or Constitutional Order on 5th of August, 2019 at 8 am. What does the Constitutional Order say? The Constitutional Order says that the Jammu and Kashmir Constituent Assembly is being replaced by the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir. I strongly objected to it.

**HON. CHAIRPERSON:** Hon. Member, the Supreme Court has endorsed it.

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** No, Sir, it has struck it down. That is why I am saying it. The Supreme Court is in line with the Opposition because the President had exceeded its powers. I will come to this point. This is a very good academic question.

**HON. CHAIRPERSON:** Again, Shri Premachandran ji, everything regarding Article 370 has been discussed yesterday and even before yesterday. I think that you should now speak on the Bill only.

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** Chairman, Sir, the President of India by way of a Constitutional Order has amended Article 367 and incorporated a new clause. The clause says that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir means the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, and thereby the Parliament has passed a law. The hon. Supreme Court yesterday has said that you cannot go by indirect way. So, that has been struck down. I will read the judgment also.

While the Supreme Court upheld the Centre's decision scrapping Jammu and Kashmir special status under Article 370, it has struck down the

constitutional application to Jammu and Kashmir Order 272 by which Article 367 was amended and a new clause was inserted to replace the Constituent Assembly of the State with the Legislative Assembly. That has been struck down. What I am saying is, at the time when the matter was raised before the House, the Government was not considering the fact that it is *ultra vires* the Constitution. But the Supreme Court five-judge bench upheld the view of the Opposition that this is violative of the Constitution, and that has not

**18.00 hrs**

At the same time, the hon. Supreme Court has said that by virtue of Article 370(3), the President has ample power to amend and to abrogate Article 370. That is the point which I would like to clarify.

**माननीय सभापति:** अभी छह बज रहे हैं। अगर सदन की सहमति हो तो इस विधेयक पर निर्णय होने तक समय को बढ़ाते हैं?

**अनेक माननीय सदस्य :** जी हाँ।

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** The second point I wish to raise is regarding what most of the Members have already stated.

Last week also, we discussed about statehood. The second point is one on which the Supreme Court has got a strong dissent. I fully agree with the Government that the abrogation of Article 370 by virtue of Article 370(3) has been upheld by the Supreme Court, but at the same time, the Presidential Order is nullified. It is *ultra vires* the Constitution. It has not been upheld by the Supreme Court. The second point is that dividing the State of Jammu and Kashmir into Union Territories will never hold good in law. That is the

observation and the verdict made by the hon. Supreme Court. That is why, the hon. Supreme Court has directed the Government to give the status of statehood and conduct elections on or before 30th September, 2024. On these two aspects, the judgement is against the Government. At the same time, I would agree that abrogation of Article 370, thereby taking away the special status of Jammu and Kashmir, has been upheld by the hon. Supreme Court.

Sir, a big debate is going on. Last time also, I had raised the issue. Sir, I will conclude by saying one point. … (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** You cannot open the debate now.

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** Sir, I am concluding with one point. Mr. Raja was also speaking here. My only point is regarding Article 370. … (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** You just tell what is to be done about the Bill. What is your opinion? Is it okay or is it not okay?

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** Sir, I am not going into the history. Whatever things were done by the then Prime Minister Pandit Nehru ji and by the then Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel ji, it was a collective decision of the Government, irrespective of whatever it was.

**HON. CHAIRPERSON:** Premachandran *saheb*, that has been discussed.

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN:** So, unnecessarily branding it in a different way is deterioration and deviation from the history.

With these words, I conclude. Thank you very much.

**माननीय सभापति:** श्री आलोक सुमन जी।

… (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** कृपया करके आप सभी बिल पर ही बोलिए। जम्मू-कश्मीर के ऊपर चर्चा मत कीजिए। आर्टिकल 370 पर चर्चा मत कीजिए।… (व्यवधान) That has been decided.

**डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज):** सर, हमें यूनियन टेरिटरी पर बोलना है।… (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** आप इस बिल पर बोलिए। जो महिला आरक्षण दिया जा रहा है, उसके ऊपर बोलिए। What is your opinion?

**डॉ. आलोक कुमार सुमन :** सभापति महोदय, आपने मुझे दी गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी (अमेंडमेंट) बिल, 2023 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, जैसा हम सब जानते हैं कि हिस्टोरिक अमेंडमेंट 106 संविधान में आने के बाद यह आवश्यक हो गया था कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में भी सिमिलर प्रोविजन हो और दी गवर्नमेंट ऑफ यूनियर टेरिटरी एक्ट 1963 को अमेंड करें और सिमिलर प्रोविजन की व्यवस्था करें, इसीलिए वर्तमान विधेयक को लाया गया है। यह विधेयक महिलाओं को पुदुचेरी के लेजिस्लेटिव असेम्बली की टोटल सीट्स की एक-तिहाई सीट सुरक्षित करेगा।

महोदय, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। इसमें अब तक 106 बार संवैधानिक संशोधन किये गए हैं। सभी राजनैतिक दलों के एकमत से वूमेन रिजर्वेशन विधेयक पास होने से महिलाओं के हित में ब्रेकिंग दी ग्लास सीलिंग का काम हुआ है।

महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में महिलाओं के लिए ऐतिहासिक काम किये हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थान एवं शिक्षक नियोजन में तथा वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। वर्ष 2013 में बिहार पुलिस और वर्ष 2016 में सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया। इसके साथ ही जीविका के माध्यम से करोड़ों महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की।

महोदय, आज इंडिया में 14.54 लाख निर्वाचित महिलाएं पंचायत एवं म्युनिसिपल स्तर पर जन प्रतिनिधि हैं। इंटर पार्लियामेंट यूनियन के हाल का डेटा देखने से यह पता चलता है कि इंडिया में एमपी महिलाओं का प्रतिशत 14.36 है, जबकि साउथ अफ्रीका में 46.2 प्रतिशत है, ब्रिटेन में 34.9 प्रतिशत है। इसलिए, इस वर्तमान विधेयक के पास होने से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। Dr. Baba Saheb Ambedkar believed that our political democracy must stand on the basis of social democracy which means way of life which recognises liberty, equality, and fraternity as a principle of life. बाबा साहब ने समाज के विकास के मापदंड के लिए महिलाओं के विकास को मुख्य रूप से रखा है। इस वर्तमान विधेयक के सैक्शन 3बी, reservation of seats for women may take effect संबंधित वाक्य में 15 साल की व्यवस्था की गई है। मेरा इसमें सुझाव है कि उनके लिए 20 साल की व्यवस्था की जाए।

महोदय, भारत सरकार द्वारा ट्रीटी ऑफ सैशन का रैटीफिकेशन फ्रांस सरकार के साथ 16 अगस्त, 1962 के बाद पुदुचेरी भारत का यूनियन टेरिटोरी बना। संविधान के आर्टिकल 81बी, 1बी यूनियन टेरिटोरी टोटल रिप्रेजेंटेशन इन दी हाउस आफ दी पीपल को दर्शाता है।

Article 239A of the Constitution introduced by the Constitution (Fourteenth Amendment) Act, 1962 enables Parliament to create by law, Legislature in Puducherry. इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन टेरिटोरी एक्ट, 1963 आया, ताकि स्टेट्स रीआर्गनाइजेशन एक्ट, 1956 को अमेंड किया जाए, क्योंकि यूनियन टेरेटोरी, इंक्लूडिंग पुदुचेरी में महिलाओं को रीप्रेजेंटेशन दिया जा सके।

महोदय, वर्तमान विधेयक से पुदुचेरी में डाउनट्रोडेन महिलाओं को प्रॉपर रिजर्वेशन मिलेगा। अत: मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा):** सभापति महोदय, मैं धारा 370 और 35ए का कानून पास करने के लिए इस देश के माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति आभारी हूं। एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते 1952 से जिस चीज का बीड़ा हमारी पार्टी ने उठाया था और जिसको हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार ने पास किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मुहर लगाई, वह यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ ही एक ऐसी पार्टी थी, जो इस देश की यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए लड़ रही थी। इस कारण से आज एक कार्यकर्ता के नाते मन प्रफुल्लित है और इसीलिए इस बिल के समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन यह पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कई एक चीजें ऐसी चली जाती हैं, जिसका असर बहुत दूर-दूर तक होता है। सौगत बाबू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में कई बातें कहीं। उन्होंने जोया चटर्जी की किताब का जिक्र किया। खुद सौगत राय के बड़े भाई तथागत राय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर किताब लिखी। वे अपने खुद के बड़े भाई, मैं ऑन रिकार्ड कह रहा हूं, यदि वही वे पढ़ लेते, क्या होता है कि 'घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध', अपने बड़े भाई को प्यार नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। उसके इतिहास पर नहीं जायेंगे, क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी में हैं। उन्होंने यह कहा और मैं इसीलिए ये बातें कह रहा हूं कि मैं जिस राज्य से आता हूं, उसने इस विभीषिका को देखा है। सन् 1906 में जब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का डिवीजन हुआ, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही ऐसे आदमी थे, जिन्होंने बंगाल को यूनाइट करने के लिए एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट किया और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का डिवीजन नहीं हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही ऐसे आदमी थे जिनके कारण पश्चिम बंगाल आज भारत का हिस्सा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, तथागत राय की जो किताब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर है, वह यह कह रही है, लेकिन यहां तो किसी का कोई जवाब ही नहीं है। आप किसी भी बड़े आदमी के ऊपर कोई क्वैश्चन कर दीजिए।

दूसरा, राजा जी ने जो बात कही या सुप्रिया जी बोल रही थीं, सॉवरेनिटी की बात कह रही थीं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात कह रही थीं, चुनाव की बात कह रही थीं कि चुनाव के लिए सुप्रीम

कोर्ट ने कहा है कि जेएंडके को फुल स्टैटस मिलना चाहिए। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के 497 पेज के उस जजमेंट को पढ़ लीजिए कि क्या बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने हलफनामे में यह कहा है, अपने जिरह में कहा है, माननीय मंत्री जी ने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस में कहा था, यही कोर्ट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा है कि हम जम्मू-कश्मीर को फुल स्टेटहुड का दर्जा देंगे और जितनी जल्दी होगा हम चुनाव करायेंगे, एक साल के अंदर चुनाव करायेंगे। यही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है।

यही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई अलग से अपना ऑब्जर्बेशन नहीं दिया है। उस जजमेंट में उन्होंने कम्पलीट लिखा है, इसीलिए मेरा कहना है कि सभी को जजमेंट पढ़ लेना चाहिए। सॉवेरिनिटी की जो बात है, 1956 का स्टेट रि-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उस समय हम सत्ता में नहीं थे, नेहरू जी ही इस देश के प्रधानमंत्री थे। 1956 में सॉवेरिनिटी के आधार पर इसी सदन में चर्चा होते हुए कहा गया कि राज्य के पास कोई सोवर्न पावर नहीं है। किसी भी राज्य को तोड़ने, जोड़ने या यूनियन टेरिटरी बनाने का, अलग राज्य बनाने, भाषा के आधार पर राज्य बनाने, जियोग्राफी के आधार पर राज्य बनाने का अधिकार केवल व केवल भारत सरकार के पास है। यह 1956 का रि-आर्गेनाइजेशन एक्ट है, नेहरू का एक्ट है।

जम्मू-कश्मीर के लिए जो बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, 1846 का अमृतसर ट्रीटी था, जिस ट्रीटी को 1858 और 1890 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनड्रोस किया, उसके आधार पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का अंग है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि पाक आक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है, हमारा है। यही कारण है कि 24 सीटें हम वहां के लिए रिजर्व किए हुए हैं। यही कारण है कि नॉमिनेटेड सीटें रिजर्व की हैं यही कारण है कि जब महिला रिजर्वेशन आया है, उसमें भी पाक आक्युपाइड कश्मीर के लिए व्यवस्था की गई है।

मेरा कहना है कि हिस्ट्री को गलत ढंग से मत देखिए, अलग ढंग से सेटल नहीं कीजिए। ए. राजा जी ने मेहर चंद महाजन का जिक्र किया कि पटेल ने उनको बुलाया था, नेहरू ने नहीं बुलाया था। लुकिंग बैक मेहर चंद महाजन की किताब है, मैं ए.राजा से आग्रह करूंगा और देश से भी आग्रह करूंगा कि इस किताब को पढ़ लें। मेहर चंद महाजन का कहना है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के घर में 8 बजे सुबह बुलाया गया, नेहरू जी भी बैठे थे, सरदार पटेल भी बैठे हुए थे। मेहर चंद महाजन पाकिस्तान जाना चाहते थे। पटेल ने कहा कि तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते हो, मैंने तुमको हाउस अरेस्ट कर लिया है। बदलेव सिंह और कश्मीर सिंह, दो बड़े जाबांज अधिकारी थे, जिन्होंने अपने ट्रुप्स को लाया। आज जो हमारे कश्मीर हमारे पास है, वह सारी देन सरदार पटेल की है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, इसको मानिए, यही इतिहास है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

**ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA):** Sir, I am supporting these two Bills regarding women's reservation. I represent the State of Kerala which introduced the women's reservation in the District Council that was constituted in 1990, and I was a Member of the District Council. It shows the Left Parties' commitment to women's reservation. The news was there in today's newspaper that Omar Abdullah, Mehbooba Mufti and the leaders including CPM leader, Yusuf Tarigami, were restricted from going out of their own houses. This shows that the challenges to democracy are there. How can we establish democracy without the support of these leaders?

I asked during the passing of the First Amendment Reservation Bill as to when will you go to conduct the elections and whether it will happen in this century or not. So, I request you to establish a genuine democratic Government in their place. Do not try to play any political game. At this time, I and my Party have a difference of opinion regarding the hon. Supreme Court's verdict.

**HON. CHAIRPERSON:** That cannot be discussed here.

**ADV. A.M. ARIFF:** This is the only platform where I can submit my difference of opinion and my party's difference of opinion.

The verdict has evaded going into the merits of downgrading the State of J&K into two Union Territories, stating that the Solicitor General has promised the return of Statehood. At the same time, the creation of a separate Ladakh Union Territory is upheld as valid. So, the restoration is not for the original

State of J&K, but only a part of it and even that remains an assurance on paper.

Strangely, the Supreme Court directs the Election Commission of India to hold polls in J&K… (*Interruptions*) Sir, I may be permitted. … (*Interruptions*) I have a difference of opinion regarding the hon. Supreme Court verdict. … (*Interruptions*) Where can I say this?…(*Interruptions*) So, I may be permitted to say.

Sir, the proviso under Article 3 of the Constitution states that the President shall refer the Bill for reorganization of any State to the Legislature of the concerned State to elicit its opinion. This verdict opens the Pandora's box permitting the Central Government to unilaterally initiate the formation of new States, alteration of areas, boundaries or names of existing States. This may well lead to serious undermining of federalism and the rights of the elected State legislatures.

However, it is clear that this verdict has serious implications for the federal structure of our Constitution and is inclined to strengthen a unitary State structure in the name of "integration" and by invoking "national security."

With these words, I conclude my speech.

**श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख):** माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में रहने वाले लोगों को, कल 13 तारीख की सुबह से नया साल शुरू हो रहा है, लोसर तासी डेलेक, हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए जम्मू-कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन सैकंड (अमेंडमेंट) बिल, 2023 और द गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, इन दोनों बिल के माध्यम से जम्मू-कश्मीर और पुद्दुचेरी में एक-तिहाई वूमेन रिजर्वेशन का प्रस्ताव माननीय गृह मंत्री जी लेकर आए हैं, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। जब से माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने शासन संभाला और माननीय गृह मंत्री जी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ही नहीं, बल्कि इस देश की महिलाओं को सम्मान दिया, उनको हक देने का काम किया, यह सराहनीय बात है। मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के साथ आर्टिकल 35ए के जरिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की महिलाएं, अगर जम्मू-कश्मीर से बाहर किसी राज्य में शादी करती थीं तो उनके राइट छिन जाते थे। माननीय गृह मंत्री जी धारा 370 के साथ आर्टिकल 35ए को हटाकर, जम्मू-कश्मीर की लेजिस्लेटिव असैम्बली में 33 परसेंट वूमेन रिजर्वेशन को इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित करके जम्मू-कश्मीर की महिलाओं को पहली बार सम्मान देने जा रहे हैं, मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, केवल यही नहीं, आज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में चाहे वह सैल्फ हैल्प ग्रुप हो, एफपीओ बनाना हो, गोल्डन कार्ड, फ्री राशन या गैस सिलेंडर की योजना हो, सरकार अलग-अलग स्कीम्स के माध्यम से वूमेन एम्पावरमेंट करने का काम कर रही है, मैं इसके लिए भी बहुत बधाई देना चाहता हूं।

मैं प्रधान मंत्री जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उससे हम लद्दाख वाले बहुत खुश हैं। मैं लद्दाख वालों की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यही डिसीजन देश के हित को आगे रखते हुए और सही डिसीजन, जिस डिसीजन में माननीय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को बायफरकेट करके और स्पेसिफिकली लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना भारत के संविधान के अनुसार ही हुआ है। इस बात से हम बहुत खुश हैं। केवल यूटी ही नहीं बना, बल्कि लद्दाख के जो डिप्राइव्ड लोग थे, जिनको स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिलता था, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, आज उसी लद्दाख ने पिछले 4 सालों में बहुत प्रोग्रेस पाई है, डेवलपमेंट किया है।

महोदय, यहां नेहरू जी ने ये किया, वो किया, ये बात आ रही थी। मैं आपकी परमिशन से 'नेहरूवियन ब्लडंर' की याद दिलाना चाहूंगा। आर्टिकल 370 एक टेम्परारी प्रोविजन था, लेकिन यह भी नेहरू जी का ब्लंडर था।

**माननीय सभापति :** इस पर पहले चर्चा हो चुकी है।

**श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल :** जी सर, लेकिन जिस पर चर्चा नहीं हुई, मैं उस विषय को लाना चाहता हूं। जिक्र किया जा रहा था कि पीओके कब लाएंगे? हम तो इस बात से बहुत खुश हैं, क्योंकि पीओके भी लद्दाख का हिस्सा है। मेरे पीओके के रहने वाले लोग आज वहां पर जलसा-जुलूस करके यह मांग कर रहे हैं, भारत के प्रधान मंत्री के प्रति यह विश्वास जता रहे हैं कि मोदी जी बॉर्डर खोलो, हम भारत के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। उन लोगों की समझ में भी यह आ गया कि नेहरू जी के ब्लंडर की वजह से आज वे पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। वे आजादी मांग रहे हैं। यह उनका प्रधान मंत्री जी के प्रति विश्वास है। हम तो 1948 में जीत रहे थे। जब काबायली हमला हुआ था, तो भारतीय सेनाओं ने अपनी वीरता दिखाई। पाकिस्तान के काबायली हमलावर बासगो तक आए। उन्होंने बासगो से दखल किया, कारगिल से दखल किया, द्रास से, श्रीनगर से, बिल्कुल पीछे धकेलते-धकेलते हमारी भारतीय सेना पीओके तो छोड़िए, पाकिस्तान का आधा हिस्सा लाने वाली थी। नेहरू जी ने बोला कि नहीं, सीजफायर होना चाहिए। क्या यह नेहरूवियन ब्लंडर नहीं है?

सर, यहां पर अधीर रंजन जी ने सी-पेक चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र किया। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहले तो हमें यह जानना होगा कि यह बन कहां रहा है? शक्सगाम वैली मेरे लद्दाख का हिस्सा है। 5 हजार स्क्वायर किलोमीटर की शक्सगाम वैली कांग्रेस

की हुकूमत रहते हुए पाकिस्तान ने चीन को दान में दे दी और कांग्रेस पार्टी चुप बैठी रही। क्या यह नेहरूवियन ब्लंडर नहीं है? अक्साई चिन 40 हजार स्क्वायर किमी मेरे लद्दाख का हिस्सा है। नेहरू जी ने चीन को दे दिया। उसके अलावा आज एक बात का आज मैं जिक्र करना चाहता हूं कि लद्दाख के इतिहास में जब लद्दाख इंडिपेंडेंट किंगडम था, 1684 में वहां तिंगमोसगंग ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी में लद्दाख के महाराजा और तिब्बत के परम् पावन दलाई लामा जी के बीच साइन हुआ। हमारी पवित्र जगह कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक हमारे बुद्धिस्ट लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, हिंदू लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, जैन धर्म मानने वाले लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। वह लद्दाख का हिस्सा था, है और हमेशा के लिए रहेगा यह उस ट्रीटी में लिखा था। उसके बाद लद्दाख को जम्मू-कश्मीर के साथ जोड़ा और जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा। मानसर गांव भारत का हिस्सा था, लेकिन नेहरू जी ने 1962 के बाद हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा लगाकर चीन को 'ऐज अ गुड जेस्चर' दान में दे दिया।

**माननीय सभापति :** आपको बिल पर बोलना है। उस पर बोलकर अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल :** सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील को दान में दे दिया। मुझे इस बात से बहुत दुख है। कांग्रेस वालों को जानना होगा कि वर्ष 1961 के सेंसस में मानसर गांव का जिक्र आता है और वहां की जनसंख्या का जिक्र आता है, क्योंकि वह भारत का अभिन्न अंग था, जिसे नेहरू जी ने गंवाया।

सर, मैं एक मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं। … (व्यवधान) जम्मू-कश्मीर में चीफ मिनिस्टर हमेशा मुसलमान का रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां हजरत इमाम हुसैन अल्हाई सलाम साहब को मानने वाले मातम करते हैं। हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर इन्होंने हजरत इमाम हुसैन का ताजिया निकालने नहीं दिया। … (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** यह सब विषय पहले हो चुके हैं।

… (व्यवधान)

**श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल :** सर, मेरे प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद वहां हुसैनी लोगों को ताजिया निकालने दिया। … (व्यवधान) आज मेरे कारगिल वाले बहुत खुश हैं। कारगिल वाले इसलिए खुश हैं … (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आप बिल पर बोलिए। आप कन्क्लूड कीजिए।

… (व्यवधान)

**श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल :** सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। मैं कांस्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं। … (व्यवधान) कारगिल वालों को, लद्दाख के शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान को इतिहास में पहली बार हज कमेटी गठित करके दी। 100 परसेंट लोगों को हज कराया। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। … (व्यवधान)

सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। जम्मू-कश्मीर की उन्नति देखकर, वहां की पीस देखकर, वहां का टूरिज्म देखकर मेरे कारगिल वाले मांग कर रहे हैं कि पनिखर से पहलगाम रोड खोल दिया जाए, ताकि लद्दाख में भी टूरिज्म बढ़े। … (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आप बिल पर बोलिए।

… (व्यवधान)

**श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल :** सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। मैं इसी बिल पर वापस आ रहा हूं। माननीय गृह मंत्री जी यह वूमेन रिजर्वेशन लाकर जम्मू-कश्मीर में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लद्दाख ऑटोनोमस … (व्यवधान)

*__SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY):__ Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for giving me this opportunity. We are happy that Women's Reservation Bill was passed during the previous Session of Parliament. Indian National Congress party and all the opposition parties have together supported the Women's Reservation Bill. But it was painful to note that the aspect of providing reservation to women in Jammu & Kashmir and Puducherry was not discussed during that time. The people of Puducherry were in a dilemma at that point of time whether women's reservation will be applicable to them or not. But we instilled confidence in them by giving assurance that such a Bill would be passed in the next Session of Parliament. I thank you for bringing this Amendment Bill now.

At the same time we have some doubts whether this Bill is having the same provisions as compared to the Constitutional amendment Bill passed earlier. I seek clarifications from the Union Government in this regard. We are duty bound to say to the people that when will this women's reservation come into existence. Therefore I urge that census should be conducted soon and after census, women's reservation should be implemented by giving women the rights that are due to them. Thank you.

**माननीय सभापति:** मसूदी जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? You have only one minute, please.

… (*Interruptions*)

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

**श्री हसनैन मसूदी :** सर, पहली बात यह है कि मेरा पहला वाजिब सवाल था कि … (व्यवधान) आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? … (व्यवधान) आप कौन हैं? … (व्यवधान) मेरा यह कहना है कि आप इसे पीसमील में ला रहे हैं, इसलिए यह आपकी नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है। आप वचनबद्ध हैं कि आप इसे स्टेट बनाएंगे।

दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल-3 के तहत विभाजन करने को अप्रूव नहीं किया बल्कि उन्होंने उसको मोअखर किया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की और संसद सदस्य का जो एफिडेविट है, उसी पर भरोसा करते हुए और आपके स्टैंड पर भरोसा करते हुए यह कहा है कि आप स्टेट को रीस्टोर कीजिए।

जहां तक कारगिल की बात है, हाल में वहां इलेक्शंस हुए। 78 फीसदी वोट पड़े और इनको मालूम है कि इनको वहां क्या जवाब मिला? … (व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** No, that is a different thing. Election was held. That is an important thing only.

… (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** That is not a good argument.

… (*Interruptions*)

**माननीय सभापति:** माननीय मंत्री जी।

**श्री नित्यानन्द राय:** सभापति महोदय, संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 के लिए इस प्रतिष्ठित और सम्माननीय सदन में मैं खड़ा हूं और आग्रह करने के लिए खड़ा हूं कि यह विधेयक महिला उत्थान के लिए है, महिलाओं की सहभागिता के लिए है। इसमें दोनों विधान सभा में एक-तिहाई सीट उनके लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। मैं अनुरोध करने के लिए खड़ा हूं कि इसे पारित किया जाए।

महोदय, ये दोनों विधेयक महिलाओं के अवसर की समानता के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प के अनुरूप हैं। संसद में और सभी राज्यों की विधान सभाओं में महिला आरक्षण के लिए कानून लाकर मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया है। अब तक हाशिए पर रह जाने वाले या रखे जाने वाले लोगों को सत्ता के गलियारे में उचित स्थान मिलेगा।

महोदय, भारत की संस्कृति में महिलाओं का जो स्थान रहा है, भारत में महिलाओं की स्थिति में हमेशा समय-समय पर बदलाव भी होते रहे हैं। प्राचीन भारतीय महिलाओं का सामाजिक स्तर काफी ऊंचा एवं महत्वपूर्ण रहा है। वैदिक महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त थी। कुछ महिलाएं शिक्षक के रूप में भी काम करती थीं। उत्पादन का स्थान घर होता था और उसमें महिला की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। महिलाएं कृषि कार्यों में भी सहयोग करती थीं। एक महिला शिक्षक ही थीं, जो भगवान श्रीराम को शिक्षा देने का काम करती थीं, जिनका नाम विदुषी अरुंधती था। शतपथ ब्राह्मण के उल्लेख में मिलता है कि वह भगवान श्रीराम को संगीत व पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने काम करती थीं।

महोदय, उभय भारती की विद्वता के सामने शंकराचार्य भी नतमस्तक हुए थे।…(व्यवधान) आधुनिक समय में सावित्री बाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता है। जब भारत की प्राचीन व्यवस्था में उनका इतना उच्च स्थान था, ज्ञान की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी और दुर्गा शक्ति की देवी के रूप में पूजी जाती थीं। लेकिन जब इस देश में विदेशियों का आक्रमण हुआ, चाहे वह मुगलकालीन शासक हों, चाहे अन्य

आक्रांताओं द्वारा भारत पर शासन करने का कोई युग हो, ब्रिटिश हुकूमत हो या कांग्रेसियों का राज हो, महिलाओं को अवसर नहीं दिया गया, महिलाओं के अधिकारों को छीना है, महिलाओं के साथ अन्याय किया है।…(व्यवधान)

**SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE:** Sir, the Minister is ill-informed.

**श्री नित्यानन्द राय :** महोदय, मुझको यह अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब-जब महिला आरक्षण या उसके अधिकार की बात हो…(व्यवधान)

सुप्रिया सुले जी, जब दो केंद्र शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) की विधान सभाओं में एक तिहाई महिलाओं के आरक्षण का विधेयक आ रहा है, तो आप उसमें क्या बोल रही थीं? आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए। एक लाइन में समर्थन कर दिया और बाकी आपने क्या किया? आपने इधर-उधर की बातें कीं।…(व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

**श्री नित्यानन्द राय :** महोदय, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं को जो सम्मान और अधिकार मिला है, जो अवसर मिला है,**…**(व्यवधान)

**SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE:** Please get your facts right when you make an allegation, Sir.

**माननीय सभापति :** वह पॉलिसी की बात कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

**श्री नित्यानन्द राय :** महोदय, आज भारत की नारी देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने कार्यों से, अपने ज्ञान और अपनी प्रतिभा से रिकॉर्ड बना रही हैं। भारतीय महिलाओं ने धरती से अंतरिक्ष तक अपना लोहा मनवाया है। आज भारत की नारी ने अपनी एक सम्मानजनक जगह कायम कर ली है।

**18.34 hrs** (Hon. Speaker *in the Chair*)

महोदय, मैं अंत में बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। आज विज्ञान प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित में लड़कियों का नामांकन 43 प्रतिशत है, जो अमेरिका और जर्मनी से अधिक है। प्रतिवर्ष 50 प्रतिशत महिलाएं डॉक्टरी की परीक्षा पास कर रही हैं। भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग में 21 प्रतिशत पेशेवर महिलाए हैं। चन्द्रयान-थ्री मिशन के साथ-साथ इसरो के कई मिशन में जो सफलता मिली है, उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। चाहे 'नमो ड्रोन दीदी योजना' हो या चाहे 'लखपति दीदी योजना' हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, इससे आज भारत में महिलाओं के अधिकार और उत्थान का रिकॉर्ड बनने वाला है।

बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के आधार पर मापा जा सकता है। यह दो केंद्र शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) का बिल है तो जम्मू कश्मीर में जो महिलाओं के लिए काम किया गया है, उसको मैं एक से डेढ़ मिनट में बताना चाहता हूं। अनुच्छेद-370 से पूर्व और अब विडो पेंशन का लिमिटेड सैचुरेशन था, आज उसका शत-प्रतिशत सैचुरेशन हो चुका है। वहां पर विडो पेंशन में 40 वर्ष से नीचे आयु की कवर्ड नहीं थी, लेकिन आज पूर्णत: कवर हो गई है और उसका शत-प्रतिशत सैचुरेशन हुआ है। वन स्टॉप सेंटर फॉर वीमेन पहले 6 थे, आज 20 हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु डिस्ट्रिक्ट हब काम करने वाला पूरे देश में पहला संघ राज्य क्षेत्र कश्मीर बना है। वह पहले शून्य था, लेकिन अब वे 20 हैं और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल वीमेन सेल भी 20 हैं। वहां पर बहुत सारी योजनाएं उनके लिए बनाई गई हैं।

महोदय, मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। पुद्दुचेरी में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा जितने भी कदम उठाए गए हैं, चाहे वह कश्मीर के लिए हों या फिर पूरे देश के लिए हों या पुद्दुचेरी के लिए हों, उनको बताने में काफी लंबा समय लगेगा। आपका निर्देश संक्षिप्त में समाप्त करने का है तो मैं अपनी बात संक्षिप्त में समाप्त करना चाहूंगा। एक-दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो माननीय सदस्यों ने कही हैं। यहां पर जुगल किशोर शर्मा जी, अधीर रंजन जी से

लेकर मसूदी जी तक हमारे माननीय सदस्यों ने बोला है। मैं अधीर रंजन जी को जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि गृहमंत्री जी एक बार बोलें कि पीओके हमारा है तो मैं कहना चाहूंगा कि गृहमंत्री जी ने एक बार नहीं कहा है, उन्होंने कई बार बोला है और बार-बार बोला है कि पीओके हमारा है। पीओके के संबंध में इस सरकार का क्या दृष्टिकोण है, सरकार की क्या प्रतिबद्धता है, इसको आप खुली आंखों से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत बातें नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारे प्रधान मंत्री जी हों या गृह मंत्री जी हों सबका इरादा नेक है और इरादा पक्का का पक्का है।

महोदय, बड़ी चतुराई से हमारे माननीय सदस्य सौगत बाबू जी महिला विधेयक का समर्थन भी कर रहे थे और चतुराई से विरोध भी कर रहे थे। सारे विपक्ष के लोग और उनमें कुछ ऐसे विपक्ष के लोग थे, जिन्होंने समर्थन किया और ज्यादातर कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों ने बड़ी चालाकी से उसका विरोध भी किया है। राजा साहब ने कहा कि तर्क के आधार पर बोलिए, भावनाओं के आधार पर मत बोलिए तो मोदी सरकार तर्क के आधार पर भी बोलती है और भावनाओं से ओत-प्रोत होकर बोलती है। भावना पवित्र है और तर्क भी सही है, इसलिए मोदी सरकार ने जो किया है, यह देश और दुनिया देख रही है। कौशलेंद्र जी ने भी बोला है, जो बिहार के सांसद हैं। मैं उनको क्या कहूं, क्योंकि देश और दुनिया जानती है कि महिलाओं का अपमान बिहार में किसने, किन-किन शब्दों से तथा किस रूप में किया है।

महोदय, माननीय भर्तृहरि महताब जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब संविधान सभा में महिलाएं थी तो महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता था। आज जब दोनों विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी होगी तो महिलाओं के हक, अधिकार, न्याय और उनके उत्थान की बातें होंगी एवं महिलाओं को धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरविंद सावंत जी ने कुछ तकनीकी बातें उठाई थी, जो अभी नहीं है और कुछ प्रेमचन्द्रन जी ने भी बोला था। इसके अलावा कुछ अन्य लोगों ने भी कुछ बातें उठाई थीं, लेकिन मैं उनको स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह संशोधन विधेयक जो पहले आया था, उसकी भावना के अनुरूप तो है ही, लेकिन

पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए भी यह विधेयक लाना बहुत जरूरी था, इसलिए यह विधेयक आया है। हमने आपसे इसके लिए आग्रह भी किया है। पुद्दुचेरी में पहली बार वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में 1,332 करोड रुपए के जेंडर बजटिंग की शुरुआत की है। महिलाओं को पुलिस, फायर सर्विस और स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण भी दिया गया है।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और विपक्ष का जब जमाना देखेंगे तो मैथिली शरण गुप्त की कविता बार-बार याद आएगी – "अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।" लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीमा पर भी महिलाएं जब सीना तान कर खड़ी होती हैं तो उनका इरादा और हौसला ऐसा होता है कि जो गलती पूर्ववर्ती सरकारों ने की है, वह गलती अब न होने देंगे। अगर कोई हम से टकराने की कोशिश करेगा तो हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया के नक्शे में उसका नक्शा बिगड़ जाएगा। इस हौसले के साथ, हमारी सेना हो, चाहे हमारी अर्द्धसेना हो, सीएपीएफ हो, जहां भी हो, चाहे वह सीमा पर हो, चाहे किसी शिक्षण संस्थान में हो, चाहे वह कार्यालय में हो, चाहे वह खेत-खलिहान में हो, खेल के मैदान में हो चाहे कहीं भी हो, चाहे सदन में हो, महिलाएं जब उठकर खड़ी होती हैं तो सम्मान और गौरव से खड़ी होती हैं। इसका केवल एक कारण है- माननीय मोदी जी का महिलाओं के प्रति सम्मान और उनको अवसर और अधिकार दिए जाना। उससे जो उनको लाभ मिला है और उनका उत्थान हुआ है, उनका भविष्य सुनिश्चित होकर उज्ज्वल होने वाला है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर से आग्रह करूंगा कि सम्मानित सदन इस विधेयक को पारित करने की कृपा करे।

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नंबर 24।

प्रश्न यह है:

"कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

**माननीय अध्यक्ष :** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

एडवोकेट डीन कुरियाकोस- उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

**श्री नित्यानन्द राय :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** आइटम नंबर 25।

प्रश्न यह है:

"कि संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

एडवोकेट डीन कुरियाकोस- उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

**श्री नित्यानन्द राय :** महोदय**,** मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**18.44 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 13, 2023/Agrahayana 22, 1945 (Saka).*

**INTERNET**

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

www.sansad.in/ls

**LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA**

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)